Machine Translated by Google

सीआरटीआई (एसईसी) -102

सूचना के अधिकार का अनुप्रयोग

कानून का स्कूल

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, तीन पानी बाईपास रोड,
ट्रांसपोर्ट नगर, - हल्द्वानी (263139), फोन नं.
05946 - 261122, 261123 टोल फ्री नं. 18001804025 फैक्स
-05946-264232, ई.मेल- info@uou.ac.in, http://uou.ac.in

Machine Translated by Google

अध्ययन बोर्ड

प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे, निदेशक, स्कूल ऑफ लॉ,
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।

प्रोफेसर जेएस बिष्ट विधि संकाय, एसएस
जीना परिसर, अल्मोड़ा, कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड।

प्रोफेसर बी.पी. मैथानी
पूर्व आरटीआई सलाहकार, उत्तराखंड सरकार

डॉ. दीपांकुर जोशी, सहायक प्रोफेसर एवं समन्वयक
स्कूल ऑफ लॉ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (नैनीताल)।

इकाई लेखन

यूनिट लेखक	इकाई
[1] डॉ. विनोद कुमार अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लॉ, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, देहरादून उत्तराखंड	यूनिट-7,8,9
[2] डॉ. सुशीम शुक्ला, सहायक प्रोफेसर, लॉ कॉलेज, उत्तरांचल विश्वविद्यालय देद्रादून, उत्तराखंड	इकाई-10,11,12,
[३] श्री राजीव भट्ट, अधिवक्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल पूर्व। आरटीआई सलाहकार कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिटी लॉ कॉलेज रुद्रपुर	इकाई-4, 5, 6
[4] सुश्री सपना अग्रवाल, अधिवक्ता उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल	यूनिट-1,2,3

संपादक

डॉ. दीपांकुर जोशी, सहायक प्रोफेसर और समन्वयक,
स्कूल ऑफ लॉ, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (नैनीताल)

कॉपीराइट © उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल

संस्करण- 2024, सीमित प्रसार प्रकाशन हेतु पूर्व प्रकाशन प्रति- अध्ययन एवं प्रकाशन निदेशालय, आईएसबीएन-
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, (नैनीताल)।
ई-मेल: studies@uou.ac.in

Machine Translated by Google

सूचना के अधिकार का अनुप्रयोग

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	इकाई	पृष्ठ सं।
1	प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी	4 - 18
2	सूचना के लिए जनहित परीक्षण	19 - 29
3	आंशिक प्रकटीकरण और तीसरे पक्ष के लिए आधार पार्टी की जानकारी	30 - 39
4	सूचना मांगने की अपील	40 - 50
5	विभिन्न अनुप्रयोग	51 - 63
6	आरटीआई नियम, 2013	64 - 73
7	केन्द्र और राज्य का संविधान सूचना आयोग	74 - 82
8	सूचना के कार्य और शक्तियाँ आयोगों	83 - 92
9	जांच, जुर्माना और दंड	93 - 98
10	आरटीआई को बढ़ावा देने के संबंध में प्रावधान	99 - 109
11	मानवाधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी जानकारी	110 - 117
12	विविध प्रावधान	118 - 126

Machine Translated by Google

यूनिट 1

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त जानकारी

संरचना

1.1 परिचय

1.2 उद्देश्य

1.3 विषय

1.3.1 धारा 8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट

1.3.1.1 सूचना का प्रकटीकरण, संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है
भारत; उपधारा (1)(ए)

1.3.1.2 न्यायालय की अवमानना; उपधारा (1) (बी)

1.3.1.3 कोई भी ऐसी सूचना प्रकट करना जिससे संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता हो; उपधारा (1) (सी)

1.3.1.4 तीसरे पक्ष की जानकारी; उपधारा (1) (डी)

1.3.1.5 किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना; उपधारा (1)(ई)

1.3.1.6 किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना; उपधारा (1)(एफ)

1.3.1.7 कोई भी सूचना जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती हो; उपधारा (1) (जी)

1.3.1.8 कोई भी सूचना जो जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हो; उपधारा (1) (एच)

1.3.1.9 कैबिनेट दस्तावेज और अन्य निर्णय लेने वाले दस्तावेज; उपधारा (1) (i)

1.3.1.10 व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण; उपधारा (1) (जे)

1.3.1.11 यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक है तो सार्वजनिक प्राधिकरण
सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है; उपधारा (2)

1.3.1.12 20 वर्ष पुरानी सूचना का प्रकटीकरण; उपधारा (3)

1.3.2 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में उपलब्ध आधारों के अलावा कोई कल्पित छूट नहीं।

1.3.3 कुछ मामलों में पहुंच से इनकार करने का आधार 1.3.1 सूचना के अधिकार
अधिनियम के तहत छूट प्राप्त संगठन

1.4 सारांश

1.5 शब्दावली

1.6 एसएक्यूएस

1.7 संदर्भ

1.8 सुझाए गए पठन सामग्री

Machine Translated by Google

1.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न
1.10 उत्तर

1.1 परिचय

सूचना प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का मौलिक अधिकार है। गोपनीयता नौकरशाही संस्कृति की सबसे आम विशेषता रही है। जहाँ तक संभव हो, नौकरशाही प्रशासन 'अपने ज्ञान और कार्यों को आलोचना से छिपाता है... आधिकारिक रहस्य की अवधारणा नौकरशाही का विशिष्ट आविष्कार है1। इसका परिणाम आधिकारिक रहस्य अधिनियम, 1923 के रूप में सामने आया है। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाता है और सरकार को उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है तथा अन्य सभी अधिकार इस पर निर्भर करते हैं। लेकिन यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और सूचना के अधिकार के साथ भी ऐसा ही है। सूचना के प्रकटीकरण से ये छूट संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत दिए गए प्रतिबंध से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। सूचना का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। सरकार द्वारा उत्पन्न सभी सूचनाएँ जनता को नहीं दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यदि ऐसी संवेदनशील सूचनाएँ जनता को दी जाती हैं तो वे वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण हितों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकती हैं2

आरटीआई अधिनियम में धारा 8 और 9 मुख्य रूप से सूचना के प्रकटीकरण से छूट के आधारों से संबंधित हैं। इस अधिनियम में कई छूट हैं जैसे वर्ग छूट, पूर्वाग्रह आधारित छूट और समय सीमित छूट और समय आधारित छूट। ये छूट सूचना चाहने वाले को सूचना प्राप्त करने से रोकती हैं। यह इकाई उन प्रावधानों से निपटेगी जो सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करते हैं।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- सूचना के प्रकटीकरण से छूट को समझें
- आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के प्रावधान को जानें, जो अन्य प्रावधानों पर हावी है।
  आरटीआई अधिनियम
- जानें कि अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान किस प्रकार कॉपीराइट की रक्षा करने में सक्षम हैं
  उल्लंघन
- छूट के ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता को समझें • उन संगठनों के बारे में जानें, जिन्हें आरटीआई के
  दायरे से छूट दी गई है
  अधिनियम, 2005

1मैक्स वेबर ने देखा

2वसुंधरासिंह, विभिन्न देशों में आरटीआई अधिनियम के तहत छूट का तुलनात्मक अध्ययन
http://cic.gov.in/sites/default/files/Exemptions%20under%20the%20RTI%20act%20by%20vasundhara_0.pdf

Machine Translated by Google

1.3.1 धारा 8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 कहती है3 -

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी देने की बाध्यता नहीं होगी
नागरिक,-

(क) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा;

(ख) ऐसी सूचना जिसे किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया हो
या जिसका प्रकटीकरण न्यायालय की अवमानना का मामला बनता हो;

(ग) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा या
राज्य विधान;

(घ) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचेगा, वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा के प्रकटीकरण से तब तक कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटीकरण बड़े सार्वजनिक हित में है;

(ई) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी रिश्ते में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि ऐसी सूचना का खुलासा सार्वजनिक हित में है;

(च) किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता हो या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो सकती हो;

(ज) सूचना, जो जांच या गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी या
अपराधियों पर मुकदमा चलाना;

(i) मंत्रिपरिषद, सचिवों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के कागजात
और अन्य अधिकारी:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के निर्णय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए थे, निर्णय लिए जाने तथा मामला पूरा हो जाने या समाप्त हो जाने के पश्चात् सार्वजनिक किए जाएंगे:

आगे यह भी प्रावधान है कि जो विषय इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, उनका खुलासा नहीं किया जाएगा;

(जे) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनावश्यक आक्रमण होगा, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है:

बशर्ते कि संसद या राज्य विधानमंडल को जो सूचना देने से इनकार नहीं किया गया है, उसे किसी अन्य व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

3बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

Machine Translated by Google

(2) शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी या उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट के होते हुए भी, कोई लोक प्राधिकारी सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में लोक हित, संरक्षित हित को होने वाली हानि से अधिक है।

(3) खंड (क), (ग) और (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी घटना, घटना या मामले से संबंधित कोई सूचना, जो धारा 6 के अधीन अनुरोध किए जाने की तारीख से बीस वर्ष पूर्व घटित हुई हो या हुई हो, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु जहां उक्त बीस वर्ष की अवधि की गणना की तारीख के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, वहां केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय इस अधिनियम में उपबंधित सामान्य अपीलों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा।

1.3.1.1 सूचना का प्रकटीकरण, भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है
उप धारा (1) (ए)

कुछ ऐसी जानकारी होती है जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी होती है, अगर उसे सार्वजनिक कर दिया जाए तो वह वास्तव में नुकसान पहुंचा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी संघर्ष के दौरान प्रकाशित की गई जानकारी, जिसमें सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों की संख्या, उनकी तैनाती या उनकी रणनीतिक योजनाओं का विवरण हो।
हालांकि, इस छूट का इस्तेमाल सिर्फ़ वायुसेना के लड़ाकू विमान की खरीद के लिए हुए अनुबंध को गुप्त रखने के लिए करना उचित नहीं होगा। यह आम व्यावसायिक जानकारी है जिसे खरीद प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसे सिर्फ़ इसलिए नहीं रोका जाना चाहिए क्योंकि यह रक्षा से संबंधित है4। इसी तरह, जिस जानकारी के प्रकट होने से राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या राज्य के आर्थिक हितों को खतरा हो सकता है, उसे गुप्त रखा जाना चाहिए। विदेशी राज्यों के साथ संबंध भी सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें उजागर नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसी जानकारी जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता हो, उसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए , कोई भी ऐसी जानकारी जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, उसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए5 ।

श्री एस.सी. शर्मा बनाम गृह मंत्रालय6 के मामले में आयोग ने यह माना था कि टेलीफोन अवरोधन से जुड़े मामले भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों द्वारा शासित थे और भारत की सुरक्षा से स्पष्ट रूप से संबंधित थे। इसलिए, किसी भी मामले को, सबसे स्पष्ट मामले को छोड़कर जैसे कि संदेश अवरोधन के लिए नियुक्त अधिकारी और इस तरह अधिकृत संगठन को सुरक्षा से संबंधित माना जाना चाहिए। और भारत की सुरक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (ए) के अंतर्गत आती है। इसके अलावा,

सूचना का स्वरूप नहीं बदला जाएगा यदि व्यक्ति के विरुद्ध बाद में लगाए गए आरोप किसी सुरक्षा संबंधी कानून के उल्लंघन के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार विरोधी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत हैं और इसलिए यह माना जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना किससे संबंधित है

4सूचना का अधिकार - उपयोगकर्ता गाइड; http://
www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/user_guide/info_not_access.htm
5धारा 8(1)(i); आरटीआई अधिनियम 2005
6अपील संख्या सीआईसी एटी/ए/2006/0000567;

Machine Translated by Google

राज्य की सुरक्षा और रणनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए इसे अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

1.3.1.1 न्यायालय की अवमानना; उपधारा (1) (बी)

जांच के दौरान बहुत सी ऐसी जानकारी होती है जिसे सुरक्षित रखने की जरूरत होती है, जैसे गवाहों की पहचान या किसी संदिग्ध के खिलाफ मामला दर्ज करना। अगर उसे रिहा कर दिया जाता है, तो मामला खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह, किसी भी मामले की कार्यवाही के दौरान वकील और उनके मुवक्किल के बीच की बातचीत को लगभग हमेशा गुप्त रखा जाएगा, भले ही वकील अटॉर्नी-जनरल हो और मुवक्किल सरकार हो7 ।

राकेश कुमार गुप्ता बनाम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी)8 के मामले में अपीलकर्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक न्यायिक कार्यवाही में सब कुछ पारदर्शी और खुला होना चाहिए। आईटीएटी द्वारा सीमित प्रकटीकरण भ्रष्टाचार का संभावित जनरेटर है। जितनी अधिक पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। उक्त मामले में अपीलकर्ता ने अपील केस संख्या आईटीए 567/डेल/05 में आईटीएटी द्वारा विचारित पीठ के सदस्यों द्वारा बनाए गए दैनिक कार्यवाही के मिनटों की एक प्रति मांगी है। तत्काल मामले में सीपीआईओ ने जवाब दिया है कि पीठ के सदस्यों द्वारा बनाए गए दैनिक मिनट न्यायिक कार्यवाही का एक हिस्सा हैं और केवल न्यायाधिकरण के सदस्यों के उपयोग के लिए हैं। इस मामले में, प्रतिवादियों ने माननीय न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है: "न्यायाधीश अक्सर आपस में मामले पर चर्चा कर सकते हैं और एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। यह उनका निर्णय नहीं है। वे ड्राफ्ट लिख सकते हैं और उनका आदान-प्रदान कर सकते हैं। वे भी निर्णय नहीं हैं, भले ही उन पर भारी और अक्सर हस्ताक्षर किए गए हों। अंतिम क्रियाशील कार्य वह है जिसे औपचारिक रूप से खुली अदालत में इस इरादे से घोषित किया जाता है कि वह अदालत का क्रियाशील निर्णय बन जाए। यही "निर्णय" बनता है..."9

ये टिप्पणियां, हालांकि एक अलग संदर्भ में की गई हैं, वास्तविक फैसले के पहले होने वाली कार्यवाहियों की स्थिति पर प्रकाश डालती हैं। इसलिए इस तरह की टिप्पणी को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखे गए रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं माना जा सकता है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी न्यायिक कार्य के संबंध में कोई भी हस्तक्षेप अनावश्यक है। एक न्यायिक निकाय के रूप में, ITAT के पास किसी दी गई जानकारी के प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण को अधिकृत करने की शक्ति भी है, जैसे कि उक्त अपील में अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी। आयोग ने माना था कि, "न्यायिक प्राधिकरण को पूरी स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के साथ काम करना चाहिए, अगर यह पाया जाता है कि आरटीआई अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्रवाई उस न्यायिक निकाय के अधिकार पर अतिक्रमण करती है, तो आयोग किसी भी ऐसी प्रकटीकरण आवश्यकता के लिए आरटीआई अधिनियम के उपयोग को अधिकृत नहीं करेगा। ए

आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (बी) बिल्कुल स्पष्ट है, जो न्यायालय या न्यायाधिकरण को यह तय करने का पूर्ण विवेकाधिकार देती है कि क्या प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसलिए, यदि कोई सूचना चाहने वाला व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उसे संबंधित न्यायालय या न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए और इस मामले में निर्णय लेना संबंधित न्यायालय या न्यायाधिकरण पर निर्भर करता है कि मांगी गई जानकारी उसके समक्ष लंबित या उसके द्वारा तय की गई न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है या नहीं।"

7 सूचना का अधिकार - उपयोगकर्ता गाइड; http://
www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/user_guide/info_not_access.htm

8 अपील संख्या:सीआईसी/एटी/ए/2006/00586; निर्णय की तिथि: 18.09.2007

9सुरेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1954 सुप्रीम कोर्ट 194)

Machine Translated by Google

एक अन्य मामले, श्री विनोद कुमार जैन बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय, नई दिल्ली10 में यह माना गया कि, 'जांच पूरी होने तक सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता।'

1.3.1.3 कोई भी सूचना, जिसके प्रकट करने से संसद या राज्य विधान के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है; उपधारा (1) (सी)

अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से तथा बिना किसी बाधा या हस्तक्षेप के निष्पादित करने के लिए,
संसद और राज्य विधानमंडल तथा उनके व्यक्तिगत सदस्यों को अनुच्छेद 105 के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं, जो संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 194 जो राज्य विधानमंडल और उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।11. सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार इस प्रकार हैं:12

(i) गिरफ्तारी से मुक्ति,
(ii) जूरी सदस्यों और गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट और (iii) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।

सदन के विशेषाधिकार सामूहिक रूप से इस प्रकार हैं:

(मैं) वाद-विवाद और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा दूसरों द्वारा प्रकाशन को रोकने का अधिकार;

(ii) सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने तथा सदन की दीवारों के भीतर उठने वाले मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार;

(iii) संसदीय कदाचार को प्रकाशित करने का अधिकार;
(iv) अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार।

1.3.1.4 तीसरे पक्ष की जानकारी; उपधारा (1) (डी)
इस खंड में निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

(i) वाणिज्यिक विश्वास;
(ii) व्यापार के रहस्य;
(iii) बौद्धिक संपदा।

कानून में पहले से ही यह मान्यता है कि कंपनियों को अपने व्यापार रहस्यों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। अनुबंध के समापन से पहले कोटेशन, बोलियाँ और निविदाएँ व्यापार रहस्यों के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।
ऋण खातों का विवरण, अचल संपत्तियों की मूल्यांकन रिपोर्ट और उधारकर्ताओं की संपत्तियों और प्रतिभूतियों का विवरण वाणिज्यिक विश्वास की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं।

ऐसी सूचना की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व बैंक का है। बौद्धिक संपदा मानव मस्तिष्क की उपज है, जिसमें स्वामी या मालिक को विशेष रूप से उपयोग करने और दूसरों को उपयोग करने से रोकने का अधिकार प्राप्त है।

[10] अपील संख्या.सीआईसी/एटी/ए/2010/000969/एसएस
11संविधान के अनुच्छेद 105 और 194
12डॉ.दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान का परिचय

Machine Translated by Google

उपरोक्त सभी जानकारी का खुलासा तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा।
हालाँकि, जहाँ सार्वजनिक प्राधिकरण संतुष्ट है कि व्यापक जनहित में ऐसी सूचना का खुलासा ज़रूरी है, तो उसे छूट नहीं दी जाती है13. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ़ तमिलनाडु लिमिटेड बनाम तमिलनाडु सूचना आयोग में ,

[14] मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि सूचना

जल निकायों, थिरुपुरुर में कैवेली और उप्पनकाझी भूमि और चेंगलपट्टू तालुका के नौ अन्य गांवों के क्षेत्रीय निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उन भूमियों की उपयुक्तता की जांच करने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यापक जनहित में ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है।

1.3.1.5 किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना; उपधारा (1) (ई)
'विश्वासपात्र' शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसका कर्तव्य दूसरे के लाभ के लिए कार्य करना है, सद्भावना दिखाना, जहां ऐसा दूसरा व्यक्ति कर्तव्य निभाने वाले या उसका निर्वहन करने वाले व्यक्ति पर भरोसा और विशेष विश्वास रखता है। प्रत्ययी संबंध में लाभार्थी अपने मामलों, व्यवसाय या लेन-देन के संबंध में दूसरे व्यक्ति पर पूरा भरोसा करता है। उदाहरण के लिए भागीदारों के बीच और नियोक्ता और उसके कर्मचारी के बीच संबंध।

इस छूट का उद्देश्य प्रत्ययी संबंधों के कारण उपलब्ध कराई गई गोपनीय और संवेदनशील जानकारी की जांच और संरक्षण की अनुमति देना है। हालांकि यह छूट इस शर्त के अधीन है कि यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है कि अधिक जनहित में ऐसी जानकारी का खुलासा करना उचित है, तो जानकारी का खुलासा करना होगा।15

आमतौर पर सभी रिश्तों में विश्वास का तत्व होता है, लेकिन सभी को प्रत्ययी रिश्ते के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यूपीएससी बनाम आरके जैन16 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा दी गई राय और सलाह आरटीआई अधिनियम के तहत नहीं मांगी जा सकती, बशर्ते कि इसे गोपनीय या गोपनीयता में और संबंधित प्राधिकारी के भरोसे में प्रस्तुत न किया गया हो, यानी प्रत्ययी रिश्ते के दायरे में न आता हो।

1.3.1.6 किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना; उपधारा

(1) (एफ)

सार्वजनिक प्राधिकरण विदेशी सरकार से प्राप्त किसी भी जानकारी अर्थात बातचीत, राजनयिक पत्राचार आदि से संबंधित गोपनीय जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है।17 . जानकारी का आदान-प्रदान दो देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय या द्विपक्षीय संबंधों पर आधारित है। विदेशी देश से प्राप्त ऐसी जानकारी का खुलासा उस देश के हित और कल्याण के खिलाफ भी है, इसलिए अधिनियम के तहत छूट दी गई है।

1.3.1.7 कोई भी सूचना जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकती हो;
धारा (1) (जी)

13आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(डी) 14(2010) 5 एमएलजे
402; http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/F8FF5487-7DF0-4F0F-9A11-74F3C2585AC9.pdf
15 आरटीआई अधिनियम, 2005 की उप धारा 8(1)(ई)
162012 (282) ईएलटी 1661(डेल.)
17आरटीआई अधिनियम, 2005 की उप धारा 8(1)(एफ)

Machine Translated by Google

इस खंड के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचनाएँ निम्नलिखित हैं:

(मैं) जो किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालता हो; या
(ii) जो कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करता है

संविधान के अनुच्छेद 21 में भी जीवन शब्द का उल्लेख है, जो बहुत सार्थक और जीने लायक है। सम्मान के साथ जीने का अधिकार, उचित वातावरण, निजता, अच्छा स्वास्थ्य, भोजन, पानी, शिक्षा, चिकित्सा देखभाल, आश्रय, शीघ्र निष्पक्ष और खुली सुनवाई, विदेश जाने का अधिकार, कानूनी सहायता, हिरासत में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति, प्रतिष्ठा और यहां तक कि सूचना का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन शब्द में शामिल है।18 इसलिए आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) (जी) के तहत जीवन शब्द को कुछ इसी तरह से समझा जाना चाहिए। शारीरिक सुरक्षा शब्द का अर्थ किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व पर हमला होगा। मुखबिर की पहचान सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि उसे भेदभाव या यहां तक कि हिंसा का निशाना बनाया जा सकता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 16 शिकायतों की विषय-वस्तु, पीड़ित महिलाओं, प्रतिवादी और गवाहों की पहचान और पते, सुलह और जांच से संबंधित जानकारी, जांच समिति की सिफारिशों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण को रोकती है। हालांकि उत्पीड़न की शिकार महिला को न्याय दिलाने से संबंधित जानकारी का खुलासा करने की अनुमति है, लेकिन पीड़ित महिला और गवाहों का नाम, पता, पहचान या कोई अन्य विवरण बताए बिना जिससे उनकी पहचान हो सके।19

सिंह (ए.के.) बनाम दिल्ली पुलिस के मामले में , सी.आई.सी. के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या पुलिस स्टेशन में कैमरा रिकॉर्डिंग को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(जी) के तहत छूट दी गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार कैमरा रिकॉर्डिंग में गवाहों और अन्य लोगों की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, जो पुलिस अधिकारियों को उनकी जाँच में सहायता करने या अन्य उद्देश्यों के लिए पुलिस कार्यालयों में गए होंगे। और ऐसी रिकॉर्डिंग के प्रकटीकरण से ऐसे लोगों के जीवन और शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रतिवादियों की दलील को स्वीकार किया और माना कि पुलिस कार्यालयों में कैमरा रिकॉर्डिंग में गवाहों और अन्य व्यक्ति की गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं और होती हैं जो पुलिस को उनके कानून प्रवर्तन कार्यों में सहायता करते हैं, जिसके प्रकट होने पर ऐसे व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है और इसलिए, ऐसी जानकारी को आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 8(1)(जी) के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। यह आगे माना गया कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी व्यक्तिगत जानकारी की प्रकृति की है, जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि, हित या उद्देश्य से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है और यह धारा ऐसी जानकारी को प्रकटीकरण से छूट देती है। इसलिए, यह माना गया कि दिल्ली पुलिस का अपीलकर्ता को कैमरा रिकॉर्डिंग का खुलासा करने का कोई दायित्व नहीं है।

18डॉ.दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान का परिचय

19परवीनसैयद; http://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/F8FF5487-7DF0-4F0F-9A11-74F3C2585AC9.pdf

20 सं.सीआईसी/एटी/ए/2006/00330

Machine Translated by Google

1.3.1.8 कोई भी सूचना जो जांच या गिरफ्तारी की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी
या अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना; उपधारा (1) (एच)

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, किसी भी अपराध के संबंध में जांच में शामिल है: घटनास्थल पर जाना; मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना; संदिग्ध अपराधियों की खोज और गिरफ्तारी; अपराध के होने से संबंधित साक्ष्य एकत्र करना; और यह राय बनाना कि एकत्र की गई सामग्री के आधार पर आरोपी पर मुकदमा चलाने का मामला बनता है या नहीं। हालाँकि, आरटीआई अधिनियम के तहत, जांच की व्याख्या अधिक व्यापक और उदारतापूर्वक की जाएगी, यानी कानून प्रवर्तन, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पूछताछ, निर्णय आदि की सभी कार्रवाई।

किसी भी जांच के दौरान कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अंतिम निर्णय आने तक संरक्षित रखने की जरूरत होती है।

श्री एस.के. अग्रवाल बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (एफ. सं. 2009) के मामले में,
सीआईसी/एटी/ए/2007/01455 दिनांक 25.04.2008) के तहत अपीलकर्ता (सूचना देने वाले) ने जांच के तहत मामले की प्रगति से संबंधित जानकारी मांगी जिसे सीपीआईओ और एफएए ने अस्वीकार कर दिया। अपीलकर्ता ने सीपीआईओ और एफएए के फैसले के खिलाफ सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की।

सीआईसी ने महसूस किया कि हालांकि राजस्व चोरी के मामलों में त्वरित जांच एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन यदि सूचना के अधिकार को लागू करने के नाम पर मुखबिरों को जांच की प्रगति में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी जाती है, तो यह अनुचित और यहां तक कि चल रही जांच के लिए हानिकारक होगा।

सार्वजनिक प्राधिकरणों के जांच कार्य पर विशेष रूप से इच्छुक पक्षों द्वारा हस्तक्षेपपूर्ण पर्यवेक्षण का प्रभाव उस प्रक्रिया को बाधित करने के रूप में होता है, इस अर्थ में कि यह अधिकारियों को बाहरी दबावों के संपर्क में लाता है और ऐसी जांच करने की स्वतंत्रता को सीमित करता है। आयोग ने यह भी महसूस किया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधिकारियों को मुखबिरों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी जांच में अंतराल रखना चाहिए। जांच कार्य में हस्तक्षेपपूर्ण हस्तक्षेप ऐसी जांच के लिए अनुकूल नहीं है और इस अर्थ में, इसे बाधित करता है।21

1.3.1.9 कैबिनेट दस्तावेज और अन्य निर्णय लेने वाले दस्तावेज; उपधारा (1) (i)
इस खंड में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य कार्यालयों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के कागजात को इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जब कोई निर्णय लिया जाता है, तो निर्णय के पीछे के कारणों और निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

जनता के सामने खुलासा नहीं किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान यह गोपनीयता का एक स्तर लागू करता है, लेकिन एक बार निर्णय हो जाने के बाद यह नीति-निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक जानकारी तक पहुँचने का अधिकार जनता को देता है। इस प्रकार एक निर्दिष्ट समय के लिए सीमित निषेध प्रदान किया जाता है। लेकिन यह उन मामलों को प्रकट करने पर भी रोक लगाता है, जो इस खंड में निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, उनका खुलासा नहीं किया जाएगा। इस प्रकार इस खंड के अनुसार, मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के कागजात, निर्णय लिए जाने के बाद और मामला पूरा होने या खत्म होने के बाद सार्वजनिक किए जाएंगे, लेकिन वे मामले जिन्हें खंड (ए) से (एच) और (जे) के तहत अन्यथा छूट दी गई है।

[21] http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/info-act/cic-decisons-exemptns.pdf

Machine Translated by Google

धारा 8(1) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सूचना का खुलासा निर्णय हो जाने तथा मामला पूरा हो जाने या समाप्त हो जाने के बाद भी नहीं किया जाएगा।22

1.3.1.10 व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण; उपधारा (1) (जे)

सीआईसी ने "गोपनीयता के अतिक्रमण" को इस प्रकार परिभाषित किया है, "कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर, शारीरिक रूप से या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति के एकांत या एकांत या उसके निजी मामलों या चिंताओं में हस्तक्षेप करता है, वह दूसरे व्यक्ति की निजता के अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी होगा, यदि यह अतिक्रमण किसी विवेकशील व्यक्ति के लिए अत्यधिक अपमानजनक हो।"

संविधान का अनुच्छेद 21 'जीवन का अधिकार' देता है, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है, यह अपेक्षा करता है कि सरकार को इस जानकारी को सार्वजनिक प्रकटीकरण से बचाने का प्रयास करना चाहिए, जब तक कि इसे प्रकट करने की कोई अति महत्वपूर्ण आवश्यकता न हो। उदाहरण के लिए, मेरे पड़ोसी को मेरे मेडिकल रिकॉर्ड तक केवल इसलिए पहुँच नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वे सरकारी अस्पताल के पास हैं। जैसा कि इस खंड में परिभाषित किया गया है, व्यक्तिगत जानकारी होने के योग्य जानकारी का खुलासा नहीं किया जाएगा यदि वह व्यापक सार्वजनिक हित के लिए नहीं है। हालाँकि, वह जानकारी, जिसे संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।23यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि यह प्रावधान केवल धारा 8(1)(जे) पर लागू होता है और आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) की अन्य उप-धाराओं पर लागू नहीं होता है।

एक महत्वपूर्ण मामले में, सिद्धार्थ भार्गव बनाम ईपीएफओ: सीआईसी/बीएस/ए/2012/001377/2985 दिनांक 12.07.2014,24 प्रश्न यह है कि 'क्या किसी कर्मचारी का पीएफ विवरण ऐसे कर्मचारी के जीवनसाथी को दिया जा सकता है'। खैर जवाब है नहीं। सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है या जो व्यक्ति की गोपनीयता पर अनुचित आक्रमण करेगा, छूट प्राप्त श्रेणी में आएगा, जब तक कि संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को उचित ठहराता है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि यह एक वैधानिक छूट है जिसे एक नियम के रूप में संचालित किया जाना चाहिए और केवल असाधारण मामलों में प्रकटीकरण की अनुमति होगी, वह भी व्यापक सार्वजनिक हित की कसौटी पर संतुष्टि प्रदर्शित करने वाले कारणों को दर्ज करने के लिए। एक अन्य मामले में यह माना गया कि, प्राप्त चिकित्सा सुविधाओं का विवरण व्यक्तिगत जानकारी है, और ऐसी जानकारी प्रदान करना निस्संदेह गोपनीयता का उल्लंघन होगा, तथापि, चिकित्सा उपचार के लिए किए गए कुल व्यय की जानकारी सीपीआईओ द्वारा प्रदान की जा सकती है।'25

1.3.1.11 यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक है तो सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है; और उप धारा (2)

22आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(i)

23आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1)(जे)

24 http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_BS _A_2012_001377_2985_M_114738.pdf

25सुभाष चंद्र अग्रवाल बनाम रजिस्ट्रार, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अन्य (एलपीए 34/2015 और सीएम नं.1287/2015)।

दिनांक 17.04.2015, दिल्ली उच्च न्यायालय; http://delhicourts.nic.in/April2015/Subhash %20Chand%20Agarwal%20Vs.%20The%2 0Registrar.pdf

Machine Translated by Google

सरल शब्दों में 'सार्वजनिक हित' का अर्थ है जनता का सामान्य कल्याण जिसे मान्यता और संरक्षण की आवश्यकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) कहती है कि उपधारा (1) और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्राप्त जानकारी का खुलासा किया जा सकता है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक है। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय आरटीआई अधिनियम धारा 8(1) में शामिल सभी छूटों को "सार्वजनिक हित अधिरोहण" के अधीन बनाता है।26 सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि, 'सार्वजनिक उद्देश्य' को परिभाषित किया जाना चाहिए।

सख्त अर्थ में व्याख्या की जानी चाहिए और सार्वजनिक हित को गोपनीयता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए।

1.3.1.12 20 वर्ष पुरानी सूचना का प्रकटीकरण; उपधारा (3)

धारा 8(3) धारा 8(1)(बी), (डी), (ई), (एफ), (जी), (एच), और (जे) के तहत प्रदान की गई छूट पर समय सीमा की छूट लगाती है, जो रिकॉर्ड की तारीख से 20 साल के बाद वैध छूट नहीं रहती है और यदि उस तारीख के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है जिससे 20 साल की उक्त अवधि की गणना की जानी है, तो केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा28। हालांकि धारा 8(3) धारा 8(1)(ए), (सी), और (आई) में निहित कुछ भी लागू नहीं होती है, सूचना को छूट जारी रहेगी और बीस साल बीत जाने के बाद भी कोई बाध्यता नहीं होगी। यह भी स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि यह उप-धारा 20 साल की अवधि के लिए रिकॉर्ड या सूचना के संरक्षण पर विचार नहीं करती है। सभी सूचनाओं या अभिलेखों को संबंधित जिसमें नियमों या विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए और यदि किसी दस्तावेज को संबंधित नियमों और विनियमन के तहत नष्ट करने की आवश्यकता होती है, तो धारा 8 (3) उन्हें नहीं रोकेगी।

1.3.2 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में उपलब्ध आधारों के अलावा कोई कल्पित छूट नहीं।

मंगला राम जाट बनाम पीआईओ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय29 के मामले में , आयोग का मानना है कि आयोग, जो एक निर्णायक निकाय है और जो अधिनियम द्वारा बनाया गया है, के पास नई छूट देने और इस प्रक्रिया में नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार को कम करने का कोई अधिकार नहीं है30। इस मामले में आयोग ने अपनी भूमिका, छूट के दायरे और दायरे और सूचना के अधिकार के संदर्भ को स्पष्ट किया। आयोग अधिनियम के तहत एक निर्णायक निकाय है और यह विधानमंडल की भूमिका नहीं ले सकता है और न ही अब तक प्रदान नहीं की गई नई छूट दे सकता है। आयोग अपने आप छूट नहीं लगा सकता है और संसद के विचारों के स्थान पर अपने विचार नहीं रख सकता है। अधिनियम निर्णायक अधिकारियों को कानून को स्पष्ट रूप से बताए गए से परे पढ़ने की कोई स्वतंत्रता नहीं देता है। अधिनियम स्पष्ट रूप से उन आधारों के बारे में कहता है जिन पर सूचना के प्रकटीकरण से छूट दी जाती है। अधिनियम में बिल्कुल भी अस्पष्टता नहीं है। निर्णायक अधिकारियों द्वारा नई छूट बनाने का ऐसा कोई भी प्रयास कानून के विरुद्ध होगा।

[26] आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2)

27बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैय्यद हुसैन अब्बास रिजवी; सुप्रा-नोट 22;

28आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(3) का प्रावधान

29निर्णय संख्या सीआईसी/ओके/ए 2008/00860/एसजी/0809, दिनांक 31.12.2008।

[30] http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/info-act/cic-decisons-exemptns.pdf

Machine Translated by Google

अधिनियम की भावना के अनुरूप। इस अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करना नियम है और सूचना देने से इनकार करना अपवाद है।

सूचना का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के हिस्से के रूप में हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्थापित है। लोकतांत्रिक राजनीति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर किसी भी प्रतिबंध को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और हमेशा इस पर बहुत सोच-विचार और तर्क-वितर्क किया जाता है। यहां तक कि संसद भी नागरिकों के किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित करते समय बहुत सतर्क रहती है।

1.3.3 कुछ मामलों में प्रवेश से इनकार करने का आधार

आरटीआई अधिनियम की धारा 9 कहती है,

"धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां पहुंच प्रदान करने के ऐसे अनुरोध में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा।"

ऐसी कोई भी जानकारी जिसका कॉपीराइट राज्य में मौजूद न हो, किसी भी परिस्थिति में उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। हालाँकि यह अस्वीकृति एक योग्य छूट नहीं है, लेकिन यह पूर्ण है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य कॉपीराइट उल्लंघन और इसी तरह के मामलों में सरकारी एजेंसियों द्वारा आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग को रोकना है।

1.3.4 सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत छूट प्राप्त संगठन

आरटीआई अधिनियम की धारा 24 कहती है,

"(1) इस अधिनियम की कोई भी बात दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा सरकार को दी गई कोई भी जानकारी:

इसमें यह प्रावधान है कि भ्रष्टाचार और मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को इस उपधारा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में है, तो सूचना केवल केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद ही प्रदान की जाएगी, और धारा 7 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित 25 संगठनों को छूट दी गई है:

1. खुफिया ब्यूरो
2. कैबिनेट सचिवालय का अनुसंधान और विश्लेषण विंग
3. खुफिया ब्यूरो निदेशालय
4. केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो
5. प्रवर्तन निदेशालय
6. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
7. विमानन अनुसंधान केंद्र
8. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स
9. सीमा सुरक्षा बल
10. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
11. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

Machine Translated by Google

12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
14. असम राइफल्स
15. सशस्त्र सीमा बल
16. आयकर निदेशालय (जांच)
17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन
18. वित्तीय खुफिया इकाई, भारत
19. विशेष सुरक्षा समूह
20. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
21. सीमा सड़क विकास बोर्ड
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
23. केंद्रीय जांच ब्यूरो
24. राष्ट्रीय जांच एजेंसी
25. राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड

1.4 सारांश

सूचना का अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अधिनियम की धारा 8 और 9 में कुछ अपवाद दिए गए हैं, जिसके तहत कोई सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य परस्पर विरोधी सार्वजनिक और निजी हितों में सामंजस्य स्थापित करना है। अधिनियम के प्रावधान किसी व्यक्ति को उसकी शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, लेकिन साथ ही उस व्यक्ति को शिकायत का समाधान न होने तक वही जानकारी प्राप्त करने से रोकते हैं। इसी तरह, सीपीआईओ के पास उपलब्ध डेटा या सूचना के बारे में अन्य नागरिकों की गोपनीयता को भी उनकी निजता के अधिकार के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले हैं जो हमें बताते हैं कि ऐसे प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है।

लोकतांत्रिक प्रणालियों के प्रभावी कामकाज के लिए सार्वजनिक सूचना तक पहुँच को मौलिक महत्व माना जाता है, क्योंकि यह सरकारों और सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही को बढ़ाता है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाता है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में सूचित भागीदारी की अनुमति देता है और इसे केवल वैध कारणों के आधार पर ही छुपाया जा सकता है, जिसका विस्तृत विवरण कानून में होना चाहिए। इस इकाई में हमने उन सभी आधारों पर चर्चा की, जिनके आधार पर एक पीआईओ को सूचना देने से मना किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित के कुछ संगठनों को भी अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

1.5शब्दावली

1. ITAT: आयकर आयुक्त (अपील) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी है। ITAT का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और यह कानून मंत्रालय के अधीन काम करता है।

2. सीपीआईओ: किसी सार्वजनिक प्राधिकरण का केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

3. जूरी सदस्य: जूरी का एक सदस्य।

Machine Translated by Google

4. सीआईसी: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार के तहत 2005 में स्थापित एक अधिकृत निकाय है, जो उन व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि या तो अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, या क्योंकि संबंधित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने सूचना प्राप्त करने से इनकार कर दिया है।

आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन।

1.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

(i) आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा/धाराएं मुख्य रूप से सूचना के प्रकटीकरण से छूट के आधार से संबंधित हैं?

(ii) आरटीआई अधिनियम की किस धारा के तहत किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना को प्रकटीकरण से छूट दी गई है? (iii) क्या किसी मरीज के चिकित्सा विवरण ऐसे मरीज के पति/पत्नी को दिए जा
सकते हैं?

2. रिक्त स्थान भरें

(i) "....." से तात्पर्य जनता के सामान्य कल्याण से है जिसे मान्यता की आवश्यकता है और
सुरक्षा।
(ii) .....अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराना नियम है और सूचना देने से इनकार करना अपवाद है।

3. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(मैं) किसी मरीज के चिकित्सा उपचार पर हुए कुल व्यय की जानकारी सीपीआईओ द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

(क) सत्य, (ख) असत्य.

(ii) धारा 8(3) के अंतर्गत यह अनिवार्य है कि सभी सूचनाएं या अभिलेख
20 वर्ष की अवधि तक बनाए रखा जाएगा।
(क) सत्य, (ख) असत्य.

1.7संदर्भ

1. डॉ. दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान का परिचय
2. बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

Machine Translated by Google

को जानकारी - उपयोगकर्ता
3. राइट गाइड; http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/user_guide/info_not_access.ht
एम
4. http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/info-act/cic-decisons-exemptns.pdf
5. http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_BS_A_2012_001377_2985_M_114738.pdf

1.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. डॉ. दुर्गा दास बसु, भारत के संविधान का परिचय; लेक्सिस नेक्सिस, बटरवर्थ
वाधवा, नागपुर
2. https://www.drysrhu.edu.in/word/GuideonRTI.pdf
3. बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
4. http://rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_BS_A_2012_001377_2985_M_114738.pdf
5. डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित
6. भारत में सूचना का अधिकार कानून, एन.वी. परांजपे द्वारा
7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जितेश धनराजानी द्वारा

1.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. 'जीवन अधिक सार्थक और जीने योग्य है' वाक्यांश को संक्षेप में समझाइए।
2. व्यक्तिगत जानकारी से आप क्या समझते हैं? क्या यह अधिनियम के तहत प्रकटीकरण के लिए छूट का आधार है?
3. क्या जनता को नीति-निर्माण को समझने के लिए प्रासंगिक जानकारी तक पहुंचने का अधिकार है? प्रक्रिया क्या है? समझाइए।
4. सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त संगठनों के नाम बताइए।
5. उन आधारों पर एक निबंध लिखें जिनके तहत सूचना के प्रकटीकरण को छूट दी गई है कार्यवाही करना।

1.10 उत्तर

एसएक्यूएस

1. (i) धारा 8 और 9; 1.1 1.3.1.10 देखें (ii) धारा 8 (1) (एफ); 1.3.1.6 देखें (iii) नहीं; देखें

2. (i) जनहित; 1.3.1.11 देखें (ii) आरटीआई; 1.3.2 देखें

3. (i) सत्य; 1.3.1.10 देखें (ii) असत्य; 1.3.1.10 देखें

टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. 1.3.1.7 देखें
2. 1.3.2 देखें
3. 1.3.1.9 देखें
4. 1.3.4 देखें

Machine Translated by Google

युनिट 2

सूचना के लिए जनहित परीक्षण

संरचना

2.1 परिचय

2.2 उद्देश्य

2.3 विषय

2.3.1 'सार्वजनिक हित' का अर्थ 2.3.2 सार्वजनिक हित
परीक्षण 2.3.3 अन्य देशों में सार्वजनिक हित परीक्षण

2.3.3 .1 यूनाइटेड किंगडम - सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2.3.3 .2 न्यू साउथ वेल्स -
सरकारी सूचना (सार्वजनिक पहुंच) अधिनियम 2.3.3 .3 संयुक्त राज्य अमेरिका - सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम

2.4 सारांश

2.5 शब्दावली 2.6 एसएक्यूएस 2.7

संदर्भ

2.8 सुझाए गए पठन सामग्री

2.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न 2.10 उत्तर SAQS

Machine Translated by Google

2.1 परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, लेकिन जहां सूचना के प्रकटीकरण से अन्य सार्वजनिक हितों के साथ टकराव की संभावना है, जिसमें सरकारों का कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता का संरक्षण शामिल है, यानी ऐसी सूचना जो शासकीय निकायों के कामकाज को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, दूसरे शब्दों में यह अप्रत्यक्ष रूप से बड़े सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा सकती है, उसे प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। सूचना के लिए सार्वजनिक हित परीक्षण के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए। पिछली इकाई में हमने आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के प्रकटीकरण के लिए छूट के बारे में चर्चा की। वर्तमान इकाई में हम उन सार्वजनिक हित परीक्षणों पर चर्चा करते हैं जो सूचना तक पहुँच के अधिकार पर प्रतिबंधों के आनुपातिक और आवश्यक होने की आवश्यकताओं से निकलते हैं।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप:

- 'सार्वजनिक हित' की परिभाषा जानें
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में सूचना के लिए जनहित परीक्षण के मानदंड को समझें
- अन्य देशों में सूचना के लिए जनहित परीक्षण को समझें

2.3 विषय

2.3.1 'सार्वजनिक हित' का अर्थ

आरटीआई अधिनियम में "सार्वजनिक हित" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए सार्वजनिक प्राधिकरण, अपीलीय प्राधिकरण और सूचना आयुक्तों को प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसकी योग्यता और किसी उभरते हुए मार्गदर्शन या सर्वोत्तम अभ्यास के आधार पर करना होगा। सार्वजनिक हित समय के साथ बदलता रहेगा और यह प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। सार्वजनिक हित पर विचार मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि 'सार्वजनिक उद्देश्य' की व्याख्या सख्त अर्थों में की जानी चाहिए और सार्वजनिक हित की व्याख्या निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच संतुलन को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।31 एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, "आम बोलचाल में, "सार्वजनिक हित" की अभिव्यक्ति, "सार्वजनिक उद्देश्य" की तरह, किसी भी सटीक परिभाषा के योग्य नहीं है। इसका कोई कठोर अर्थ नहीं है, यह लचीला है और जिस क़ानून में यह आता है, उसी से अपना रंग लेता है, यह अवधारणा समय और समाज की स्थिति और उसकी ज़रूरतों के साथ बदलती रहती है32 ।

सार्वजनिक हित को एक ऐसे शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मानव आचरण के मानकों और सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के कामकाज के उन पहलुओं को शामिल किया गया है, जिन्हें समाज की अच्छी व्यवस्था और लोगों की भलाई के लिए मौन रूप से स्वीकार किया जाता है।

31बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैय्यद हुसैन अब्बास रिज़वी (2012) 13 एससीसी 61
32बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह एआईआर 1952 एससी 252

Machine Translated by Google

इसके सदस्यों का हित इसलिए जनता का हित है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित से अलग है।33

2.3.2 जनहित परीक्षण

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, यहां तक कि जहां छूट प्रावधान या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लागू होता है, वहां भी अधिकारी को मांगी गई सूचना का खुलासा करना होगा "यदि खुलासे से सार्वजनिक हित संरक्षित हितों को होने वाले नुकसान से अधिक है"।34

धारा 8(2) में जनहित के प्रावधान को लागू करते समय, अधिकारियों को अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार सूचना के प्रकटीकरण को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए यथासंभव अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। व्यवहार में, अधिकारियों को किसी विशेष मामले के प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण के पक्ष में सभी जनहित विचारों को लिखित रूप में पहचानना चाहिए।

जनहित कारकों की सामान्य रूप से पहचान करना पर्याप्त नहीं है। संगठन को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि किसी विशेष जानकारी के प्रकटीकरण से उस विशेष जनहित कारक को कुछ नुकसान या लाभ होगा, इससे पहले कि वह प्रासंगिक हो जाए।

पहचाने गए सार्वजनिक हित के मुद्दों की तुलनात्मक ताकत/महत्व को एक दूसरे के खिलाफ तौला जाना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि प्रकटीकरण के पक्षधर लोग गैर-प्रकटीकरण के पक्षधर लोगों से अधिक हैं या नहीं। नुकसान या लाभ की सीमा कारक को दिए जाने वाले महत्व को प्रभावित करेगी। प्रतिस्पर्धी हितों का मूल्यांकन करते समय, प्रकटीकरण से होने वाले किसी भी संभावित नुकसान और इस तथ्य पर विचार करें कि जानकारी आम तौर पर समय के साथ कम संवेदनशील हो जाती है। सक्रिय रहें और विचार करें कि क्या आधिकारिक दस्तावेज़ पर लागू छूट अपने उद्देश्य से बाहर हो गई है। विचार करें कि क्या धारा 8(1)35 में किसी भी छूट की सभी आवश्यकताएँ पूरी होती हैं

संतुष्ट हैं। प्रकटीकरण के पक्ष और विपक्ष में सभी जनहित कारकों की पहचान करें। प्रत्येक कारक के भार का मूल्यांकन करना और यह तय करना महत्वपूर्ण है कि प्रकटीकरण के विरुद्ध कारक प्रकटीकरण के कारकों से अधिक हैं या नहीं। और जहां कोई अधिकारी अंततः प्रकटीकरण को रोकने के लिए छूट पर भरोसा करने का फैसला करता है, केंद्रीय अधिनियम की आवश्यकता है कि उन्हें आवेदक को अपने कारण बताने होंगे। इन कारणों में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जनहित ओवरराइड पर कैसे विचार किया गया और इसे कैसे लागू किया गया। छूट पर विचार करते समय हर कदम पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का एक विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, ताकि यदि आवेदक समीक्षा का अनुरोध करता है या बाद में निर्णय के लिए आयुक्त से अपील करता है, तो जनहित परीक्षण के संबंध में विचार किए गए तर्कों का स्पष्ट रिकॉर्ड हो। इससे आवेदक को यह समझने में भी मदद मिलेगी कि निर्णय कैसे किया गया

सार्वजनिक प्राधिकरणों को उन सभी कारकों का साक्ष्य प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए जिन्हें किसी भी छूट पर सार्वजनिक हित परीक्षण लागू करते समय ध्यान में रखा गया था। केवल उन सभी कारकों को सूचीबद्ध करना पर्याप्त नहीं होगा जो उन्हें लगता था कि सार्वजनिक हित के विपरीत थे।

33सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1999; त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य;http://www.foia.gov.tt/node/10

34आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(2)

35आरटीआई अधिनियम, 2005

Machine Translated by Google

इसके बजाय, अधिकारियों को प्रकटीकरण के पक्ष और विपक्ष में सभी जनहित कारक प्रदान करने चाहिए, जिन्हें परीक्षण लागू करते समय ध्यान में रखा गया था। उन्हें यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि प्रकटीकरण के कारण कोई विशिष्ट नुकसान होगा।

इस परीक्षण के बारे में यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इसमें प्रकटीकरण के पक्ष में पूर्वधारणा है।
यह दिखाने का दायित्व सार्वजनिक प्राधिकरण पर है कि सूचना को रोकने में सार्वजनिक हित, प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित से अधिक है। ऐसे कारक हो सकते हैं जो अनुरोधित विशेष सूचना को प्रकट करने में सार्वजनिक हित बनाते हैं, उदाहरण के लिए:

- सूचना किसी ऐसे मुद्दे से संबंधित है जो बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है;
- यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि सार्वजनिक धन कैसे खर्च किया जा रहा है;
- यह ऐसे मामले से संबंधित है जो सार्वजनिक विवाद का विषय है;
- प्रकटीकरण से व्यक्तियों को महत्वपूर्ण मामलों पर अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।36

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "धारा 8 अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है क्योंकि यह सूचना प्रदान करने के दायित्व के सामान्य नियम का अपवाद है। यह उन मामलों की श्रेणी देता है जहाँ सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना प्रदान करने से छूट दी गई है। ऐसी छूटों के लिए, कुछ प्रावधानों के तहत अंतर्निहित अपवाद हैं, जहाँ छूट के बावजूद; आयोग व्यापक सार्वजनिक हित में सूचना प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को बुला सकता है। यह कानून के निर्माताओं द्वारा इच्छित इन प्रावधानों के व्यापक दायरे को दर्शाता है। ऐसे मामलों में, सूचना आयोग को यह विचार करना होगा कि क्या यह उक्त धारा के प्रावधानों के अंतर्गत छूट का मामला है... 'सार्वजनिक हित' अभिव्यक्ति को उसके वास्तविक अर्थ में समझना होगा ताकि अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को पूर्ण अर्थ दिया जा सके। अधिनियम के संदर्भ में वैधानिक छूट से इनकार करने को उचित ठहराने के लिए 'सार्वजनिक हित' अभिव्यक्ति को उसके सभी अपवादों के साथ उसके सख्त अर्थ में देखा जाना चाहिए। अपनी आम बोलचाल में, 'सार्वजनिक उद्देश्य' की तरह 'सार्वजनिक हित' अभिव्यक्ति भी किसी सटीक परिभाषा के योग्य नहीं है। इसका कोई कठोर अर्थ नहीं है, यह लचीला है और जिस कानून में यह आता है, उसी से इसका रंग मिलता है, यह अवधारणा समय और समाज की स्थिति और उसकी आवश्यकताओं के साथ बदलती रहती है। [बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह (एआईआर 1952 एससी 252)]। इसका अर्थ जनता का सामान्य कल्याण भी है, जिसके लिए संस्तुति और संरक्षण की आवश्यकता है; ऐसा कुछ जिसमें समग्र रूप से जनता की हिस्सेदारी हो [ब्लैक लॉ डिक्शनरी (आठवां संस्करण)]37

2.3.2 अन्य देशों में जनहित परीक्षण

2.3.3.1 यूनाइटेड किंगडम- सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम38

36सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1999; त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य;http://www.foia.gov.tt/node/10

37बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैय्यद हुसैन अब्बास रिजवी एवं अन्य [सिविल अपील संख्या 9052/2012 एसएलपी (सी) संख्या 20217/2011 से उत्पन्न]

38सूचना आयुक्त कार्यालय;https://
ico.org.uk/media/fororganisations/documents/1183/the_public_interest_test.pdf

Machine Translated by Google

यहाँ सार्वजनिक हित का अर्थ सार्वजनिक भलाई है, न कि वह जो जनता के हित में हो, न कि अनुरोधकर्ता के निजी हित। सार्वजनिक हित परीक्षण करने में प्राधिकरण को उस समय की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिस समय वह अनुरोध से निपटता है। यदि आंतरिक समीक्षा की जा रही है, तो वह समीक्षा पूरी होने तक की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है। प्राधिकरण को अनुरोध की परिस्थितियों में सार्वजनिक हित के संतुलन पर विचार करना चाहिए।

पारदर्शिता हमेशा आम जनता के हित में एक मुख्य कारक होगी। सूचना से संबंधित मुद्दे के बारे में पारदर्शिता में भी जनहित हो सकता है। प्राधिकरण को उन सभी जनहितों पर विचार करना चाहिए जो सूचना का खुलासा करके पूरे होंगे। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से गलत काम करने का उचित संदेह है, तो इससे खुलासे में जनहित पैदा हो सकता है। और यहां तक कि जहां ऐसा नहीं है, वहां भी पूरी तस्वीर प्रदान करने के लिए सूचना जारी करने में जनहित है।

एफ.ओ.आई.ए. के अंतर्गत जनहित परीक्षण करते समय सूचना के लिए अनुरोध का समय एक महत्वपूर्ण कारक होता है:

- जनहित परीक्षण करते समय सार्वजनिक प्राधिकरण को उस समय की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जिस समय वह अनुरोध पर विचार कर रहा है। यदि कोई प्राधिकरण आंतरिक समीक्षा कर रहा है तो वह समीक्षा पूरी होने तक की परिस्थितियों पर विचार कर सकता है।

- जनहित परीक्षण करते समय, प्राधिकरण को सूचना का खुलासा करने के पक्ष में तर्कों और छूट को बनाए रखने के पक्ष में तर्कों पर विचार करना चाहिए। प्राधिकरण को यह निष्पक्ष रूप से करने का प्रयास करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि दोनों पक्षों की ओर से हमेशा तर्क दिए जाने चाहिए। प्राधिकरण के लिए यह मददगार हो सकता है कि वह दोनों पक्षों की ओर से विचार किए जा रहे तर्कों को दर्शाने वाली एक सूची तैयार करे, इससे तर्कों के सापेक्ष वजन का आकलन करने में मदद मिलेगी।

- ऐसे दुर्लभ मामले हो सकते हैं जहाँ इस समय के बाद की घटनाएँ जनहित परीक्षण के संतुलन को इस तरह बदल देती हैं कि प्रकटीकरण अनुचित या अवांछनीय हो जाता है। यदि ऐसा है, तो आयुक्त के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि वह प्राधिकरण को क्या करने का आदेश देता है।

2.3.3.2न्यू साउथ वेल्स - सरकारी सूचना (सार्वजनिक पहुंच) अधिनियम39

एनएसडब्ल्यू में सूचना के अधिकार की नई प्रणाली का उद्देश्य जिम्मेदार और प्रतिनिधि सरकार को बढ़ावा देना है जो खुली, जवाबदेह और निष्पक्ष हो।

सरकारी सूचना (सार्वजनिक पहुँच) अधिनियम 2009 (GIPA अधिनियम) के तहत, सभी सरकारी एजेंसियों को सूचना का खुलासा या रिलीज़ करना चाहिए, जब तक कि प्रकटीकरण के खिलाफ़ कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित न हो। सूचना जारी करने का निर्णय लेते समय, कर्मचारियों को सार्वजनिक हित परीक्षण लागू करना चाहिए। इसका मतलब है, उन्हें प्रकटीकरण के पक्ष में कारकों को प्रकटीकरण के खिलाफ़ सार्वजनिक हित कारकों के विरुद्ध तौलना चाहिए।

39सूचना और गोपनीयता आयोग, एनएसडब्ल्यू (ऑस्ट्रेलिया);https://www.ipc.nsw.gov.au/fact-sheet-what-public-रुचि परीक्षण

Machine Translated by Google

जब तक कि प्रकटीकरण के विरुद्ध कोई सर्वोपरि सार्वजनिक हित न हो, एजेंसियों को जानकारी अवश्य प्रदान करनी चाहिए। इस सामान्य नियम के कुछ सीमित अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, जहाँ किसी आवेदन से निपटना एजेंसी के काम का एक महत्वपूर्ण और अनुचित विचलन होगा।

संसाधन।

सरकारी सूचना (सार्वजनिक) नियम 1973 के अनुसार जनहित परीक्षण लागू करना

एक्सेस) अधिनियम 2009 (जीआईपीए अधिनियम)

जनहित परीक्षण में तीन चरण शामिल हैं:

1. प्रकटीकरण के पक्ष में प्रासंगिक सार्वजनिक हित संबंधी विचारों की पहचान करना;
2. प्रकटीकरण के विरुद्ध प्रासंगिक सार्वजनिक हित संबंधी विचारों की पहचान करना;
3. प्रकटीकरण के पक्ष और विपक्ष में जनहित के विचारों का महत्व निर्धारित करें
   और उन हितों के बीच संतुलन कहाँ निहित है।

जीआईपीए अधिनियम (धारा 14) प्रकटीकरण के विरुद्ध जनहित संबंधी विचारों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है। ये प्रकटीकरण के विरुद्ध एकमात्र विचार हैं जिन पर एजेंसियां जनहित परीक्षण लागू करते समय विचार कर सकती हैं।

विचार-विमर्श को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है:

- जिम्मेदार और प्रभावी सरकार;
- कानून प्रवर्तन और सुरक्षा;
- व्यक्तिगत अधिकार, न्यायिक प्रक्रियाएँ और प्राकृतिक न्याय;
- एजेंसियों और अन्य व्यक्तियों के व्यावसायिक हित;
- पर्यावरण, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामान्य मामले;
- गोपनीयता प्रावधान

अंतरराज्यीय सूचना की स्वतंत्रता कानून के तहत छूट प्राप्त दस्तावेज।

जीआईपीए अधिनियम कहता है कि जनहित परीक्षण लागू करते समय एजेंसियों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए:

- इस खुलासे से सरकार या किसी अन्य के लिए शर्मिंदगी या विश्वास की कमी हो सकती है।
  एजेंसी;
- प्रकट की गई किसी भी जानकारी की किसी व्यक्ति द्वारा गलत व्याख्या या गलत समझा जा सकता है।

किसी आवेदन का निर्धारण करते समय, एजेंसियों को धारा 15(ए)40 के अनुसार सार्वजनिक हित के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण पर विचार करना चाहिए और आवेदन से संबंधित किसी भी व्यक्तिगत कारक पर विचार कर सकती हैं।

प्रकटीकरण के विरुद्ध एक या अनेक जनहित संबंधी विचारों की पहचान सूचना प्रदान करने से इंकार करने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है। एजेंसियाँ अपना निर्णय उसके बाद लेंगी

[40] जीआईपीए अधिनियम

Machine Translated by Google

प्रकटीकरण के पक्ष और विपक्ष में प्रासंगिक विचारों को संतुलित करना। प्रत्येक मामले में, एजेंसियाँ कई कारकों पर विचार करेंगी, जिनमें शामिल हैं:

- सूचना की प्रकृति और संदर्भ;
- आवेदन के कोई भी व्यक्तिगत कारक (जीआईपीए अधिनियम की धारा 55 के तहत);
- प्रकटीकरण के पक्ष और विपक्ष में सार्वजनिक हित के विचारों का सापेक्षिक महत्व।

एजेंसियों को केवल तभी जानकारी का खुलासा करने से मना करना चाहिए, जब संतुलन के आधार पर, खुलासे के खिलाफ़ सार्वजनिक हित सर्वोपरि हो। जहां संतुलन पर विचार खुलासे के पक्ष में हैं, या समान रूप से संतुलित हैं, प्रकटीकरण के पक्ष में धारणा बनी रहती है, और जानकारी प्रकाशित या जारी की जानी चाहिए।

जनहित परीक्षण के लिए 'संतुलन' दृष्टिकोण अधिकांश परिस्थितियों में लागू होता है। हालाँकि, सूचना की 12 श्रेणियों41 के संबंध में, प्रकटीकरण के विरुद्ध हमेशा एक सर्वोपरि जनहित होता है।

2.3.3.3 संयुक्त राज्य अमेरिका - सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम42

गोपनीयता छूट43 सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम की दो सबसे कठिन छूट हैं, जिनके आवेदन में एक नाजुक संतुलन प्रक्रिया शामिल है। इस प्रक्रिया के लिए एजेंसियों को संतुलन के एक तरफ ध्यान में रखे जाने वाले विभिन्न संरक्षित गोपनीयता हितों के साथ-साथ सार्वजनिक हित के विचारों के प्रकारों से परिचित होना आवश्यक है, जो संतुलन के दूसरे पक्ष में उचित रूप से कारक हैं। पारंपरिक छूट 7(सी)44 के तहत

विश्लेषण, एक बार गोपनीयता हित की पहचान हो जाने और उसके परिमाण का आकलन हो जाने के बाद, इसे किसी भी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक हित के परिमाण के विरुद्ध संतुलित किया जाता है जिसे प्रकटीकरण द्वारा पूरा किया जाएगा। इस मुद्दे पर अमेरिका की अदालतों द्वारा लिए गए निर्णयों की एक सूची है। कुछ इस प्रकार हैं:

जहां अनुरोध में ऐसी सूचना मांगी जाती है जो स्पष्ट रूप से गोपनीयता हित को शामिल करती है, और अनुरोधकर्ता संज्ञेय सार्वजनिक हित का दावा करने में विफल रहा है, न्यायालयों ने एजेंसियों द्वारा खोज किए बिना, संभवतः उत्तरदायी अभिलेखों को स्पष्ट रूप से संरक्षित करने के लिए छूट 7(सी)45 के उपयोग को बरकरार रखा है।46

रिपोर्टर्स कमेटी के अनुसार, FOIA के तहत मान्यता प्राप्त सार्वजनिक हित विशेष रूप से FOIA के "मुख्य उद्देश्य" तक सीमित है, "किसी एजेंसी के अपने वैधानिक कर्तव्यों के प्रदर्शन पर प्रकाश डालना।"47 तदनुसार, ऐसी सूचना जो एजेंसी के संचालन और गतिविधियों का खुलासा नहीं करती है, उसे रिपोर्टर्स कमेटी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

41एफओआई अधिनियम के तहत वर्णन करें; न्यू साउथ वेल्स (ऑस्ट्रेलिया)

42 संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय विभाग; https://www.justice.gov/oip/blog/foia-update-foia-counselor-factoring-सार्वजनिक हित और सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के न्याय विभाग की मार्गदर्शिका; https://www.justice.gov/sites/default/files/oip/legacy/2014/07/23/exemption7c.pdf#p21

एफओआईए की धारा 436 और 7(सी); संयुक्त राज्य अमेरिका

44[का] FOIA; संयुक्त राज्य अमेरिका

45वही;

46 ब्लैकवेल बनाम एफबीआई, 646 एफ.3डी 37, 42 (डीसी सर्किल 2011) देखें

47 रिपोर्टर्स कम्यूनिकेशन, 489 यू.एस., 773 देखें

Machine Translated by Google

सरकार जनहित की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।48 परिणामस्वरूप, न्यायालयों ने शायद ही कभी किसी जनहित को मान्यता दी है, जैसा कि रिपोर्टर्स कमेटी द्वारा परिभाषित किया गया है, किसी व्यक्ति की सजा को चुनौती देने में सहायता करने के लिए मांगी गई जानकारी के प्रकटीकरण में।49

पाया गया है कि मुकदमे के संबंध में सूचना के लिए FOIA अनुरोधकर्ता की निजी आवश्यकता यह निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है कि प्रकटीकरण उचित है या नहीं। केवल इस संभावना से कि सूचना मुकदमे के अनुसरण में किसी व्यक्ति की सहायता कर सकती है, जनहित उत्पन्न नहीं होता है।50

एनएआरए बनाम फेविश मामले में, सर्वोच्च न्यायालय51 ने प्रकटीकरण में जनहित को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक प्रदर्शन को संबोधित किया, जहां सरकारी गलत कार्य का आरोप लगाया गया हो।52 यदि अनुरोधकर्ता प्रकटीकरण में जनहित की पहचान करने में विफल रहता है और अनुरोधित सामग्री में गोपनीयता हित है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट के लिए अपील न्यायालय ने कहा है कि "हमें संतुलन पर अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है; कुछ, यहां तक कि एक मामूली गोपनीयता हित भी, हर बार कुछ नहीं से अधिक महत्वपूर्ण होता है।"53

इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक हित परीक्षण का निर्णय करते समय गोपनीयता एक महत्वपूर्ण कारक है।
सर्वोच्च न्यायालय (अमेरिका) के अनुसार, "सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के मूल उद्देश्य के संरक्षण के विरुद्ध व्यक्ति के गोपनीयता के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता है। "54 इस प्रक्रिया के लिए एजेंसियों को विभिन्न संरक्षित गोपनीयता हितों से परिचित होना आवश्यक है, जिन्हें संतुलन के एक तरफ ध्यान में रखा जाना चाहिए, साथ ही सार्वजनिक हित के विचारों के प्रकारों से भी परिचित होना चाहिए, जो संतुलन के दूसरी तरफ उचित रूप से कारक हैं।

2.4 सारांश

इस इकाई में हमने उन मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर जनहित परीक्षण सहित सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय विचार किया जाना चाहिए। 'जनहित' शब्द का उल्लेख आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (जे) और 8(2) में गोपनीयता के अधिकार और सार्वजनिक क्षति के संबंध में किया गया है।
सार्वजनिक हित क्या है, इसकी परिभाषा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है और अक्सर मामले-दर-मामला मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। आम तौर पर प्रकटीकरण के पक्ष में सार्वजनिक हित के मुद्दों में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं:

- सार्वजनिक धन के लिए जवाबदेही;
- सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित मामले;
- पर्यावरण से संबंधित मुद्दे;
- स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे;
- गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित जानकारी;

48 उक्त

49 हॉकिन्स बनाम डीईए, 347 एफ. परिशिष्ट 223, 225 (7वां सर्किट, 2009) (यह निष्कर्ष निकालते हुए कि "किसी कैदी का अपने ही कैदी पर हमला करने में हित है" दोषसिद्धि सार्वजनिक हित में नहीं है");

50 मैसी, 3 एफ.3डी 625 पर;

51[अमेरिका का]

52541 यूएस 157.

53नेशनल एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड फेड एम्प्लॉइज बनाम हॉर्नर, 879 एफ.2डी 873, 879 (डीसी सर्किल 1989)

54वायु सेना विभाग बनाम रोज़, 425 यू.एस. 352, 372

Machine Translated by Google

- लोक प्रशासन से संबंधित मामले;
- शिक्षा से संबंधित मामले;
- रोजगार से संबंधित मामले;
- जन भागीदारी और जन जागरूकता से संबंधित सभी मामले।

मानवाधिकार उल्लंघन या मानवता के विरुद्ध अपराध से संबंधित सूचना के मामले में अनिवार्य सार्वजनिक हित अधिरोहण को अमेरिकी और अफ्रीकी प्रणाली सहित कई मॉडलों के तहत मान्यता प्राप्त है।

सीआईसी ने फैसला सुनाया कि, केवल इसलिए कि सूचना का खुलासा सार्वजनिक रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है चूककर्ता संस्थाओं में विश्वास, यह सूचना देने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता।

आरटीआई अधिनियम। 4 नवंबर 2011 को फैसला देते हुए, तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा, "आरबीआई एक नियामक प्राधिकरण है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना के अधिकार के लिए जिम्मेदार है।"

साथ ही अधीनस्थ बैंकों और संस्थानों की निगरानी करना। केवल इसलिए कि ऐसी जानकारी का खुलासा चूक करने वाले संस्थानों में जनता के विश्वास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, यह आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता। यदि ऐसे बैंकों और संस्थानों के कामकाज और कामकाज में कुछ अनियमितताएं हैं, तो नागरिकों को निश्चित रूप से इसके बारे में जानने का अधिकार है। उसी के मद्देनजर, यह खंडपीठ इस राय पर है कि भले ही मांगी गई जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) या (ई) के तहत छूट दी गई हो, जैसा कि पीआईओ ने कहा है, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(2) सूचना के प्रकटीकरण को अनिवार्य करेगी। पूर्ण पीठ ने यह भी निष्कर्ष निकाला था कि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित था और मैं इसके निष्कर्ष से सहमत हूं।"55

2.5 शब्दावली

5. सीआईसी: सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्थापित केंद्रीय सूचना आयोग, भारत सरकार के तहत 2005 में स्थापित एक अधिकृत निकाय है, जो उन व्यक्तियों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचना अनुरोध प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि या तो अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है, या क्योंकि संबंधित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने सूचना प्राप्त करने से इनकार कर दिया है। आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन।
6. धारा 8(2): आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (2) कहती है, "आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी या उप-धारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक है।"

55आरआर पटेल बनाम आरबीआई (सीआईसी/एमए/ए/2006/00406 और 00150, दिनांक 7 दिसंबर 2006)

Machine Translated by Google

2.6 एसएक्यूएस

4. लघु उत्तरीय प्रश्न

(i) क्या आरटीआई अधिनियम में 'सार्वजनिक हित' शब्द को परिभाषित किया गया है?

(ii) संयुक्त राज्य अमेरिका सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है

क्या कोई ऐसा अधिनियम है, जो सूचना का खुलासा करना कठिन बनाता है?

5. रिक्त स्थान भरें

(मैं) आरटीआई अधिनियम में "....." शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। (ii) सूचना की

स्वतंत्रता अधिनियम (यूके) के तहत अनुरोध की .....

जनहित परीक्षण करते समय सूचना एक महत्वपूर्ण कारक है।

6. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(मैं) सार्वजनिक हित समय के साथ बदलता रहेगा और यह प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। (क) सत्य, (ख) असत्य।

(ii) यह दर्शाने का दायित्व सार्वजनिक प्राधिकरण पर है कि सूचना को रोकने में सार्वजनिक हित, प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित से अधिक है।

(क) सत्य, (ख) असत्य.

2.7 संदर्भ

1. बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2. https://www.ipc.nsw.gov.au/fact-sheet-what-public-interest-test
3. https://ico.org.uk/media/fororganisations/documents/1183/the_public_interest_test.pdf
4. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1999; त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य ;http://www.foia.gov.tt/node/10

2.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 1999; त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य
3. सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, संयुक्त राज्य अमेरिका
4. डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित
5. भारत में सूचना का अधिकार कानून, एन.वी. परांजपे द्वारा
6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जितेश धनराजानी द्वारा
7.

2.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

Machine Translated by Google

1. "केवल इसलिए कि सूचना के प्रकटीकरण से जनता के विश्वास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
चूककर्ता संस्थानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है।
व्याख्या करना।
2. जनहित परीक्षण से आप क्या समझते हैं?
3. आरटीआई अधिनियम के दायरे में सूचना के लिए जनहित परीक्षण के मानदंडों की व्याख्या करें।
4. जनहित परीक्षण के दौरान प्रकटीकरण के पक्ष में सामान्य मुद्दे क्या हैं?

2.10 उत्तर

एसएक्यूएस

1. (i) नहीं; 2.3.1 देखें (ii) गोपनीयता 2.3.3.4 देखें
2. (i) सार्वजनिक हित 2.3.1 देखें (ii) समय 2.3.3.1 देखें
3. (i) सत्य; 2.3.1 देखें (ii) सत्य; 2.3.2 देखें

टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. 2.3.2 देखें
2. 2.3.1 देखें
3. 2.3.2 देखें
4. 2.3.3 और 2.4 देखें

Machine Translated by Google

इकाई 3

आंशिक प्रकटीकरण और तीसरे पक्ष के लिए आधार

पार्टी की जानकारी

संरचना

3.1 परिचय

3.2 उद्देश्य

3.3 विषय

3.3.1 पृथक्करण का सिद्धांत

3.3.2 आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना की पृथक्करणीयता

1. आरटीआई अधिनियम की धारा 10

2. आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1)(आई)

3.3.3 आंशिक प्रकटीकरण के आधार

3.3.4 'तीसरे पक्ष' की परिभाषा

3.3.5 तीसरे पक्ष की जानकारी; धारा 11

3.3.5.1 लोक सूचना अधिकारी को धारा 11 में दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करते समय

3.3.5.2 कानून द्वारा संरक्षित तीसरे पक्ष की जानकारी का प्रकटीकरण

3.4 सारांश

3.5 शब्दावली

3.6 एसएक्यूएस

3.7 संदर्भ

3.8 सुझाए गए पठन सामग्री

3.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

3.10 उत्तर SAQS

Machine Translated by Google

3.1 परिचय

जैसा कि आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना देने से मना किया जा सकता है। छूट के अलावा, रिकॉर्ड के उस हिस्से तक सूचना तक पहुंच प्रदान की जा सकती है जिसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई हो। इस प्रकार पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जाता है।

जहाँ कोई आवेदक ऐसी कोई सूचना चाहता है जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा दी गई है और उस तीसरे पक्ष ने उस सूचना को गोपनीय माना है, तो इस मामले में लोक सूचना अधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं। ऐसे मामलों में मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को होने वाले किसी भी संभावित नुकसान या चोट से अधिक महत्वपूर्ण है।

वर्तमान इकाई में हम उपरोक्त दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, अर्थात् आंशिक प्रकटीकरण के आधार और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत तीसरे पक्ष की सूचना।

3.2उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे:

- पृथक्करण का सिद्धांत क्या है;
- आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के प्रावधान जिसके अंतर्गत सूचना की पृथक्करणीयता या पृथक्करण आता है;
- वे आधार जिन पर सूचना का आंशिक प्रकटीकरण किया जाना है
- तीसरे पक्ष की जानकारी के दौरान सार्वजनिक हित परीक्षण कैसे लागू होता है

3.3 विषय

3.3.1 पृथक्करण का सिद्धांत

पृथक्करण या पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि जब क़ानून का कोई भाग असंवैधानिक घोषित किया जाता है, तो असंवैधानिक भाग को हटा दिया जाना चाहिए और शेष वैध भाग वैध बना रहेगा। विचार यह है कि अधिनियम या विधान को बनाए रखा जाए केवल शून्य को त्यागकर / हटाकर लागू किया गया भाग को सुरक्षित रखना तथा शेष को अपने पास रखना।

यदि हम उपरोक्त को आरटीआई अधिनियम के संदर्भ में लागू करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब किसी आवेदक द्वारा मांगी गई कोई सूचना उक्त अधिनियम के तहत छूट प्राप्त है, तो रिकॉर्ड का वह हिस्सा जिसमें छूट प्राप्त नहीं हुई सूचना है, उसे यथोचित रूप से उक्त रिकॉर्ड से अलग किया जा सकता है और आवेदक को प्रदान किया जा सकता है।
आवेदक।

3.3.2 आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना की पृथक्करणीयता

1. आरटीआई अधिनियम की धारा 10

धारा 10 में कहा गया है:

(1) जहां सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि यह उस सूचना के संबंध में है जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है, तो इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद,
अधिनियम के तहत रिकार्ड के उस हिस्से तक पहुंच दी जा सकती है, जिससे ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं होती जो

Machine Translated by Google

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और जिसे छूट प्राप्त सूचना वाले किसी भी भाग से उचित रूप से अलग किया जा सकता है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान की जाती है, वहां केन्द्रीय जनसूचना अधिकारिण उस अभिलेख तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपधारा (2) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान करने के लिए उपधारा (3) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच प्रदान करने के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारिण उस अभिलेख तक पहुंच प्रदान करने के लिए केन्द्रीय जनसूचना अधिकारिण को निर्देश देगा।

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, आवेदक को एक नोटिस देगा, जिसमें सूचित किया जाएगा, -

(क) कि मांगे गए अभिलेख का केवल एक भाग, जिसमें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना वाले अभिलेख को अलग कर दिया गया है, उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) निर्णय के कारण, जिनमें तथ्य के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निष्कर्ष शामिल है, उस सामग्री का संदर्भ देते हुए जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे;

(ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा गणना की गई फीस का ब्यौरा तथा फीस की वह राशि जिसे आवेदक को जमा कराना अपेक्षित है; और

(ई) सूचना के भाग का खुलासा न करने, ली जाने वाली फीस की राशि या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्रकार, जिसमें धारा 19 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुंच के किसी अन्य प्रकार के बारे में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार। यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि धारा 1956 की उपधारा (1) में कहा गया है कि यदि कोई आवेदक अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, तो ऐसे निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर लोक प्राधिकरण में वरिष्ठ अधिकारी को अपील कर सकता है।

2. आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1)(आई)

उक्त अधिनियम की धारा 8 में सूचना के प्रकटीकरण से छूट के प्रावधान बताए गए हैं।
धारा 8(1)(i) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट के कागजात को प्रकटीकरण से छूट दी गई है। लेकिन इस उपधारा के प्रावधान के अनुसार:

"बशर्ते कि मंत्रिपरिषद का निर्णय, उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिया गया, निर्णय लिए जाने तथा मामला पूरा हो जाने या समाप्त हो जाने के पश्चात सार्वजनिक कर दी जाएगी।"

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि, उपरोक्त प्रावधान के तहत सूचना की पृथक्करणीयता या पृथक्करण समयबद्ध है। निर्णय हो जाने या मामला समाप्त हो जाने के बाद, सूचना का वह हिस्सा (या सामग्री जो अधिनियम के तहत छूट प्राप्त नहीं है) सार्वजनिक किया जा सकता है।

3.3.3.आंशिक प्रकटीकरण के आधार

56सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
57यूनिट 1 देखें

Machine Translated by Google

आइए उपरोक्त धाराओं के प्रावधानों या दूसरे शब्दों में उन आधारों पर चर्चा करें जिन पर सूचना का आंशिक प्रकटीकरण किया जाना है। पिछली इकाई 58 में आपने उन आधारों के बारे में पढ़ा जिन पर सूचना के प्रकटीकरण को छूट दी गई है। दूसरी ओर धारा 10 में कहा गया है कि यदि कोई आवेदक छूट प्राप्त सूचना चाहता है, और यदि पृथक्करण के सिद्धांत के आवेदन के लिए कोई कारण मौजूद है, तो रिकॉर्ड से छूट प्राप्त और छूट रहित भागों को अलग करने के बाद, छूट रहित भाग आवेदक को प्रदान किया जा सकता है। इस तरह यह धारा सूचना के अधिकार अधिनियम के मूल उद्देश्य को सुरक्षित रखती है।

एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, "इस प्रकार, जहाँ प्रत्ययी की गोपनीयता और पहचान से समझौता किए बिना या उसे प्रभावित किए बिना सूचना प्रदान की जा सकती है, वहाँ सूचना प्रदान की जानी चाहिए और अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कुछ मामलों में पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है और उसके बाद सूचना प्रदान की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) को लागू करते समय कानून के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या लागू की जानी चाहिए और प्रतिबंध को उससे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसे मामलों में जहाँ प्रत्ययी की पहचान और गोपनीयता की रक्षा करना संभव नहीं है, वहाँ विशेषाधिकार प्राप्त सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के तहत संरक्षित किया जाता है। अन्य मामलों में, कोई खतरा नहीं है और प्रत्ययी संबंध प्रभावित नहीं होता है या पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करके संरक्षित किया जा सकता है।"59

एक अन्य निर्णय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क आयुक्त (आई एंड जी), नई दिल्ली को निर्देश दिया कि वे लंबित न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए नमूनों के एक भाग को बनाए रखने तथा अपीलकर्ता को एक अन्य भाग प्रदान करने के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करें।60 यह कहा गया है, "अधिनियम की धारा 3 के तहत सूचना तक पहुंच, नियम है और धारा 8 के तहत छूट अपवाद है। धारा 8 इस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध है, इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जानी चाहिए कि यह अधिकार को ही प्रभावित करे।"61

3.3.6 'थर्ड पार्टी' की परिभाषा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार, "तीसरे पक्ष" का अर्थ सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है और इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है।62 यहाँ सार्वजनिक प्राधिकरण उस सार्वजनिक प्राधिकरण के अलावा कोई अन्य व्यक्ति है जिससे अनुरोध किया गया है। दूसरे शब्दों में, 'तीसरे पक्ष' शब्द में अपीलकर्ता या आवेदक और प्रतिवादी या सार्वजनिक सूचना अधिकारी के अलावा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो उस आवेदन को प्राप्त करता है।

अधिनियम के अनुसार, 'सार्वजनिक प्राधिकरण' में कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था शामिल है, जो (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित की गई है; (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (ग) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; (घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है- (i) किसी राज्य के स्वामित्व, नियंत्रण या नियंत्रण में

58देखें इकाई 1. प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना;

[59] रिट याचिका (सिविल) संख्या 8396/2009 (भारत संघ बनाम सीआईसी)

60भगत सिंह केस. (146(2008) दिल्ली लॉ टाइम्स 385).

61वही

62आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एन)

Machine Translated by Google

(ii) गैर-सरकारी संगठन जो समुचित सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हो।

आरटीआई अधिनियम के तहत "तीसरे पक्ष" की परिभाषा बहुत व्यापक है। अधिनियम के अनुसार पहला पक्ष है- 'सूचना के लिए अनुरोधकर्ता। दूसरे पक्ष का अर्थ है- 'अनुरोध पर कार्रवाई करने वाला सार्वजनिक प्राधिकरण'। तीसरे पक्ष में शामिल हैं- 'कोई व्यक्ति, कंपनी, एनजीओ और सार्वजनिक प्राधिकरण (अनुरोध पर कार्रवाई करने वाले सार्वजनिक प्राधिकरण के अलावा)'।

3.3.7 तीसरे पक्ष की जानकारी; धारा 11

अधिनियम की धारा 1163 कहती है,

(1) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई सूचना या अभिलेख या उसका कोई भाग प्रकट करना चाहता है, जो किसी तृतीय पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा दी गई है और उस तृतीय पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है, वहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई सूचना या अभिलेख या उसका कोई भाग प्रकट करना चाहता है, जो किसी तृतीय पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा दी गई है और उस तृतीय पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है, वहां केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर, किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को ... केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर,
सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध की प्राप्ति से पांच दिनों के भीतर, अनुरोध की ऐसी तीसरी पार्टी को लिखित सूचना देगा और इस तथ्य की भी कि केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने अनुरोध स्वीकार कर लिया है।
यदि सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का इरादा रखता है और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से यह निवेदन करने के लिए आमंत्रित करता है कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, और सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा:

बशर्ते कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को होने वाली किसी संभावित हानि या चोट से अधिक महत्वपूर्ण हो।

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के संबंध में किसी तृतीय पक्षकार को कोई नोटिस तामील की जाती है, वहां तृतीय पक्षकार को ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के तहत अनुरोध प्राप्त होने के बाद चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को उप-धारा (2) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है, तो यह निर्णय लेगा कि सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा किया जाए या नहीं और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की लिखित सूचना देगा।

दल।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन सम्मिलित होगा कि वह तृतीय पक्षकार, जिसे सूचना दी गई है, निर्णय के विरुद्ध धारा 19 के अधीन अपील करने का हकदार है।

63आरटीआई अधिनियम 2005

Machine Translated by Google

इसलिए जैसा कि अधिनियम की धारा 11 के तहत कहा गया है, यह 'तीसरे पक्ष' की सूचना के प्रकटीकरण की प्रक्रिया प्रदान करता है। इसमें कहा गया है, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई सूचना का खुलासा करने का इरादा रखता है, जिसे तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना है, तो पीआईओ, सूचना का खुलासा करने का निर्णय लेने से पहले तीसरे पक्ष को मामले में प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करेगा। धारा 11(1) में विशेष रूप से यह आवश्यक है कि पीआईओ को पंजीकृत डाक द्वारा तीसरे पक्ष को लिखित नोटिस भेजना चाहिए, ताकि फाइल पर रिकॉर्ड हो कि इसे कब भेजा गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोटिस वास्तव में तीसरे पक्ष तक पहुंचता है, उन्हें प्रस्तुतिकरण करने के लिए आमंत्रित करता है। इसे फैक्स भी किया जा सकता है। यदि तीसरा पक्ष उस समय मौखिक प्रस्तुतिकरण करता है, तो पीआईओ को उस प्रतिक्रिया को लिखित रूप में कैप्चर करना चाहिए, ताकि तीसरे पक्ष की टिप्पणियों का रिकॉर्ड फाइल पर रखा जा सके।

पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने के मामले में यह महत्वपूर्ण होगा। तीसरे पक्ष के पास अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय होता है और पीआईओ तदनुसार अनुरोध को संसाधित करने और निर्णय नोटिस भेजने के लिए अतिरिक्त 10 दिन ले सकता है।

चाहे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हो या नहीं, जहां किसी तीसरे पक्ष को अभ्यावेदन देने का अवसर दिया गया है, वहां पीआईओ को अधिकतम 40 दिनों के भीतर यह निर्णय लेना होगा कि सूचना का खुलासा किया जाए या नहीं।

किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रकटीकरण के लिए सहमति देने से इंकार करने का यह मतलब नहीं है कि पीआईओ को यह निर्णय लेना चाहिए कि आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और सूचना को रोक दिया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 7(7) और धारा 11(1) में केवल यह कहा गया है कि पीआईओ को निर्णय लेने से पहले किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करना चाहिए। हालाँकि, अंतिम निर्णय अभी भी पीआईओ के पास है। भले ही कोई तीसरा पक्ष गोपनीयता का दावा करता हो, लेकिन पीआईओ सूचना के लिए आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकता जब तक कि धारा 8 या 9 के तहत छूट लागू न हो और सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के पक्ष में न हो।

तीसरे पक्ष को पीआईओ के निर्णय के खिलाफ विभागीय अपीलीय प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार है और यदि वह विभागीय अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसे संबंधित सूचना आयोग में दूसरी अपील करने का भी अधिकार है। पीआईओ ऐसी सूचना का खुलासा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया पूरी न हो जाए। यह एक वैधानिक आवश्यकता है, जिसका पालन न करने पर पीआईओ पर कार्रवाई हो सकती है।

3.3.7.1 लोक सूचना अधिकारी को धारा 11 में दी गई प्रक्रिया का पालन करना चाहिए

तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करते समय

जैसा कि धारा 11 के तहत कहा गया है कि जब वह “किसी सूचना या रिकॉर्ड का खुलासा करने का इरादा रखता है”। इसका अर्थ यह है कि पीआईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सूचना आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त नहीं है।"64

धारा 11 केवल तीसरे पक्ष को सूचना के प्रकटीकरण पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का अवसर देती है। "धारा 11 (1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष की प्रस्तुति को ध्यान में रखा जाएगा। वह सूचना 'जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा दी गई है और जिसे उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है'।

64अनीता सिंह बनाम विदेश मंत्रालय; अपील संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/000879

Machine Translated by Google

इस प्रकार धारा 11 की प्रक्रिया तब लागू होती है जब पीआईओ का मानना है कि सूचना मौजूद है और छूट प्राप्त नहीं है, तथा तीसरे पक्ष ने इसे गोपनीय माना है। पीआईओ को आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को एक पत्र भेजना चाहिए।"65

धारा 11 में तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रकटीकरण के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।
"पीआईओ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सूचना देने से इनकार केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत छूट के आधार पर किया जा सकता है। धारा 11 (3) के अनुसार, पीआईओ को यह निर्धारित करना होगा कि सूचना छूट योग्य है या नहीं और अपीलकर्ता और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय से अवगत कराना होगा। यदि तीसरा पक्ष पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह धारा 11 (4) के प्रावधान के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील दायर कर सकता है।"66

धारा 11 में तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने से मना करने के लिए अनियंत्रित वीटो प्रदान नहीं किया गया है। "यह स्पष्ट रूप से उन स्थितियों का अनुमान लगाता है जहाँ पीआईओ तीसरे पक्ष द्वारा गैर-प्रकटीकरण के दावे से सहमत नहीं होगा और तीसरे पक्ष द्वारा प्रकटीकरण के खिलाफ अपील करने का प्रावधान करता है, जो अनावश्यक होता, यदि तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण के खिलाफ वीटो दिया गया होता।"67

"इस प्रकार पीआईओ से धारा 11 की प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वह सूचना का खुलासा करना चाहता है, लेकिन उसके पास यह मानने का कोई कारण है कि तीसरा पक्ष इसे गोपनीय मानता है। यदि तीसरा पक्ष आपत्ति भेजता है, तो पीआईओ को यह निर्धारित करना होगा कि क्या सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त है।"68

3.3.7.2 कानून द्वारा संरक्षित तीसरे पक्ष की जानकारी का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित ऐसी जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचेगा, प्रकटीकरण से मुक्त है। ऐसी जानकारी का तब तक खुलासा नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक है।69

3.4 सारांश

आरटीआई अधिनियम के तहत पृथकता के सिद्धांत को लागू करके सूचना के आंशिक प्रकटीकरण की अनुमति दी गई है और जनहित परीक्षण लागू करने के बाद पीआईओ द्वारा तीसरे पक्ष के प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है। अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम द्वारा छूट प्राप्त सूचना का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिया जाना है, उसका खुलासा किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोगों को नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना है।

इस इकाई में हमने चर्चा की कि अधिनियम की धारा 11 केवल उस प्रक्रिया को प्रदान करती है जिसका तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रकटीकरण के दौरान पालन किया जाना चाहिए। यह सार्वजनिक प्राधिकरण को तीसरे पक्ष की जानकारी को रोकने का अधिकार नहीं देता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 11 बताती है कि सूचना मांगने वाले प्रथम पक्ष द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्रवाई करते समय पीआईओ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है।

65वही; निर्णय संख्या सीआईसी/एसजी/ए/2012/000879/18681

66वही;

67वही;

68वही; शैलेश गांधी, केंद्रीय सूचना आयुक्त द्वारा लिए गए निर्णय से लिया गया; 01 मई 2012

69परन्तु; धारा 11 (1), आरटीआई अधिनियम, 2005

Machine Translated by Google

तीसरा पक्ष। संक्षेप में, धारा 11 के तहत किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई करने से पहले निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया जाना चाहिए:

- पीआईओ को सूचना का खुलासा करने का इरादा होना चाहिए;
- सूचना किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है, जैसे सरकारी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड, बिजली और पानी के बिल की प्रतियां, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखा गया आयकर रिटर्न या किसी कंपनी की वित्तीय स्थिरता के बारे में सरकारी नियामक द्वारा किया गया आकलन या सूचना किसी तीसरे पक्ष द्वारा सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रदान की गई है, उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत आयकर रिटर्न, निविदा बोलियां या भ्रष्टाचार के बारे में सतर्कता अधिकारियों को मुखबिरों की शिकायतें।

- तीसरे पक्ष द्वारा सूचना को गोपनीय माना गया है।

पीआईओ वह व्यक्ति होता है जो निम्नलिखित में से किसी भी संभावित मामले में अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है:

तौर तरीकों:

- पीआईओ यह मान सकता है कि तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण पर कोई आपत्ति नहीं है, यदि पीआईओ द्वारा उनसे संपर्क करने के प्रयासों के बावजूद तीसरा पक्ष कोई अभ्यावेदन नहीं करता है।
- यदि तीसरा पक्ष अभ्यावेदन करता है, लेकिन कहता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है प्रकटीकरण, तो पीआईओ जानकारी का खुलासा कर सकता है।
- यदि तीसरा पक्ष प्रकटीकरण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करता है, तो पीआईओ को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) में छूट और धारा 8(2) में जनहित के प्रावधान के आलोक में इस आपत्ति पर विचार करना होगा। यदि तीसरे पक्ष की आपत्तियों को उचित ठहराया जा सकता है, तो पीआईओ अनुरोधकर्ता को अपील अधिकारों के विवरण के साथ अस्वीकृति आदेश जारी करेगा।

- यदि तीसरा पक्ष प्रकटीकरण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करता है और फिर भी पीआईओ पाता है कि कोई छूट लागू नहीं होती है या छूट लागू होती है लेकिन सार्वजनिक हित प्रकटीकरण की मांग करता है, तो पीआईओ को तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने के अपने निर्णय की सूचना देनी चाहिए, साथ ही किसी भी अपील अधिकार का विवरण भी देना चाहिए। पीआईओ को अनुरोधकर्ता को संबंधित दस्तावेज़ या रिकॉर्ड तब तक प्रकट नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी अपील का निपटारा न हो जाए या अपील दर्ज करने का समय न बीत जाए।

3.5 शब्दावली

1. धारा 19 (1): - (1) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है, जो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ हो: बशर्ते कि ऐसा अधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

2. यू/एस: इसका मतलब है धारा के अंतर्गत।

Machine Translated by Google

3. पीआईओ: लोक सूचना अधिकारी, जिससे सूचना के लिए अनुरोध किया जाएगा।

3.6 एसएक्यूएस

1.लघु उत्तर प्रश्न

(i) अधिनियम की धारा 10 किस सिद्धांत पर आधारित है?

(ii) क्या सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज के चिकित्सा विवरण को तृतीय पक्ष की जानकारी माना जाता है?

(iii) क्या तीसरे पक्ष को पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार है?

1. रिक्त स्थान भरें-

(i) ..... द्वारा संरक्षित तीसरे पक्ष की सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता। (ii) पीआईओ
ऐसी सूचना का खुलासा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि धारा ..... में निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

2. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(i) धारा 11 तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने से इंकार करने का अनियंत्रित अधिकार प्रदान नहीं करती है।

(क) सत्य, (ख) असत्य.

(ii) धारा 11 में तीसरे पक्ष की सूचना के प्रकटीकरण की छूट प्रदान की गई।

(क) सत्य, (ख) असत्य.

3.7 संदर्भ

5. बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
6. http://www.humanrightsinitiative.org/publications/rti/third_parties_appl_appeals.pdf

3.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. बेयर एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
2. डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित
3. भारत में सूचना का अधिकार कानून, एन.वी. परांजपे द्वारा
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जितेश धनराजानी द्वारा

3.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

3.9.4.1 पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? यह आरटीआई अधिनियम पर कैसे लागू होता है?

3.9.4.2 'तीसरे पक्ष' शब्द से आप क्या समझते हैं?

Machine Translated by Google

3.9.4.3 सरकारी अस्पताल में भर्ती व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, लेकिन इलाज के दौरान हुए खर्च का रिकॉर्ड आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के तहत उपलब्ध कराया जा सकता है। टिप्पणी करें।

3.9.4.4 तीसरे पक्ष की जानकारी के प्रकटीकरण की प्रक्रिया समझाइए।

3.10 उत्तर SAQS

3.10.4.1 (i) पृथक्करण का सिद्धांत; 3.3.2.1 देखें 3.3.4 देखें (ii) हाँ; 3.4 देखें (iii) हाँ;

3.10.4.2 (i) कानून; 3.3.5.2 देखें 3.10.4.3 (i) सत्य; 3.3.4.1 देखें (ii) 11; 3.3.5 देखें (ii) गलत; 3.3.4.1 देखें

टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. 3.3.1 और 3.3.2 देखें
2. 3.3.4 देखें
3. 3.3.2 और 3.3.3 देखें
4. 3.3.5 और 3.3.5.1 देखें

Machine Translated by Google

इकाई 4

सूचना प्राप्त करने हेतु अपील.

संरचना

4.1 परिचय

4.2 उद्देश्य

4.3 विषय

4.3.1 आयोग को शिकायत

4.3.2 अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत आयोग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया

4.3.3 अपील: अर्थ और उसका दायरा

4.3.4 प्रथम अपील

4.3.5 विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील के नियम

4.3.6 प्रथम अपील: प्रथम अपील कैसे दायर करें?

4.3.7 दूसरी अपील

4.3.8 राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के नियम

4.3.9 अपील की विषय-वस्तु

4.3.10 अपील के साथ संलग्न दस्तावेज

4.4 सारांश

4.5 शब्दावली

4.6 एसएक्यूएस

4.7 संदर्भ

4.8 सुझाए गए पठन सामग्री

4.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

Machine Translated by Google

4.1 परिचय

पिछली इकाई में आपने सूचना अनुरोध के निपटान के बारे में पढ़ा जिसमें आपको निपटान की प्रक्रिया के साथ-साथ शुल्क प्रावधानों के बारे में भी पता चला। लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने के बाद आवेदक प्राप्त सूचना से पूरी तरह संतुष्ट हो सकता है या आंशिक रूप से संतुष्ट हो सकता है और कुछ मामलों में आवेदक प्राप्त सूचना से पूरी तरह असंतुष्ट हो सकता है या कुछ मामलों में आवेदक को सूचना कभी दी ही नहीं जाती है और यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना के विरुद्ध है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में प्रथम अपील और द्वितीय अपील का प्रावधान दिया गया है। अधिनियम में दो प्रकार की अपील का प्रावधान है, जिन्हें आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। पहली अपील अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील है। यह एक विभागीय अपील है, जिसे संबंधित विभाग में दायर किया जाना है और अपील अधिकारी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद का होता है। प्रथम अपील अधिकारी के आदेश से व्यथित होने पर या उसके आदेश का अनुपालन न होने की स्थिति में आवेदक धारा 19(3) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रथम अपील या द्वितीय अपील दायर करने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा है, लेकिन अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा देरी को माफ करके छूट दी जा सकती है।

किसी भी कानूनी प्रणाली में, अपील प्रक्रिया को पीड़ित आवेदक के हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत मान्यता दी गई है और इसमें शामिल किया गया है। इस इकाई में आप प्रथम अपील और द्वितीय अपील की प्रक्रिया से परिचित होंगे और अधिनियम की धारा 18 के तहत शिकायत के बारे में भी जानेंगे। यह अध्याय प्रथम अपील और द्वितीय अपील के विभिन्न पहलुओं से निपटेगा जब आवेदक सूचना मांगना पसंद करता है लेकिन किसी भी कारण से संतुष्ट नहीं होता है।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:-

- अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत शिकायत के बारे में जानें
- अधिनियम में दिए गए प्रथम अपील और द्वितीय अपील को समझें।
- प्रथम अपील कैसे दायर करें, जानें।
- जानें कि दूसरी अपील कैसे दायर करें।
- जानें कि द्वितीय अपील कैसे और कब दायर करें।
- अपील के प्रावधानों और प्रक्रिया को समझें।

4.3.1 आयोग को शिकायत

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है।

Machine Translated by Google

केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का कर्तव्य है,-

(क) जो सूचना के लिए आवेदन दायर करने में असमर्थ है क्योंकि कोई पीआईओ नियुक्त नहीं किया गया है या एपीआईओ ने उसके आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या अपने वरिष्ठ अधिकारी को आगे भेजने की अपील की है।

(ख) जिसे इस अधिनियम के तहत मांगी गई किसी भी सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया गया हो;

(ग) जिसे सूचना या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया हो
इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर;

(घ) जिसे शुल्क की ऐसी राशि का भुगतान करने की आवश्यकता हो जिसे वह अनुचित समझता हो;

(ई) जो मानता है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है, और

(च) अधिनियम के तहत अभिलेखों तक पहुंच का अनुरोध करने या प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में
यह कार्य।

अधिनियम के तहत शिकायत प्राप्त होने के बाद केन्द्रीय/राज्य आयोग मामले की जांच कर सकता है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसका निपटान कर सकता है तथा पीआईओ को अपने आदेशों के अनुपालन के लिए निर्देश दे सकता है।

4.3.2 अधिनियम की धारा (18) के अंतर्गत आयोग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया

उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2013 के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी है
अधिनियम की धारा 18 के तहत दायर शिकायत में आयोग द्वारा अपनाई गई।

(क) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खंड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से दायर शिकायत की जांच करेगा।

(ख) शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से वह आधार या आधार दर्शाएगा जिसके तहत धारा (18) की उपधारा (1) के खंड (क) से (च) तक शिकायत दर्ज की गई है।

(ग) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी या प्रधान लोक प्राधिकारी को भेजी जाएगी, जैसा भी मामला हो, और उन्हें शिकायत पर लिखित रूप में अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(घ) आयोग साक्ष्य ले सकेगा तथा ऐसे अभिलेखों को मंगा सकेगा तथा उनका निरीक्षण कर सकेगा जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हैं।

(ई) आयोग शिकायत की जांच कर सकता है और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 20 के अनुसार दंडित कर सकता है।

(च) किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करता है।

4.3.3 अपील: अर्थ और उसका दायरा

कानूनी भाषा में अपील का अर्थ है, किसी अवर अधीनस्थ अधिकारी द्वारा मामले को उच्च न्यायाधिकरण या फोरम में स्थानांतरित करना, ताकि विवादित निर्णय की सत्यता की जांच और परीक्षण किया जा सके।

Machine Translated by Google

सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19 में अपील की प्रक्रिया का प्रावधान है। प्रथम अपील, आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उच्च पद पर आसीन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। दूसरी अपील, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से आदेश प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

4.3.4 प्रथम अपील

धारा 19(1), कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या वह न्यायालय के निर्णय से व्यथित है।
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ है।
प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

धारा 19(2) के अनुसार, जहां किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा धारा 11 के अधीन तृतीय पक्ष की सूचना प्रकट करने के लिए दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, वहां संबंधित तृतीय पक्ष द्वारा अपील आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।

4.3.5 विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील के नियम

उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2013 के नियम 8 में विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का प्रावधान इस प्रकार है:

(क) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के निपटान आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते समय आवेदक को अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निपटान का पत्र संलग्न करना होगा। अपील में अपील के आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(ख) तीसरे पक्ष की सूचना के प्रकटीकरण के मामले में, लोक सूचना अधिकारी का आदेश, तीसरे पक्ष से अपेक्षित सूचना तथा तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन अपील के साथ संलग्न किया जाएगा।

(ग) यदि अपेक्षित हो तो प्रथम अपील अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के विचार लिए जाएंगे। अपीलकर्ता को अपील के उचित निपटान के लिए, यदि अपेक्षित हो तो, स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है।

(घ) प्रथम अपील अधिकारी यथासंभव 30 दिन के भीतर अपील का निर्णय करेगा तथा अधिकतम 45 दिन की अवधि में प्रथम अपील का निपटारा कर सकेगा। समय सीमा बढ़ाने का कारण दर्ज किया जाएगा।

Machine Translated by Google

(ई) प्रथम अपील अधिकारी अपील की सुनवाई करते समय अपीलकर्ता के इनकार के बारे में पूछताछ करेगा।
व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा।

(च) अपील पर विचार करते समय प्रथम अपील अधिकारी स्वयं संतुष्ट होगा कि
आवेदक द्वारा मांगी गई 'सूचना' का खुलासा किया जा सकता है या नहीं।

(छ) अपेक्षित सूचना स्पष्ट रूप से पहचानी न जाने पर प्रथम अपील अधिकारी आवेदक को लिखित रूप में अथवा लोक प्राधिकरण के संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के पश्चात अपेक्षित सूचना स्पष्ट रूप से पहचाने जाने का निर्देश देगा।

(ज) प्रथम अपील अधिकारी अपील पर निर्णय में उपर्युक्त उपनियमों में दर्शाए गए बिन्दुओं पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करेगा तथा लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना प्रकट करने का निर्देश देगा जो प्रकट करने से छूट प्राप्त नहीं है।

4.3.6 प्रथम अपील: प्रथम अपील कैसे दायर करें?

चरण 1. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्राप्त करें:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(8) के अनुसार, पीआईओ को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रदान करना होगा। लेकिन यदि पीआईओ ने विवरण प्रदान नहीं किया है, तो विवरण निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:

(क) लोक प्राधिकरण की वेबसाइट से।
(ख) पीआईओ के कार्यालय से।
(ग) प्रथम अपील सहायक जनसूचना अधिकारी को भेजी जा सकेगी, जो उसे प्रथम अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
(घ) आप प्रथम अपील पीआईओ को भेज सकते हैं, जो इसे प्रथम अपील प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
इसे "आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी" के रूप में संबोधित किया जा सकता है।

चरण 2. संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण की अपील प्रक्रिया की जांच करें।

(क) ऐसी कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है जिसमें अपील दायर करने का विवरण और प्रारूप हो।
सभी केन्द्रीय सार्वजनिक प्राधिकरण और राज्य सार्वजनिक प्राधिकरण।

(ख) अपील दायर करने से पहले प्रथम अपील शुल्क और अपील के प्रारूप (यदि कोई हो) के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों की अपील प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें।

चरण 3. प्रथम अपील लिखें।

(क) यदि आप देरी से अपील दायर कर रहे हैं तो कृपया देरी को माफ करने के लिए प्रार्थना करें।
देरी का कारण.

(ख) स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या चाहते हैं और आप पीआईओ से किस प्रकार असंतुष्ट हैं।

(ग) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निपटान के दौरान व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने के लिए अपनी प्राथमिकता लिखें।
अपीलकर्ता व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं है और यदि आवश्यक हो तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से उपस्थित होने के लिए अधिकृत कर सकता है।

चरण 4. अपीलकर्ता का विवरण: अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा।

(अपीलकर्ता के हस्ताक्षर)

Machine Translated by Google

नाम:.....

पता:.....

ईमेल:.....

संपर्क नंबर:.....

चरण 5. प्रथम अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें:

- आरटीआई आवेदन की प्रति
- पीआईओ से उत्तर की प्रति (यदि प्राप्त हो)
- आरटीआई आवेदन दाखिल करने के प्रमाण की प्रति।
- अपील में आपके आधार और दलीलों का समर्थन करने वाले कोई अन्य दस्तावेज़।

4.3.7 दूसरी अपील:

आरटीआई के तहत दूसरी अपील आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सबसे बड़ी अपील है। आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) नागरिकों को प्रथम अपील के आदेश के खिलाफ केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति जो प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है, वह केंद्र या संबंधित राज्यों के सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकता है। केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित मुद्दों के लिए, आपको अपनी अपील केंद्रीय सूचना आयोग को भेजनी होगी और राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित मामलों के लिए, अपनी अपील संबंधित राज्य सूचना आयोग को भेजनी होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में की जा सकेगी, जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग:

बशर्ते कि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग

आयोग, जैसा भी मामला हो, नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने के लिए पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

धारा 19 में दिए गए अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(4) यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय, जैसा भी मामला हो, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, किसी तीसरे पक्ष की सूचना से संबंधित है, तो केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उस तीसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

Machine Translated by Google

(5) किसी अपील कार्यवाही में, यह साबित करने का दायित्व कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, पर होगा, जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया था।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील का निपटारा, अपील प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर या अपील दाखिल करने की तारीख से, यथास्थिति, कुल पैंतालीस दिन से अनधिक की विस्तारित अवधि के भीतर, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके किया जाएगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बाध्यकारी होगा।

(8) अपने निर्णय में, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग
आयोग को, जैसा भी मामला हो, यह शक्ति प्राप्त है कि वह-

(क) सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) यदि अनुरोध किया गया हो तो किसी विशेष प्रारूप में सूचना तक पहुंच प्रदान करके;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करके;

(iii) कुछ सूचना या सूचना की श्रेणियों को प्रकाशित करके;

(iv) अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संबंध में अपनी प्रथाओं में आवश्यक परिवर्तन करके;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान को बढ़ाकर;

(vi) उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराकर
धारा 4;

(ख) लोक प्राधिकरण से शिकायतकर्ता को किसी नुकसान की भरपाई करने की मांग करना, या अन्य हानि झेलनी पड़ी;

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित कोई भी दंड अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(9) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपने निर्णय की सूचना, जिसमें अपील का कोई अधिकार भी शामिल है, शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को देगा।

(10) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील का निर्णय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

Machine Translated by Google

4.3.8 राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के नियम

उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 के नियम 9 में सूचना आयोग में द्वितीय अपील के संबंध में नियम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं:-

(क) द्वितीय अपील करते समय अपीलकर्ता को आवेदक के अनुरोध पत्र, जन सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निपटान पत्र, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निपटान आदेश की प्रतियां आवेदक की द्वितीय अपील के साथ संलग्न करनी होंगी। द्वितीय अपील के आधारों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।

(ख) अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील दायर करने पर आयोग निम्नलिखित कार्यवाही अपनाएगा:

निम्नलिखित प्रक्रिया:

(i) संबंधित पीआईओ और विभागीय अपील अधिकारी को, आवश्यकतानुसार प्रतिवादी बनाया जाएगा।

(ii) लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(iii) द्वितीय अपील में आयोग यह जांच करेगा कि क्या प्रथम अपील अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना जारी करने का निर्देश दिया था या नहीं, लोक सूचना अधिकारी ने समय पर सूचना जारी की थी या नहीं।

(iv) राज्य सूचना आयोग किसी अपील पर निर्णय करते समय:-

(ए)संबंधित या इच्छुक व्यक्तियों से शपथ या हलफनामे पर मौखिक या लिखित साक्ष्य प्राप्त करना
व्यक्ति;
(बी) दस्तावेजों, सार्वजनिक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करना;
(सी)अधिकृत अधिकारी के माध्यम से आगे के विवरण या तथ्य की जांच करना; और
(घ) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपील की गई हो या तीसरे पक्ष से शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

आयोग संबंधित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा, तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से नोटिस भेजा जाएगा:-

(i) पार्टी के माध्यम से;

(ii) सर्वर के माध्यम से हाथ से;

(iii) साधारण डाक द्वारा, या

(iv) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(v) इंटरनेट के माध्यम से ई-मेल या एसएमएस द्वारा।

(vi) पावती सहित पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा।

Machine Translated by Google

अपीलकर्ता या पक्षों की सुनवाई के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(1) अपीलार्थी या प्रत्यर्थी, जैसा भी मामला हो, अपील की प्रक्रिया में अपना मामला प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकेगा।

(II) आयोग के आदेश खुले रूप में दिए जाएंगे और प्रमाणित किए जाएंगे।
इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में।

(III) आयोग का आदेश पारित होने के पश्चात् उसे आयोग द्वारा यथाशीघ्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

4.3.9 अपील की विषय-वस्तु

आयोग को की जाने वाली अपील में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी, अर्थात:-

(i) अपीलकर्ता का नाम और पता;

(ii) उस लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई है;

(iii) उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है;

(iv) अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य;

(v) प्रार्थना या मांगी गई राहत;

(vi) प्रार्थना या अनुतोष के लिए आधार;

(vii) अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन;

(viii) कोई अन्य सूचना जिसे आयोग अपील पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक समझे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले आयोग की वेबसाइट की जांच की जा सकती है।
संबंधित आयोग की आवश्यकताओं को जानने के लिए द्वितीय अपील।

4.3.10 अपील के साथ संलग्न दस्तावेज

(i) उन आदेशों या दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां जिनके विरुद्ध अपील की जा रही है;

(ii) अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए और अपील में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियां; और

(iii) अपील में संदर्भित दस्तावेजों की सूची।

कुछ सूचना आयोगों में अपील ज्ञापन को दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है, जबकि कुछ तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने को कहते हैं।

Machine Translated by Google

4.4 सारांश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 में जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। आयोग अधिनियम की धारा 18 (1) के खंड (ए) से (एफ) में उल्लिखित कारणों से दायर की गई शिकायत की जांच करेगा। आयोग शिकायत की जांच कर सकता है और अधिनियम की धारा 20 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को दंडित करने के लिए जुर्माना लगा सकता है।

अपील प्रक्रिया को पीड़ित आवेदक के हाथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मान्यता दी गई है। इसे आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत मान्यता दी गई है और इसमें शामिल किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 में अपील की प्रक्रिया का प्रावधान है। पहली अपील केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक वाले अधिकारी के समक्ष, जैसा भी मामला हो, विवादित आदेश की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर की जा सकती है। दूसरी अपील केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष, जैसा भी मामला हो, की जा सकती है। अपील का समय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से आदेश प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन है। धारा 19(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (ए) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है। धारा

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) में यह प्रावधान है कि उपधारा (1) के अंतर्गत निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में की जा सकेगी, जिस तारीख को निर्णय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

4.5 शब्दावली

पीआईओ- अधिनियम में परिभाषित लोक सूचना अधिकारी।

एपीआईओ- सहायक लोक सूचना अधिकारी।

प्रथम विभागीय अपील अधिकारी से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत दायर प्रथम अपील के निपटान के लिए धारा 19(1) के अंतर्गत नामित अधिकारी से है।

आयोग का तात्पर्य केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, से है।

4.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न-

क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना आयोग में शिकायत क्यों दर्ज की जा सकती है, इसके कारण कहां दिए गए हैं?

Machine Translated by Google

ख. प्रथम अपील दायर करने की सीमा अवधि क्या है?

2 रिक्त स्थान भरें-

उपधारा (1) के अधीन निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील ------- दिनों के भीतर की जा सकेगी।
ख. प्रथम अपील अधिकारी यथासंभव ---- दिनों के भीतर अपील का निर्णय करेगा और
प्रथम अपील का निपटारा ---- दिन से अधिक की अवधि के भीतर कर सकेगा।

3. सत्य/असत्य प्रकार के प्रश्न

1. प्रथम अपील केन्द्रीय/राज्य आयोग के समक्ष दायर की जा सकती है। (सत्य/असत्य)

2. प्रथम/द्वितीय अपील दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है। (सत्य/असत्य)

4.7 संदर्भ

क) उत्तराखंड राज्य आयोग की वेबसाइट।
बी) uic.gov.in/howtoapply/filing.pdf
सी) https://righttoinformation.wiki/guide/applicant/second-appeal/cic
घ) http://rtiact2005.com/second-appeal-under-rti/
ई) https://righttoinformation.wiki/guide/applicant/first-appeal/faa

4.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

4.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया का वर्णन करें।

2. प्रथम अपील दायर करने के विभिन्न चरण लिखिए।

3. द्वितीय अपील के ज्ञापन में दी जाने वाली विषय-वस्तु लिखें।

4.10 उत्तर

एस.ए.क्यू.एस. 1. (क) 4.3.2 (धारा 18 की उपधारा 1 का खंड ए) देखें, (ख) 30 दिन।

2. (ए) 90 दिन, (बी) 30 और 45.

3. (1) असत्य (2) सत्य

टर्मिनल प्रश्न और उत्तर

(1).4.3.2, (2) 4.3.6 (3) 4.3.9 देखें

Machine Translated by Google

इकाई 5

विभिन्न अनुप्रयोग.

संरचना

5.1 परिचय

5.2 उद्देश्य

5.3 विषय

5.3.1 अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोज्यता

5.3.2 आरटीआई आवेदन कैसे दायर करें?

5.3.3 प्रभावी आरटीआई आवेदन कैसे लिखें?

5.3.4 आरटीआई आवेदन के नमूने

5.4 सारांश

5.5 शब्दावली

5.6 एसएक्यूएस

5.7 संदर्भ

5.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

5.9 उत्तर

Machine Translated by Google

5.1 परिचय

हम में से अधिकांश लोग अब आरटीआई नामक उपकरण के बारे में जानते हैं क्योंकि सूचना का अधिकार सूचना प्राप्त करने का बहुत प्रभावी साधन है। लेकिन हममें से कितने लोगों ने वास्तव में आरटीआई आवेदन दायर किया है? यह देखा गया है कि जिन लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक जानकारी की आवश्यकता होती है, उनमें से अधिकांश आरटीआई आवेदन दायर करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि "शुरू कैसे करें"।

हम अक्सर गुस्से में आरटीआई आवेदन का मसौदा तैयार करने बैठते हैं, हम उन सूचनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से सोचने में विफल हो जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है और कुछ गलत कामों को रोकने, कुछ अधिकारियों को दंडित करने, अधिकारियों को लापरवाही के लिए जवाबदेह बनाने के बारे में सोचते हैं। इसके बजाय हमें वांछित जानकारी मांगनी चाहिए और आवेदन दायर करने के लिए अपनी उत्सुकता या उद्देश्य नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी लोक सूचना अधिकारी आरटीआई के तहत आवेदन दायर करने का कारण नहीं पूछ सकता है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, "आरटीआई आवेदन कैसा होना चाहिए या आवश्यक जानकारी के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप" का उल्लेख नहीं किया गया है? कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों ने आवेदनों के लिए अपना स्वयं का प्रारूप तैयार किया है, जिसके लिए आवेदक उन सार्वजनिक प्राधिकरणों की वेबसाइटों का संदर्भ ले सकते हैं। लेकिन कानून के तहत ऐसे प्रोफ़ॉर्मा से चिपके रहने की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वे निर्धारित प्रोफ़ॉर्मा में नहीं थे। इस अध्याय में अच्छे आरटीआई आवेदन लिखने के कुछ सुझावों के साथ-साथ आवेदनों के कुछ नमूनों को भी चित्रित किया गया है, लेकिन याद रखें कि आपको अपने आरटीआई आवेदन के अनुरूप नमूने को अनुकूलित करना चाहिए।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर किए जाने वाले आवेदन के बारे में समझें।
- आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया के बारे में जानें।
- अध्याय में दिए गए कुछ नमूनों से सीखें।

5.3.1 अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोज्यता

यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

5.3.2 आरटीआई आवेदन कैसे दायर करें?

अधिनियम में सूचना प्राप्त करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की गई है। किसी विशिष्ट प्रारूप से चिपके रहने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन में कुछ आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

Machine Translated by Google

चरण 1. उस विभाग की पहचान करें जिससे आप जानकारी चाहते हैं। विभिन्न विषय अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, वे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन हो सकते हैं।

चरण 2. सादे कागज पर आवेदन पत्र हाथ से लिखें या उसे अंग्रेजी या हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में टाइप करें।

चरण 3. आवेदन पत्र राज्य/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। जिस कार्यालय से आप सूचना चाहते हैं उसका नाम और पूरा, सही पता लिखें।

चरण 4. अपने अनुरोध को विशिष्ट विवरण के रूप में बताएं और उस अवधि/वर्ष का उल्लेख करें जिसमें आपका अनुरोध आता है। यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज़ या दस्तावेज़ों के अंश मांगें।

चरण 5. याचिका दायर करने के लिए 10 रुपये का भुगतान करें। यह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जा सकता है।

चरण 6. अपना पूरा नाम और पता, संपर्क विवरण, ईमेल पता प्रदान करें और आवेदन पर स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करें। तारीख और अपने शहर का नाम लिखें।

चरण 7. आवेदन की एक फोटोकॉपी लें और भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास रखें। अपना आवेदन डाक से भेजें या संबंधित विभाग को व्यक्तिगत रूप से सौंपें। पावती लेना न भूलें।

5.3.3 प्रभावी आरटीआई आवेदन कैसे लिखें?

प्रभावी आरटीआई आवेदन लिखने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:-

1. विभिन्न विशिष्ट दस्तावेजों की ओर इशारा करें, यह दस्तावेजों की खरीदारी-सूची की तरह दिखना चाहिए।
2. आरटीआई अधिनियम की धारा 2(एफ) और धारा 4(1)(बी) के शब्दों का उपयोग करके दस्तावेजों का नाम दें – रिपोर्ट, लॉगबुक, ईमेल, सलाह, नियम, विनियम, मैनुअल आदि। इनके समाप्त होने के बाद ही आपको अन्य समान नामों का उपयोग करना चाहिए जैसे गुणवत्ता ऑडिट रिपोर्ट, पत्राचार आदि। यदि इस जानकारी से इनकार किया जाता है, तो शब्दों की समानता आपको अपीलीय अधिकारियों को यह समझाने में मदद करेगी कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी "रिकॉर्ड" और "सूचना" है जिसे अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए।

3. प्रश्न न पूछें, स्पष्टीकरण न मांगें, और आरोप न लगाएं।
   अपने आवेदन को शिकायत पत्र या संपादक को लिखे गए पत्र जैसा न बनाएं।
   इसे कवरिंग लेटर या परिचयात्मक पैराग्राफ़ से शुरू न करें। आरटीआई आवेदन भावनाहीन और नीरस होना चाहिए।

4. उन दस्तावेजों का नाम बताएं जिनकी आप प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं।

5.3.4 आरटीआई आवेदन के नमूने

1. अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का नमूना

सूचना अधिनियम-2005

Machine Translated by Google

को

जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी,

सार्वजनिक प्राधिकरण

1. आवेदक का नाम : _____

2. पता _____

_____

3. सूचना का विवरण

(क) संबंधित कार्यालय/विभाग :_____

(ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण _____

(i) आवश्यक जानकारी का विवरण : _____

(ii) वह अवधि जिसके लिए सूचना मांगी गई: _____

(iii) अन्य विवरण _____

4. वह प्रारूप जिसमें जानकारी अपेक्षित है:

5. अपेक्षित डिलीवरी का तरीका (साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, कूरियर द्वारा, हाथ से, इंटरनेट या ई-मेल के माध्यम से, फैक्स द्वारा आदि)। डिलीवरी की लागत को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकता है।

6. धारा 6(1) के तहत निर्धारित 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जा सकती है/ मांगी गई सूचना मेरे जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, इसलिए सूचना मुझे 48 घंटों के भीतर प्रदान की जाए (कृपया अनुपयुक्त भाग को हटा दें)।

7. आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत मेरे अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सूचना की तीव्र प्राप्ति की सुविधा के लिए, मैं यह बताना चाहूंगा कि सूचना .....(कृपया संबंधित कार्यालय/विभाग का नाम बताएं) में उपलब्ध हो सकती है।

8. मैं यह स्पष्ट करता हूँ कि मांगी गई सूचना अधिनियम की धारा 8 और 9 में निहित प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आती है तथा मेरी जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से संबंधित है।

9. मैं यह भी बताता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का पात्र हूँ।

10. (i) रसीद संख्या _____ दिनांक _____ के तहत कार्यालय के वित्त एवं लेखा कार्यालय में रु. _____ का शुल्क जमा किया गया है, या (ii) पोस्टल ऑर्डर/बैंक ड्राफ्ट संख्या।

_____ दिनांकित _____ संलग्न है, या (iii)

Machine Translated by Google

आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा क्योंकि वह गरीबी रेखा से नीचे है (प्रमाण संलग्न है)।

(कृपया एक पर निशान लगाएं तथा शेष दो विकल्प हटा दें)

जगह तारीख : (नाम और हस्ताक्षर)

डाक का पता:_____ _____

मेल पता:_____

टेलीफोन नंबर।_____

2. नमूना आरटीआई आवेदन

को,

जन सूचना अधिकारी

_____

_____

नत्थी करना: _____

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध।

महोदय,

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री. _____

श्री/श्रीमती/सुश्री के पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ निवासी

_____, टेलीफोन और/या

नंबर (एसटीडी कोड के साथ) ___- _____ निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ---------- मोबाइल नंबर:

_____

.....

.....

.....

.....

.....

.....

मैं सूचित करता हूँ कि मेरे द्वारा निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं:

1. कि मैंने नकद / बैंकर चेक / ड्राफ्ट / डाक के माध्यम से रु. _____/- की अपेक्षित फीस जमा कर दी है।

आदेश देना/ अन्य _____)

_____ दिनांकित _____.

Machine Translated by Google

2. मुझे दस्तावेजों की फोटोकॉपी की आवश्यकता है और मैंने फोटोकॉपी की कीमत ____/- रुपये जमा कर दी है।
____ (पृष्ठों की संख्या) या

3. मैंने सी.डी. के शुल्क के लिए रु. _____/- जमा किए थे। (जो लागू न हो उसे काट दें)

4. मैं गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की श्रेणी से संबंधित हूं: हां/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)। यदि हां, तो मैं प्रमाण पत्र की वैध फोटोकॉपी संलग्न कर रहा हूं। हां/नहीं

5. कि मैं भारत का नागरिक हूं और मैं एक नागरिक के रूप में जानकारी मांग रहा हूं।

6. मैं आश्वासन देता हूं कि मैं किसी भी मामले में और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी तरीके से प्राप्त जानकारी का उपयोग / पास / साझा / प्रदर्शित / या प्रसारित करने की अनुमति नहीं दूंगा जो एकता और संप्रभुता के लिए हानिकारक होगा या भारत के हित के खिलाफ होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकित:

3. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए नमूना

को:

राज्य लोक सूचना अधिकारी,

(कार्यालय का नाम एवं पता)

1. आवेदक का पूरा नाम :

2. पता :

3. आवश्यक जानकारी का विवरण

4. क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है : (यदि हां, तो इसके प्रमाण की फोटोकॉपी संलग्न करें) स्थान :

तारीख : इसका हस्ताक्षर

आवेदक 10/- रुपये का न्यायालय शुल्क स्टाम्प लगाएगा।

(i) सूचना का विषय: (ii) वह अवधि जिससे सूचना
(ii) संबंधित है: (iii) अपेक्षित सूचना का विवरण: (आवश्यकतानुसार
(iii) अतिरिक्त A4 आकार के कागज पर विवरण संलग्न किया जा सकता है)

(चतुर्थ) (iv) क्या सूचना डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से चाहिए:

Machine Translated by Google

(वी) (v) डाक द्वारा (साधारण, पंजीकृत या स्पीड) के मामले में:

4. आवेदन का नमूना

को

लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकरण का नाम, पूरा पता

पिन कोड...

विषय: आरटीआई अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध।

महोदय,

कृपया मुझे मेरे द्वारा ली गई निम्नलिखित परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

मुझे:

परीक्षा का विवरण:

रोजगार सूचना संख्या और दिनांक: .....

श्रेणी क्रमांक .....

पद का नाम: Fitter:.....।

परीक्षा की तिथि:.....

केंद्र का नाम:.....

अनुक्रमांक.....

मांगी गई सूचना का विवरण:

[1] उपरोक्त वर्णित ..... परीक्षा के लिए मेरी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित प्रति।

[2] कृपया मुझे उपरोक्त परीक्षा में मेरे द्वारा प्राप्त कुल अंक बताएं।

[3] कृपया मुझे उपरोक्त परीक्षा में सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक बताएं।

[4] कृपया मुझे टियर-I लिखित परीक्षा में सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं।

Machine Translated by Google

[5] कृपया मुझे टियर-II लिखित परीक्षा में सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों में योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं

[6] कृपया मुझे दस्तावेज़ सत्यापन / साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं

[7] कृपया मुझे सामान्य, एससी, एसटी और अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या बताएं। ओबीसी श्रेणियां

[8] कृपया मुझे अंतिम रूप से चयनित और नियुक्ति के लिए अनुशंसित सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक बताएं।

आरटीआई आवेदन शुल्क 10/- रूपये संलग्न है।

कृपया जानकारी मेरे नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत डाक से भेजें।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर
नाम .....
पूरा पता .....
पिन कोड.....।
तारीख: .....

5. आवेदन का नमूना

को

जन सूचना अधिकारी
[सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम]
[पूरा पता]
[पिन कोड]

विषय: आरटीआई अधिनियम की धारा-6(1) के अंतर्गत सूचना हेतु अनुरोध।

महोदय,

कृपया मुझे नीचे उल्लिखित संपत्ति पर प्रस्तावित निर्माण / किए जा रहे निर्माण कार्यों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

Machine Translated by Google

संपत्ति/निर्माण का विवरण:

भवन का नाम:
प्लॉट नंबर:
शहर सर्वेक्षण संख्या:
वार्ड नं:
सड़क नहीं:
मकान मालिक का नाम:

मांगी गई सूचना का विवरण:

[1] उपरोक्त विस्तृत भूखंड/पते पर मौजूदा भवन में चल रहे निर्माण/प्रस्तावित निर्माण/अतिरिक्त निर्माण के संबंध में स्वीकृत भवन योजना की प्रमाणित प्रति।

[2] चल रहे निर्माण कार्यों / प्रस्तावित निर्माण / ग्राउंड + 1 मंजिल से परे अतिरिक्त निर्माण के संबंध में स्वीकृत भवन योजना की प्रमाणित प्रति, यदि आपके सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो।

[3] मुझे उन अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के नाम, पदनाम और कार्यालय का पता बताएं जिन्होंने चल रहे निर्माण / प्रस्तावित निर्माण / अतिरिक्त निर्माण योजना के मापदंडों को सत्यापित किया, विशेष रूप से स्वीकार्य एफएसआई, फ्लोर प्लान और अतिरिक्त भार को सहन करने के लिए मौजूदा भवन की संरचनात्मक ताकत के संबंध में।

[4] स्वीकृति पत्र और एफएसआई की प्रमाणित प्रति।

[5] भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभ पत्र की प्रमाणित प्रति।

[6] जी+1 (दूसरी मंजिल से आगे) से आगे निर्माण के लिए दी गई मंजूरी की प्रमाणित प्रति।

[7] भवन उपनियमों या भवन विनियमों या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति जो आपके सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आने वाली आवासीय योजनाओं में दूसरी मंजिल से आगे निर्माण की अनुमति देने के प्रावधान को दर्शाता हो।

[9] सर्वेक्षण मानचित्र / नगर नियोजन मानचित्र की प्रमाणित प्रति, जिसमें उपर्युक्त भूमि का वर्गीकरण दर्शाया गया हो (अर्थात आवासीय या वाणिज्यिक या मिश्रित उपयोग या हरित निर्मित या सार्वजनिक उपयोगिता स्थान आदि), जिसके लिए आपके सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा मंजूरी और अनुमति प्रदान की गई हो।

आवेदन शुल्क: आरटीआई आवेदन शुल्क के रूप में 10/- रुपये।

Machine Translated by Google

कृपया जानकारी मेरे नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत डाक से भेजें।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर नाम
.....
पूरा पता .....
पिन कोड: .....

तारीख:

6. आवेदन का नमूना

जन सूचना अधिकारी जिला नागरिक आपूर्ति कार्यालय .....

(पूरा पता)

पिन कोड.....।

विषय: आरटीआई अधिनियम की धारा-7(1) के नीचे प्रावधान के साथ पठित धारा-6(1) के तहत सूचना के लिए अनुरोध।

महोदय,

कृपया मुझे राशन के संबंध में जीवन या स्वतंत्रता **प्रावधान** के तहत निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें
कार्ड आवेदन विवरण नीचे दिया गया है:

राशन कार्ड आवेदन का विवरण:

एनएफएस आवेदन आईडी/ऑनलाइन नागरिक आईडी संख्या .....
आवेदन की तिथि : .....
परिवार के मुखिया का नाम: .....
पूरा पता : .....।

आवश्यक जानकारी का विवरण:

[1] विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों और निर्णय को दर्शाने वाली नोटशीट की प्रमाणित प्रति

Machine Translated by Google

मेरे परिवार, जिसमें मैं, मेरी पत्नी, ... बच्चे शामिल हैं, के लिए राशन कार्ड जारी करने हेतु दिनांक ..... को प्रस्तुत मेरे आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया।

[2] यदि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो कृपया मुझे उपरोक्त क्रम संख्या (1) में संदर्भित आवेदन के जवाब में कार्रवाई करने और राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम, पदनाम और कार्यालय का पता बताएं।

[3] नियमों/विनियमों/परिपत्रों/नीति/अधिसूचनाओं/सरकारी संकल्प या नागरिक चार्टर सहित किसी ऐसे दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई हो जिसके भीतर राशन कार्ड जारी करने के लिए आवेदन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित होगा।

[4] यदि राशन कार्ड स्वीकृत है और किसी राशन दुकान को समर्थन दिया गया है, तो कृपया मुझे उस राशन दुकान का नाम और पता बताएं जिसमें उसका पंजीकरण नंबर/लाइसेंस नंबर भी शामिल है, जहां से मैं राशन कार्ड प्राप्त करने और समय-समय पर राशन प्राप्त करने में सक्षम हूं।

मैं 10/- रुपये का आवेदन शुल्क .....के माध्यम से संलग्न कर रहा हूँ।##

कृपया ध्यान दें कि केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय दिनांक 24/03/14 (कौसल्या बनाम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जीएनसीटीडी, फाइल संख्या सीआईसी/एडी/ए/2012/003135-एसए एवं अन्य) के अनुसार राशन कार्ड के बारे में सूचना को धारा-7(1) के नीचे प्रावधान के अनुसार जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना माना जाता है, और इसलिए, सूचना अड़तालीस घंटे के भीतर प्रदान की जानी चाहिए।

कृपया जानकारी मेरे नीचे दिए गए पते पर पंजीकृत डाक से भेजें।

आपका विश्वासी,

हस्ताक्षर
नाम .....
पता .....
पिन कोड .....

तारीख: .....

5.4 सारांश

इस अध्याय में हमने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रभावी आवेदन लिखने के लिए बुनियादी ज्ञान और युक्तियों के बारे में जाना। शायद अधिनियम द्वारा कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आपको वांछित जानकारी आसानी से प्राप्त करने के लिए संबंधित लोक सूचना अधिकारी को विवरण प्रदान करना चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मांगी गई जानकारी सही है या नहीं।

Machine Translated by Google

अधिनियम में दी गई सूचना की परिभाषा के दायरे में आ सकती है। लोक सूचना अधिकारी से किसी औचित्य, स्पष्टीकरण या व्याख्या की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

5.5 शब्दावली

"सूचना"- सूचना की परिभाषा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) में दी गई है।

5.6 एसएक्यूएस

लघु प्रकार प्रश्न और उत्तर

1. क्या सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र लिखने का कोई निर्धारित प्रारूप है?

2. क्या सूचना का औचित्य, स्पष्टीकरण या व्याख्या मांगी जा सकती है?
   जन सूचना अधिकारी?

5.7 संदर्भ

1. https://www.iitr.ac.in.in/Main/uploads/File/application.pdf

2. https://www.iist.ac.in/sites/default/files/rti/RTI-application-format.pdf

3. iipsindia.org/pdf/emp_pdf/right –to-information-application-format.pdf

4. https://righttoinformation.wiki/guide/applicant/application/sample/start

5.www.thehindu.com/news/cities/Chennai/do-you-know-how-to-file-an-rti-plea/article6160644.ece

6. openspace.org.in/RTIrules

5.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. हाल ही में आपने जो परीक्षा दी थी और जिसका परिणाम घोषित हो चुका है, उसकी प्रतियां प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय को आरटीआई आवेदन लिखें।

Machine Translated by Google

2. जुलाई 2017 माह में पंजीकृत वाहनों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभाग को आरटीआई आवेदन लिखें।

जवाब

एसएक्यूएस

1. नहीं,
2. नहीं.

आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करना होगा तथा नमूने की सहायता ली जा सकती है।

Machine Translated by Google

यूनिट 6

आरटीआई नियम, 2013

संरचना

6.1 परिचय

6.2 उद्देश्य

6.3 विषय

6.3.1 परिभाषाएँ

6.3.2 राज्य सरकार द्वारा स्व प्रकटीकरण हेतु सूचना निर्धारित करना

6.3.3 आवेदन की भाषा

6.3.4 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

6.3.5 सूचना के लिए शुल्क

6.3.6 राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व

6.3.7 विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील

6.3.8 सूचना आयोग में द्वितीय अपील

6.3.9 अधिनियम की धारा (18) के तहत आयोग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया

6.3.10आयोग द्वारा लगाए गए मुआवजे और जुर्माने की वसूली

6.4 सारांश

6.5 शब्दावली

6.6 एसएक्यूएस

6.7 संदर्भ

6.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

Machine Translated by Google

6.1 परिचय

पिछली इकाई में आपने प्रथम अपील और द्वितीय अपील के प्रावधानों के बारे में अध्ययन किया तथा प्रथम अपील और द्वितीय अपील की शर्तों और प्रावधानों से परिचित हुए।
ऐसी कुछ शर्तें हैं जिनके अंतर्गत आवेदक प्रथम अपील और द्वितीय अपील कर सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्रथम अपील और द्वितीय अपील के प्रावधान हैं तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उपधारा (1) और उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं।

इस इकाई में आप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए बनाए गए नियमों का अध्ययन करेंगे तथा इन नियमों को उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2013 कहा जा सकता है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, सूचना के लिए शुल्क, राज्य लोक सूचना अधिकारी का दायित्व तथा अपील के प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण नियम नियमों में दिए गए हैं।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप राज्य के निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियमों को जान सकेंगे
उत्तराखंड।

- नियमों में दी गई परिभाषाओं के बारे में जानें।
- जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानें
- जानकारी के लिए शुल्क के बारे में जानें
- राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों को समझें
- अपील के प्रावधानों को समझें
- आयोग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रक्रिया के बारे में जानें
- आयोग द्वारा लगाए गए मुआवजे और जुर्माने की वसूली के बारे में जानें

6.3.1 परिभाषाएँ

नियमों में निम्नलिखित परिभाषाएँ दी गई हैं:-

2(क) “अधिनियम” से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से है।

(ख) “धारा” से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा से है।

(ग) “आयोग” से उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है।

(घ) “राज्य सरकार” से उत्तराखंड राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(ई) "बीपीएल" से तात्पर्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसकी वार्षिक आय 12000/- (बारह हजार रुपये) से कम है।

Machine Translated by Google

(च) "प्रथम विभागीय अपील अधिकारी" से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत दायर प्रथम अपील के निपटान के लिए धारा 19(1) के अंतर्गत नामित अधिकारी से है।

(छ) "सूचना" से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए अभिलेखों, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस नोट, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, अनुबंध, कागजात, नमूना, मॉडल, आंकड़ों से संबंधित सामग्री से है, जिसमें किसी भी रूप में कोई सूचना, किसी निजी निकाय से संबंधित कोई सामग्री शामिल है, जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के तहत प्राप्त की जा सकती है।

(ज) "रिकॉर्ड" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि या फ़ाइल,

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या प्रतिकृति प्रतिलिपि,

(ग) ऐसे माइक्रोफिल्म में सन्निहित किसी छवि या छवियों का पुनरुत्पादन (चाहे बड़ा किया गया हो या नहीं)

(घ) कंप्यूटर की सहायता से या किसी अन्य माध्यम से उत्पादित कोई अन्य सामग्री
उपकरण।

(i) "सूचना का अधिकार" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उपलब्ध सूचना के अधिकार से है।
सूचना अधिनियम, 2005 के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में उपलब्ध सूचना में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित हैं -

(i) किसी कार्य, दस्तावेज, अभिलेख का निरीक्षण करना;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत है।

(जे) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु यहां परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित अर्थ।

6.3.2 राज्य सरकार द्वारा स्व प्रकटीकरण के लिए सूचना निर्धारित करना

नियम 3 के अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा स्वतः प्रकट की जाने वाली सूचना निर्धारित कर सकती है तथा उसे राज्य सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करके अद्यतन कर सकती है। निर्धारित सूचना को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा सूचना निर्धारित करने की तिथि से 60 दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित किया जाएगा। सार्वजनिक प्राधिकरण स्वतः प्रकट की जाने वाली निर्धारित सूचना को पूरे देश में कंप्यूटर नेटवर्क या

Machine Translated by Google

सार्वजनिक प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में निर्धारित जानकारी को अद्यतन करेगा।

6.3.3 आवेदन की भाषा

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन हिन्दी, देवनागरी लिपि या अंग्रेजी में किया जाएगा।

6.3.4 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

नियम 5 सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है

(क) अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के अधीन 'सूचना' प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) बी.पी.एल. श्रेणी के अलावा अन्य नागरिकों से 'सूचना' के लिए आवेदन, जिसके साथ निर्धारित शुल्क की राशि नहीं होगी, निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात सूचना प्रदान की जाएगी। पी.आई.ओ. आवेदक को यह सूचना भेजेगा कि आर.टी.आई. आवेदन पर केवल आवेदन शुल्क के भुगतान पर ही कार्रवाई की जाएगी तथा आवेदन शुल्क के भुगतान के पश्चात 30 दिन की समय-सीमा प्रारंभ होगी।

(ग) यदि मांगी गई कोई सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के संरक्षण में है और यदि उससे संबंधित कोई सूचना उसके लोक प्राधिकरण के अधीन है तो वह सूचना उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन को उसकी संरक्षण में मौजूद सूचना के लिए किसी अन्य लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा।

परन्तु यदि अन्य लोक प्राधिकरणों की संख्या दो या अधिक है तो आवेदन को अन्तरित नहीं किया जाएगा, बल्कि सूचना को अपने लोक प्राधिकरण की अभिरक्षा या नियंत्रण में उपलब्ध कराने के पश्चात् आवेदक को शेष सूचना के लिए सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पृथक से आवेदन करने के लिए कहा जाएगा।

(घ) यदि यह स्पष्ट नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण की अभिरक्षा या नियंत्रण में है, तो अपनी अभिरक्षा में सूचना उपलब्ध कराने वाला लोक सूचना अधिकारी शेष सूचना के लिए आवेदन को आवेदक को वापस कर देगा तथा उसे स्थिति से अवगत कराएगा।

(ई) अधिनियम में परिभाषित सूचना के अलावा अन्य सूचना के अनुरोध पर, सार्वजनिक सूचना
अधिकारी आवेदक को सूचित करेगा कि सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है।

(च) यदि आवेदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवेदन में मांगी गई 'सूचना' स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जाती है, तो लोक सूचना अधिकारी आवेदक को पत्र द्वारा या लोक प्राधिकरण की प्रकटनीय 'सूचना' का निरीक्षण करके अपेक्षित सूचना को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए सूचित करेगा।

(छ) सूचना उपलब्ध कराने के अनुरोध को स्वीकार न करने की स्थिति में लोक सूचना आयुक्त को सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
अधिकारी आवेदक को उसके अनुरोध को स्वीकार न करने का कारण बताएगा, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

Machine Translated by Google

अधिनियम और नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना होगा। पीआईओ प्रथम अपील अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराएगा।

(ज) आवेदक द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिस रूप में उसे मांगा गया है, जब तक कि सूचना प्रदान करने में लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुचित उपयोग न हो या अपेक्षित सूचना के अभिलेखों की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक न हो।

6.3.5 सूचना के लिए शुल्क

- धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ 10 रुपये का आवेदन शुल्क संलग्न होगा, जो उचित रसीद के विरुद्ध नकद या गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर या ट्रेजरी चालान या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को देय होगा।

धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क, उचित रसीद के बदले नकद या गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर या ट्रेजरी चालान या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को निम्नलिखित दरों पर देय होगा:-

- निर्मित या कॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए4 या ए3 आकार के कागज़ में) के लिए दो रुपए; तथा बड़े आकार के कागज़ में एक प्रति का वास्तविक शुल्क या लागत मूल्य;
- अभिलेखों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; तथा प्रत्येक बाद के घंटे (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क;
- नमूनों या मॉडलों की वास्तविक लागत या कीमत।

लेकिन गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क, उचित रसीद के बदले नकद रूप में या गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर या ट्रेजरी चालान या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को निम्नलिखित दरों पर देय होगा:-

- सीडी/डीवीडी में दी गई जानकारी के लिए बीस रुपए प्रति सीडी/डीवीडी; तथा
- ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए या प्रकाशन से अंशों की फोटोकॉपी के लिए दो रुपए प्रति पृष्ठ।

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों के लिए शुल्क निम्नानुसार है, -

- यदि वांछित जानकारी आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों से संबंधित है तो जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- यदि यह आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का है तो 50 पृष्ठ (ए-4 आकार) या यदि यह 100 रुपये में तैयार हो सकता है तो इसे 100 रुपये में तैयार किया जाएगा।

Machine Translated by Google

यदि वांछित सूचना इस सीमा से अधिक है तो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को अपने खर्च पर अभिलेखों का निरीक्षण करने, नोट्स लेने या फोटोकॉपी करने की अनुमति होगी।

लेकिन गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को स्वयं सत्यापित प्रति साथ लानी होगी।
आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड भी संलग्न करें।

6.3.6 राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्व

नियम 7 में राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों का प्रावधान इस प्रकार है:-

(क) आवेदक को, जहां तक संभव हो, आवेदन प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उपर्युक्त अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा।
(ख) आवेदक को तीसरे पक्ष की सूचना अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाएगी।

(ग) अधिनियम की धारा 8(1) के अंतर्गत उल्लिखित सूचना, जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है, उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, बशर्ते कि व्यापक जनहित में लोक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे।

(घ) अधिनियम की धारा 8(1)जे के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचना, जो सार्वजनिक क्रियाकलापों या सार्वजनिक हित से संबंधित न हो या जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति की निजता पर अवांछनीय आक्रमण हो, का प्रकटीकरण तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह संतुष्टि न हो जाए कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण न्यायोचित है।

6.3.7 विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील

नियम 8 में विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का प्रावधान इस प्रकार है:

(जे) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी के निपटान आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते समय आवेदक को अनुरोध पत्र तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निपटान का पत्र संलग्न करना होगा। अपील में अपील के आधार का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(ट) तीसरे पक्ष की सूचना के प्रकटीकरण के मामले में, लोक सूचना अधिकारी का आदेश, तीसरे पक्ष से अपेक्षित सूचना तथा तीसरे पक्ष द्वारा दिया गया कथन अपील के साथ संलग्न किया जाएगा।

(I) यदि अपेक्षित हो तो प्रथम अपील अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के विचार लिए जाएंगे। अपीलकर्ता को अपील के उचित निपटान के लिए, यदि अपेक्षित हो तो, स्वयं उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है।

(एम) प्रथम अपील अधिकारी यथासंभव 30 दिन के भीतर अपील का निर्णय करेगा तथा अधिकतम 45 दिन की अवधि में प्रथम अपील का निपटारा कर सकेगा। समय सीमा बढ़ाने का कारण दर्ज किया जाएगा।

(ढ) प्रथम अपील अधिकारी अपील की सुनवाई करते समय अपीलकर्ता के इनकार के बारे में पूछताछ करेगा।
व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा।
(o) अपील पर विचार करते समय प्रथम अपील अधिकारी स्वयं संतुष्ट होगा कि क्या
आवेदक द्वारा मांगी गई 'सूचना' का खुलासा किया जा सकता है या नहीं।

Machine Translated by Google

(त) अपेक्षित सूचना स्पष्ट रूप से पहचानी नहीं जाने पर प्रथम अपील अधिकारी आवेदक को लिखित रूप में अथवा लोक प्राधिकरण के संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण करने के पश्चात अपेक्षित सूचना स्पष्ट रूप से पहचाने जाने का निर्देश देगा।

(क्यू) प्रथम अपील अधिकारी अपील पर निर्णय में उपर्युक्त उपनियमों में दर्शाए गए बिंदुओं पर अपनी टिप्पणियां दर्ज करेगा तथा लोक सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना प्रकट करने का निर्देश देगा जो प्रकट करने से छूट प्राप्त नहीं है।

6.3.8 सूचना आयोग में द्वितीय अपील

नियम 9 में सूचना आयोग में द्वितीय अपील के संबंध में नियम दिए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं:-

(ग) द्वितीय अपील करते समय अपीलकर्ता को आवेदक के अनुरोध पत्र, जन सूचना अधिकारी के अनुरोध पत्र के निपटान पत्र, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निपटान आदेश की प्रतियां आवेदक की द्वितीय अपील के साथ संलग्न करनी होंगी। द्वितीय अपील के आधारों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है।

(घ) अपीलकर्ता द्वारा द्वितीय अपील दायर करने पर आयोग निम्नलिखित कार्यवाही अपनाएगा:

निम्नलिखित प्रक्रिया:

(आर) संबंधित पीआईओ और विभागीय अपील अधिकारी को आवश्यकतानुसार सूचित किया जाएगा।
उत्तरदाताओं.

(ii) लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(iii) द्वितीय अपील में आयोग यह जांच करेगा कि क्या प्रथम अपील अधिकारी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचना जारी करने का निर्देश दिया था या नहीं, लोक सूचना अधिकारी ने समय पर सूचना जारी की थी या नहीं।

(iv) राज्य सूचना आयोग किसी अपील पर निर्णय करते समय:-

(ई) संबंधित या हितबद्ध पक्ष से शपथ या हलफनामे पर मौखिक या लिखित साक्ष्य प्राप्त करना
व्यक्ति;

(एफ) दस्तावेजों, सार्वजनिक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करना;

(जी)अधिकृत अधिकारी के माध्यम से आगे के विवरण या तथ्य की जांच करना; और

(एच) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपील की गई हो या तीसरे पक्ष से शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

आयोग संबंधित व्यक्ति को प्रथम नोटिस पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेगा, तत्पश्चात संबंधित व्यक्ति को निम्नलिखित तरीके से नोटिस भेजा जाएगा:-

(i) पार्टी के माध्यम से;

(ii) सर्वर के माध्यम से हाथ से;

Machine Translated by Google

(iii) साधारण डाक द्वारा, या

(iv) कार्यालयाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष के माध्यम से।

(v) इंटरनेट के माध्यम से ई-मेल या एसएमएस द्वारा।

(vi) पावती सहित पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा।

अपीलकर्ता या पक्षों की सुनवाई के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(1) अपीलार्थी या प्रत्यर्थी, जैसा भी मामला हो, अपील की प्रक्रिया में अपना मामला प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ किसी भी व्यक्ति की सहायता ले सकेगा।

(II) आयोग के आदेश खुले रूप में दिए जाएंगे और प्रमाणित किए जाएंगे।
इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी या सचिव द्वारा लिखित रूप में।

(III) आयोग का आदेश पारित होने के पश्चात् उसे आयोग द्वारा यथाशीघ्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

6.3.9 अधिनियम की धारा (18) के तहत आयोग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया

आयोग द्वारा धारा 144 के तहत दायर शिकायत में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत।

(छ) आयोग अधिनियम की धारा 18(1) के खंड (क) से (च) में उल्लिखित कारणों से दायर शिकायत की जांच करेगा।

(ज) शिकायतकर्ता अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से वह आधार या आधार दर्शाएगा जिसके तहत धारा (18) की उपधारा (1) के खंड (क) से (च) तक शिकायत दर्ज की गई है।
(i) शिकायत की प्रति लोक सूचना अधिकारी या प्रधान लोक प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, भेजी जाएगी और उन्हें शिकायत पर लिखित रूप में अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।

(जे) आयोग साक्ष्य ले सकता है तथा ऐसे अभिलेखों को मंगवा सकता है तथा उनका निरीक्षण कर सकता है जो शिकायत की जांच के लिए आवश्यक हैं।
(ट) आयोग शिकायत की जांच कर सकता है तथा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम की धारा 20 के अनुसार दंडित कर सकता है।

(ठ) किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है जो अधिनियम के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन करता है।

6.3.10 आयोग द्वारा लगाए गए मुआवजे और जुर्माने की वसूली:

नियमों में जुर्माना वसूलने के प्रावधान और उसमें प्रक्रिया बताई गई है। इसमें प्रावधान किया गया है कि पीआईओ पर लगाया गया जुर्माना या लगाया गया मुआवजा पारित आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि समाप्त होने पर वसूला जा सकेगा।

Machine Translated by Google

आदेश पारित करने पर आयोग द्वारा ऐसे आदेश की प्रति वसूली के उद्देश्य से लोक प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी जो आयोग को इसकी पावती भेजेगा जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि भुगतान के लिए मुआवज़ा राशि नोट कर ली गई है। आदेश प्राप्त होने के बाद जुर्माना या मुआवज़ा वसूलने की जिम्मेदारी लोक प्राधिकरण की होगी।

नियम 12 में इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के बारे में कहा गया है। राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन आदेश पारित कर सकती है। नियम 13 में निरसन और व्यावृत्ति का प्रावधान है। अर्थात् उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2012 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है और उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2012 के निरस्त होने के बावजूद, उक्त नियमों के अंतर्गत किया गया कोई कार्य या जारी किया गया कोई दस्तावेज, जब तक कि वह इन नियमों से असंगत न हो, इन नियमों के अंतर्गत किया गया या जारी किया गया माना जाएगा।

6.4 सारांश

उत्तराखंड राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नियम बनाए हैं। 2012 के नियम निरस्त कर दिए गए हैं और आज उत्तराखंड सूचना का अधिकार नियम, 2013 अस्तित्व में हैं। नियम अपने परिभाषा खंड में विभिन्न परिभाषाएं प्रदान करते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है। नियम संख्या 3 में राज्य सरकार द्वारा स्व प्रकटीकरण के लिए सूचना निर्धारित करने का प्रावधान है। नियम में यह प्रावधान है कि अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की भाषा उत्तराखंड राज्य के लिए देवनागरी लिपि या अंग्रेजी में होगी। नियमों में सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के साथ-साथ सूचना के लिए शुल्क और छूट का विस्तार से विवरण दिया गया है। नियम राज्य लोक सूचना अधिकारी के दायित्वों के बारे में प्रावधान करते हैं कि उन्हें प्राप्त आवेदन के लिए विभिन्न शर्तों का कैसे निपटान करना है। नियमों में विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की प्रक्रिया, सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के साथ-साथ शिकायत से निपटने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियमों में आयोग द्वारा लगाए गए मुआवजे और जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया भी प्रदान की गई है।

6.5 शब्दावली

पीआईओ- अधिनियम में परिभाषित लोक सूचना अधिकारी।

एपीआईओ- सहायक लोक सूचना अधिकारी।

प्रथम विभागीय अपील अधिकारी से तात्पर्य सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत दायर प्रथम अपील के निपटान के लिए धारा 19(1) के अंतर्गत नामित अधिकारी से है।

आयोग का तात्पर्य उत्तराखंड राज्य आयोग से है।

Machine Translated by Google

6.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न-

क. अध्याय में प्रयुक्त आयोग शब्द से आप क्या समझते हैं?

ख. नियमों के तहत अभिलेखों के निरीक्षण के लिए क्या शुल्क निर्धारित किए गए हैं?

2 रिक्त स्थान भरें-

सी. गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से ------ शुल्क लिया जाएगा।
प्रथम अपील अधिकारी यथासंभव ---- दिनों के भीतर अपील का निर्णय करेगा और
प्रथम अपील का निपटारा ---- दिन से अधिक की अवधि के भीतर कर सकेगा।

6.7 संदर्भ

क) उत्तराखंड राज्य आयोग की वेबसाइट।
ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

6.8 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

1. नियमों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की निर्धारित प्रक्रिया का वर्णन करें।

2. विभागीय अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें।

3. अधिनियम के अंतर्गत की गई शिकायत के मामले में आयोग द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है?

जवाब

SAQS 1.

(ए)6.3.1 देखें, (बी)6.3.5

2. (ए) नहीं, (बी) 30 और 45.

टर्मिनल प्रश्न और उत्तर

(1).6.3.4, (2)6.3.7 (3) 6.3.9 देखें

Machine Translated by Google

इकाई 7

केन्द्र और राज्य का संविधान

सूचना आयोग

संरचना

7.1 परिचय

7.2 उद्देश्य

7.3 विषय: केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग

7.3.1 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन

7.3.2 मुख्य सूचना आयुक्त या किसी अन्य पद के लिए नियुक्ति हेतु पात्र व्यक्ति का कार्यकाल एवं सेवा की शर्तें
केंद्रीय सूचना आयुक्त

7.3.3 मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाना

7.3.4 राज्य सूचना आयोग का गठन

7.3.5 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल एवं सेवा शर्तें
या राज्य सूचना आयुक्त

7.3.6 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाना

7.4 सारांश

7.5 शब्दावली

7.6 एसएक्यूएस

7.7 संदर्भ

7.8 सुझाए गए पठन सामग्री

7.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

7.10 उत्तर

7.1 परिचय

इस इकाई में छात्र केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन और संरचना के बारे में जानेंगे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जो आयोग का प्रमुख होगा, और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की उतनी संख्या होगी, जितनी आवश्यक समझी जाए, लेकिन दस से अधिक नहीं। 26 अक्टूबर 2005 को , श्री वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बने। वर्तमान में (1 जनवरी 2018 तक) श्री राधा कृष्ण माथुर मुख्य सूचना आयुक्त हैं।

इसी प्रकार, यह अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोगों के अनिवार्य गठन का भी प्रावधान करता है, जो किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकरण होगा। इस अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जो आयोग का अध्यक्ष होगा और आवश्यक समझे जाने वाले राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या दस से अधिक नहीं होगी।

7.2 उद्देश्य

Machine Translated by Google

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

(i) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोग के गठन और संरचना को जानें
सूचना आयोग (एसआईसी)।

(ii) मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और केन्द्रीय सूचना आयुक्तों/राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों के बारे में जानें।

(iii) आपको मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी केन्द्रीय सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की जानकारी होगी ।

7.3 विषय: केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग

आरटीआई अधिनियम, 2005 में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में केन्द्रीय और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की स्थापना का प्रावधान है।

अधिनियम में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया, जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

7.3.1 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाएगा। यह इस आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का पालन करेगा।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनधिक केन्द्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सूचना आयोग के नियमों के अनुसार समझा जाए।
ज़रूरी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) प्रधान मंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और
(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसे सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका प्रयोग या कार्य केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन हुए बिना, स्वायत्त रूप से किया जा सकता है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जिन्हें विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव होगा।

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा, या कोई कारोबार या पेशा नहीं करेगा।

Machine Translated by Google

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

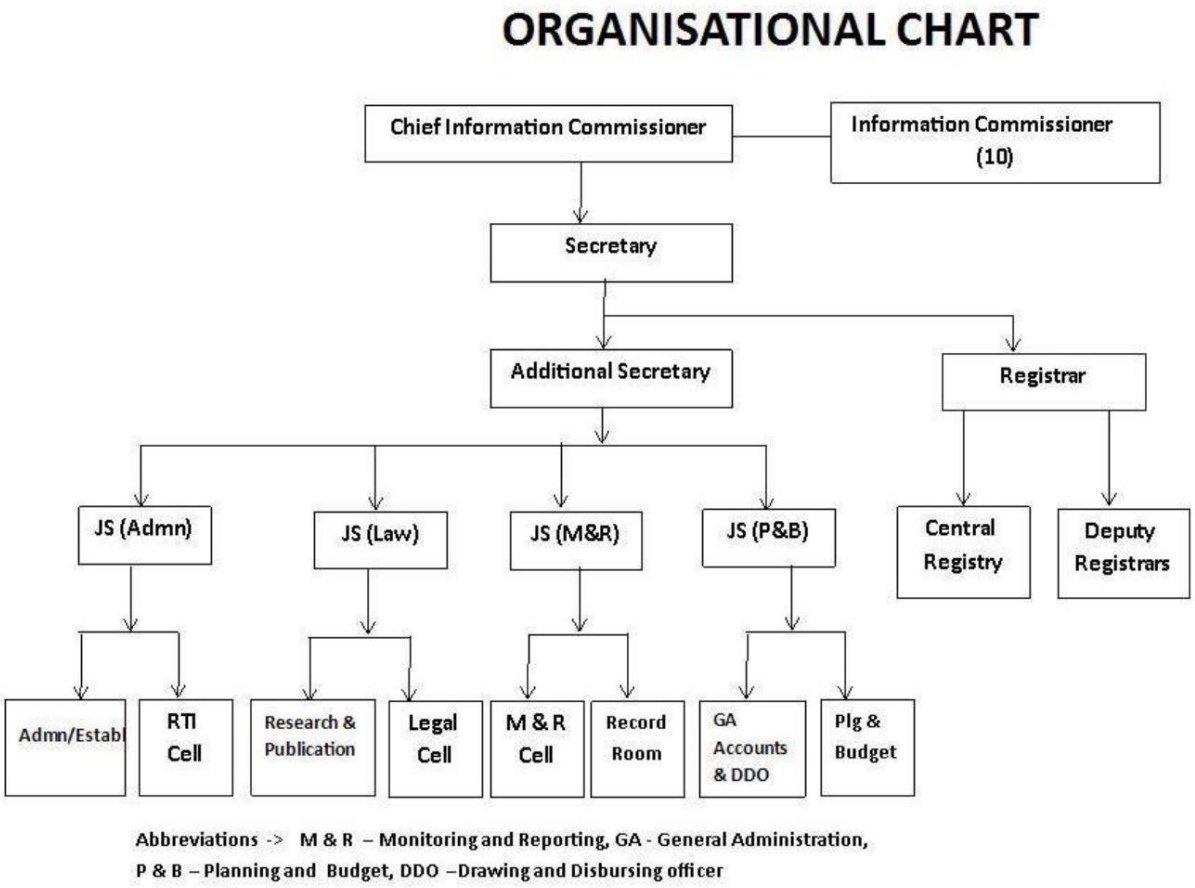

स्रोत: http://cic.gov.in/organizational-structure

7.3.2 मुख्य सूचना आयुक्त या किसी अन्य अपर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और सेवा की शर्तें

केंद्रीय सूचना आयुक्त

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 13 मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद की शर्तों और सेवा की शर्तों का प्रावधान करती है।

मुख्य सूचना आयुक्त, अपने पदभार ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, किन्तु कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त, 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) इसी प्रकार, प्रत्येक केन्द्रीय सूचना आयुक्त, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

Machine Translated by Google

(3) प्रत्येक सूचना आयुक्त अपना पद रिक्त होने पर मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु उसका पदकाल सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।
राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपने कार्यालय से।

(6) मुख्य न्यायाधीश को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन
सूचना आयुक्त का पद मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के समान होगा।
भारत।

(7) सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें भारत के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगी।

(8) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उनके कार्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हों।

7.3.3 मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाना

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 14 में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाने का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को केवल भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ देंगे और फिर सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद रिपोर्ट देगा कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति को मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उनके पद से निलंबित करने की शक्ति है, जिनके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ भेजा गया है। राष्ट्रपति उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक सकते हैं।

(3) इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को निम्नलिखित आधारों पर उसके पद से हटा सकेगा, यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त: (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक रूप से हानिकारक हो
अधमता; या

(ग) अपने पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में संलग्न होता है; या

(डी) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

(ई) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है
मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त।

Machine Translated by Google

(4) इसी प्रकार, यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध है या किसी भी तरह से उसके लाभ में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी फायदे या पारिश्रमिक में किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भाग लेता है, तो उसे दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा।

7.3.4 राज्य सूचना आयोग का गठन

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 15 में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है।

राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किया जाएगा। यह इस आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।

(2) राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त शामिल होंगे, जितनी आवश्यक समझी जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;
(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता; और
(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री।
(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, जिनके पास विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव होगा और

शासन.

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार या पेशा नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

7.3.5 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और सेवा की शर्तें

राज्य सूचना आयुक्त

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 16 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद की शर्तें और सेवा की शर्तें दी गई हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन कोई भी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पद धारण नहीं करेगा।

Machine Translated by Google

(2) इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त अपना पद रिक्त करने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, किन्तु उसका पदकाल पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 15 वर्ष का अनुभव।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(6) राज्य के कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन
मुख्य सूचना आयुक्त का पद निर्वाचन आयुक्त के पद के समान होगा।

(7) किसी राज्य को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन
सूचना आयुक्त का पद राज्य के मुख्य सचिव के समान होगा।

(८) राज्य सरकार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य
सूचना आयुक्तों को ऐसे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने होंगे जो इस अधिनियम के अधीन उनके कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक हों।

7.3.6 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाना

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 17 में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाने का प्रावधान है। इसमें प्रावधान है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को केवल राज्यपाल के आदेश द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा। लेकिन इसके लिए राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ देंगे और फिर सर्वोच्च न्यायालय जांच के बाद रिपोर्ट देगा कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, जैसा भी मामला हो, ऐसे आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को निलंबित करने की शक्ति है
सूचना आयुक्त को उनके कार्यालय से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिनके संबंध में उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा गया है। राज्यपाल उन्हें जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(3) इसके अतिरिक्त राज्यपाल आदेश द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को निम्नलिखित आधारों पर उनके पद से हटा सकेंगे, यदि राज्य मुख्य
सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त: (क) दिवालिया घोषित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, जो राज्यपाल की राय में नैतिक रूप से हानिकारक हो
अधमता; या

(ग) अपने पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में संलग्न होता है; या

(डी) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या

Machine Translated by Google

(ई) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) इसी प्रकार, यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते से किसी भी तरह से संबंधित या हितबद्ध है या किसी भी तरह से उसके लाभ में या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी फायदे या पारिश्रमिक में किसी निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भाग लेता है, तो वह दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा।

7.4 सारांश

इस इकाई में हमने केन्द्रीय और राज्य सूचना आयोग के गठन पर चर्चा की है। केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा राज्य सूचना आयोग का गठन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के लिए अपने-अपने राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन करना अनिवार्य है। केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनधिक केन्द्रीय सूचना आयुक्त होंगे, जिन्हें आवश्यक समझा जाए। इसी प्रकार, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा दस से अनधिक राज्य सूचना आयुक्त होंगे, जिन्हें आवश्यक समझा जाए। मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त दोनों का कार्यकाल पाँच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा तथा वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। केन्द्रीय सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त दोनों ही अपने पद छोड़ने पर मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त दोनों को भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन सभी मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भ दिया जाना चाहिए, जो जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंपेगा।

भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल, जैसा भी मामला हो। इसी तरह, मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य प्रमुख को हटाने के कुछ अतिरिक्त सामान्य आधार हैं।

सूचना आयुक्त और केंद्रीय सूचना आयुक्त/राज्य सूचना

इसके अलावा, मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और केन्द्रीय सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त भी भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

7.5 शब्दावली

1. केंद्रीय सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(बी) में प्रावधान है कि "केंद्रीय सूचना आयोग" का अर्थ है केंद्रीय सूचना आयोग जिसका गठन किया गया है

Machine Translated by Google

अधिनियम की धारा 12(1) के तहत यह सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

2. राज्य सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(के) में प्रावधान है कि "राज्य सूचना आयोग" का अर्थ है राज्य सूचना आयोग जो निम्नलिखित के तहत गठित है:

अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत यह सूचना प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च निकाय है जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

3. मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(डी) में प्रावधान है कि "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" का तात्पर्य धारा 12 की उपधारा (3) के तहत नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त से है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और केंद्रीय स्तर पर अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं।

4. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एल) में प्रावधान है कि "मुख्य राज्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" का तात्पर्य धारा 15 की उपधारा (3) के तहत नियुक्त मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त से है। राज्य स्तर पर एक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।

5. नैतिक अधमता: आपराधिक कानून में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाक्यांश, ऐसे आचरण का वर्णन करने के लिए जिसे न्याय, ईमानदारी या अच्छे नैतिक मूल्यों के सामुदायिक मानकों के विपरीत माना जाता है। नैतिक अधमता से तात्पर्य आम तौर पर ऐसे आचरण से है जो सार्वजनिक विवेक को झकझोर देता है।

6. दिवालिया: दिवालिया का अर्थ है वह व्यक्ति या कंपनी जो ऋण चुकाने में असमर्थ है।

7.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न-

(क) आरटीआई अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना पर चर्चा करें।

अधिनियम, 2005.

(ख) राज्य के राज्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी है

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार सूचना आयोग क्या है?

2. रिक्त स्थान भरें-

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति ..... द्वारा की जाती है।

(ख) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति ..... द्वारा की जाती है।

(ग) केन्द्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल .....वर्ष है।

3. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(i) सत्य, (ii) असत्य.

(ख) केन्द्रीय सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है:

दिवालियापन.

(i) सत्य, (ii) असत्य.

Machine Translated by Google

7.7 संदर्भ

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

बी) http://cic.gov.in/

7.8 सुझाए गए पठन सामग्री

(ए) डॉ. आरके वर्मा और डॉ. (श्रीमती) अनुराधा वर्मा द्वारा सूचना का अधिकार कानून और अभ्यास , 2रा संस्करण 2010, टैक्समैन पब्लिशर्स.

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: नंगे अधिनियम

(सी) एसपी कनेजा द्वारा लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक व्यावहारिक पुस्तिका , द बुक लाइन द्वारा प्रकाशित (2011)।

7.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

(क) केन्द्रीय सूचना आयोग के गठन एवं संरचना पर चर्चा कीजिए।

(ख) किस आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है?

(ग) राज्य सूचना आयोग के गठन एवं संरचना पर चर्चा कीजिए।

7.10 उत्तर

SAQS 1.

(ए) 7.3.1, (बी)10 देखें

2. (क) राष्ट्रपति (ख) राज्यपाल (ग) 5 वर्ष

(अ) असत्य, (ब) सत्य 3.

अंतिम प्रश्न और उत्तर

(क) 7.3.1, (ख) 7.3.6, (ग) 7.3.4 देखें

Machine Translated by Google

इकाई 8

सूचना के कार्य और शक्तियाँ

आयोगों

संरचना

8.1 परिचय

8.2 उद्देश्य

8.3 विषय: केंद्र और राज्य की शक्तियां और कार्य

सूचना आयोग

8.3.1 सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य

8.3.2 अपीलीय शक्तियां 8.3.3. केंद्रीय

सूचना आयोग के समक्ष अपील की प्रक्रिया

8.3.3.1 आयोग में अपील अपील की वापसी

8.3.3.2

8.3.3.3 अपील की प्रक्रिया

8.3.3.4 अपील पर निर्णय लेने की प्रक्रिया आयोग के

8.3.3.5 समक्ष अपीलकर्ता की उपस्थिति सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुति

8.3.3.6

8.3.3.7 आयोग द्वारा नोटिस की तामील आयोग का आदेश

8.3.3.8

8.3.3.9 अपील का प्रारूप

8.4 सारांश

8.5 शब्दावली

8.6 एसएक्यूएस

8.7 संदर्भ

8.8 सुझाए गए पठन सामग्री

8.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

8.10 उत्तर

Machine Translated by Google

8.1 परिचय

पिछली इकाई में आपने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों के गठन और संरचना के बारे में सीखा। इसी तरह, इस इकाई के अंतर्गत छात्र केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग दोनों की शक्तियों और कार्यों के बारे में जानेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य सूचना आयोग का गठन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों के लिए अपने-अपने राज्यों में राज्य सूचना आयोग का गठन करना अनिवार्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए व्यापक अधिकार देता है, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है। इसी तरह, व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण के लिए इन निकायों को अपीलीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

(i) केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों को जानें
सूचना आयोग (एसआईसी)।

(ii) केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) के समक्ष संपर्क करने के आधारों के बारे में जानें।

(iii) छात्रों को केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया की जानकारी होगी
(सीआईसी)

8.3 विषय: केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियां और कार्य

राज्य सूचना आयोग

आरटीआई अधिनियम, 2005 किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए एक निर्दिष्ट प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों के गठन का प्रावधान है जो अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए व्यापक अधिकार देता है जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है।

मई।

8.3.1 सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18 में केंद्रीय/राज्य सूचना आयोगों की शक्तियों और कार्यों का प्रावधान है। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी व्यक्ति से निम्नलिखित आधारों पर शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे:

(क) जो जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) की नियुक्ति न होने के कारण सूचना अनुरोध प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।

(ख) जिसकी सूचना का आवेदन पीआईओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो या जिसकी अपील का आवेदन पीआईओ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को अग्रेषित नहीं किया गया हो।

Machine Translated by Google

सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो।

(ग) जिसे इस अधिनियम के तहत मांगी गई किसी भी सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया गया हो

(घ) जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो

कानून द्वारा तय किया गया।

(ई) जो सोचता है कि ली गई फीस अनुचित है।

(च) जो सोचता है कि दी गई जानकारी अधूरी या झूठी या भ्रामक है; और

(छ) इस कानून के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने से संबंधित कोई अन्य मामला।

(2) जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो कि मामले की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है।

(3) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को इस धारा के अधीन किसी मामले की जांच करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद की सुनवाई करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात:-

(क) व्यक्तियों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उन्हें मौखिक या मौखिक बयान देने के लिए बाध्य करना।
शपथ पर लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना और दस्तावेज या चीजें प्रस्तुत करना।

(ख) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता।

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतियां प्राप्त करना।

(ई) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए सम्मन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जा सके।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति है कि इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच के दौरान वह किसी ऐसे अभिलेख की जांच कर सकता है जो लोक प्राधिकरण के नियंत्रण में है और ऐसा कोई अभिलेख किसी भी आधार पर उससे रोका नहीं जा सकता।

8.3.2 अपीलीय शक्तियां

(1) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 में विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष अपील का प्रावधान है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान करने की समय-सीमा अनुरोध प्राप्त होने से 30 दिन है (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) देखें) या विस्तारित अवधि (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(3)(ए))। यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रदान नहीं की जाती है, तो उसे 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी।

यदि कोई व्यक्ति इस समय-सीमा के भीतर किसी लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं करता है, तो व्यथित व्यक्ति को ऐसे अनुरोध की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ऐसे अधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद का हो।

(2) इसी प्रकार, जहां कोई व्यक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, तो वह ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पंक्ति का हो।

Machine Translated by Google

(3) ऐसा अधिकारी (जिसके समक्ष अपील की गई है) तीस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(4) जहां केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है,
सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के अधीन
धारा 11 तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने के लिए संबंधित तीसरे पक्ष द्वारा अपील
आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(5) किसी अपील के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील (अर्थात ऐसे अधिकारी को जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ पद का हो) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के समक्ष की जा सकेगी। अपील उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष की जा सकेगी, जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के समक्ष अपील कर सकता है। केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जिस तारीख को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था, उस तारीख से नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकता है।

राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारणों से समय पर अपील दायर करने से रोका गया था।

(6) यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का निर्णय
सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिसके विरुद्ध अपील की जाती है, से संबंधित है।
किसी तीसरे पक्ष, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य की सूचना के लिए
सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, सुनवाई का उचित अवसर देगा।
उस तीसरे पक्ष की बात सुनी जा रही है।

(7) किसी भी अपील कार्यवाही में, यह साबित करने का भार कि अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था
न्यायोचित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा
अधिकारी, जैसा भी मामला हो, जिसने अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

(8) प्रथम अपील (अर्थात् जो ऐसे अधिकारी को की जाती है जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठतर पंक्ति का है) के निपटान की समय-सीमा अपील की प्राप्ति से तीस दिन या लिखित रूप में कारण दर्ज करके, यथास्थिति, उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अनधिक ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर है।

(9) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का निर्णय
आयोग का निर्णय, जैसा भी मामला हो, बाध्यकारी होगा।

(10) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपने निर्णय में,
किसी भी मामले में, ------- की शक्ति है

(क) सार्वजनिक प्राधिकरण को ऐसे कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य करना जो अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो
इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ, जिनमें शामिल हैं-

(i) यदि अनुरोध किया जाए तो किसी विशेष प्रारूप में सूचना तक पहुंच प्रदान करके।

(ii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करके,
मामला जो भी हो.

(iii) कुछ सूचना या सूचना की श्रेणियों को प्रकाशित करके।

Machine Translated by Google

(iv) रखरखाव, प्रबंधन और के संबंध में अपनी प्रथाओं में आवश्यक परिवर्तन करके
अभिलेखों का विनाश।

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान को बढ़ाकर।

(vi) वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराकर।

(ख) आयोग लोक प्राधिकरण से शिकायतकर्ता को किसी नुकसान या क्षति के लिए प्रतिपूर्ति करने की मांग कर सकता है।
अन्य हानि उठानी पड़ी।

(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी दंड लगाना।

(घ) आवेदन अस्वीकार करें।

(11) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग,
जो भी मामला हो, अपने निर्णय की सूचना देगा, जिसमें अपील का कोई भी अधिकार शामिल है,
शिकायतकर्ता और सार्वजनिक प्राधिकरण।

(12) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील का निर्णय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

8.3.3. केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005 और सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का स्थान लेते हुए केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार नियम, 2012 बनाए हैं। इन नियमों में केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। अपील दायर करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

8.3.3.1 आयोग में अपील सूचना का अधिकार नियम,

2012 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उसकी अपील का निपटारा न किए जाने से व्यथित कोई भी व्यक्ति परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप में आयोग में अपील दायर कर सकता है और उसके साथ अपीलकर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित और सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे, अर्थात:

(i) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत आवेदन की प्रति।

(ii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त उत्तर की प्रति, यदि कोई हो।

(iii) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को की गई अपील की प्रति।

(iv) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त आदेश की प्रति, यदि कोई हो।

(वी) अपीलकर्ता द्वारा अपनी अपील में संदर्भित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां और;

(vi) अपील में संदर्भित दस्तावेजों की सूची।

8.3.3.2 अपील की वापसी

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 9 में यह प्रावधान है कि यदि कोई अपील नियम 8 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ नहीं है, तो अपीलकर्ता को अपील में कमियों को दूर करने तथा सभी प्रकार से पूर्ण अपील दाखिल करने के लिए वापस कर दी जा सकती है।

8.3.3.3 अपील की प्रक्रिया

(1) सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि अपील प्राप्त होने पर, यदि आयोग इस बात से संतुष्ट नहीं है कि यह आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त मामला है, तो वह अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और उसके कारणों को दर्ज करने के बाद, अपील को खारिज कर सकता है।

Machine Translated by Google

किन्तु कोई अपील केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जाएगी कि वह विनिर्दिष्ट प्रारूप में नहीं की गई है, यदि उसके साथ नियम 8 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न हैं।

(2) आयोग किसी अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक वह इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अपीलकर्ता ने अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी उपचारों का लाभ उठा लिया है।

(3) यह माना जाएगा कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध सभी उपचारों का लाभ उठा लिया है।

कार्य:

(क) यदि उसने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या ऐसी अपील पर आदेश पारित करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति ने अपील पर अंतिम आदेश दिया था; या

(ख) जहां प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है और जिस तारीख को ऐसी अपील प्रस्तुत की गई थी, उससे पैंतालीस दिन की अवधि बीत गई है।

8.3.3.4 अपील पर निर्णय लेने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 11 में प्रावधान है कि आयोग किसी अपील पर निर्णय करते समय-

(i) संबंधित या हितबद्ध पक्ष से शपथ या हलफनामे पर मौखिक या लिखित साक्ष्य प्राप्त करना।

व्यक्ति।

(ii) दस्तावेजों, सार्वजनिक अभिलेखों या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करना।

(iii) प्राधिकृत अधिकारी से आगे के विवरण या तथ्य की पूछताछ करें।

(iv) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी या ऐसे व्यक्ति की सुनवाई करना जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, जैसा भी मामला हो।

(v) तीसरे पक्ष को सुनना; और

(vi) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपील की गई हो या तृतीय पक्ष से शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना।

8.3.3.5 आयोग के समक्ष अपीलकर्ता की उपस्थिति

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 12 में अपीलकर्ता की आयोग के समक्ष उपस्थिति के लिए नियम दिए गए हैं। इसमें प्रावधान है: (1) अपीलकर्ता को अपील की तिथि से कम से कम सात

दिन पहले तिथि की जानकारी दी जाएगी।

सुनवाई.

(2) अपीलकर्ता आयोग द्वारा अपील की सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है, उपस्थित हो सकेगा।

(3) जहां आयोग का यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण अपीलकर्ता सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो आयोग अपीलकर्ता को एक अन्य अवसर प्रदान कर सकेगा।

8.3.3.6 सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुति

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 13 में प्रावधान है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अधिकृत कर सकता है

अपने किसी भी अधिकारी के प्रतिनिधि को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

Machine Translated by Google

8.3.3.7 आयोग द्वारा नोटिस की तामील

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 14 में आयोग द्वारा नोटिस की तामील के लिए नियम दिए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि आयोग नाम से नोटिस जारी कर सकता है, जिसे निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से तामील किया जाएगा, अर्थात्:—

(मैं) पार्टी द्वारा स्वयं सेवा;

(ii) प्रोसेस सर्वर के माध्यम से हस्त डिलीवरी (दस्ती) द्वारा;

(iii) पावती सहित पंजीकृत डाक द्वारा;

(iv) इलेक्ट्रॉनिक पता उपलब्ध होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा।

8.3.3.8 आयोग का आदेश

सूचना का अधिकार नियम, 2012 के नियम 15 में यह प्रावधान है कि आयोग का आदेश लिखित होगा तथा रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित आयोग की मुहर के अंतर्गत जारी किया जाएगा।

8.3.3.9 अपील का प्रारूप

यह केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष दायर की जाने वाली अपील का प्रारूप है। यह प्रारूप सूचना का अधिकार नियम, 2012 के परिशिष्ट में दिया गया है।

(नियम 8 देखें)

1. अपीलकर्ता का नाम और पता

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसे आवेदन भेजा गया है
संबोधित किया गया

3. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता जिसने प्रश्न का उत्तर दिया।
आवेदन

4. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता जिसने प्रथम अपील का निर्णय किया

5. आवेदन का विवरण

6. आदेश(ओं) का विवरण, यदि कोई हो तो उसकी संख्या सहित, जिसके विरुद्ध अपील की गई है

7. अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य

8. प्रार्थना या राहत की मांग

9. प्रार्थना या राहत के लिए आधार

10. अपील से संबंधित कोई अन्य जानकारी

11। अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन/प्रमाणीकरण

8.4 सारांश

इस इकाई में हमने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा की है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य सूचना आयोगों का गठन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने के लिए व्यापक अधिकार देता है, जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19 विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष अपील का प्रावधान करती है। केंद्रीय लोक सूचना द्वारा सूचना प्रदान करने की समय सीमा

Machine Translated by Google

अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से संपर्क करने की अंतिम तिथि अनुरोध प्राप्त होने से 30 दिन (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) देखें) या विस्तारित अवधि (आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 7(3)(ए)) है। यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो व्यथित व्यक्ति को ऐसे अनुरोध से तीस दिन की समाप्ति के बाद प्रत्येक लोक प्राधिकरण में ऐसे अधिकारी को अपील करने का अधिकार होगा जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक का हो। किसी अपील के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील (अर्थात प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक का हो) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, में की जा सकेगी। अपील उस तिथि से नब्बे दिनों के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में की जा सकेगी जिस तिथि को निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में अपील की जा सकेगी।

आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था। इसी प्रकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सूचना का अधिकार नियम, 2012 तैयार किए हैं। ये नियम केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं।

8.5 शब्दावली

1. केंद्रीय सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(बी) के अनुसार "केंद्रीय सूचना आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 12(1) के तहत गठित केंद्रीय सूचना आयोग है। यह सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

2. राज्य सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(के) में प्रावधान है कि "राज्य सूचना आयोग" से तात्पर्य धारा के तहत गठित राज्य सूचना आयोग से है।

अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत यह सूचना प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

3. सार्वजनिक प्राधिकरण: यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) में प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था या स्वशासन; संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें शामिल हैं

कोई भी-

(i) स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

(ii) गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से वित्तपोषित है।

उपयुक्त सरकार।

4. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(सी) में प्रावधान है कि "केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी" से तात्पर्य उपधारा (1) के तहत नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से है और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के तहत नामित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है।

Machine Translated by Google

5. राज्य लोक सूचना अधिकारी: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एम) में प्रावधान है कि "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से तात्पर्य उपधारा (1) के तहत नामित राज्य लोक सूचना अधिकारी से है और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के तहत नामित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है।

6. लोक सूचना अधिकारी: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा नामित कोई भी अधिकारी।

7. तृतीय पक्ष: इसका प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एन) में किया गया है। इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति इसमें सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा सार्वजनिक प्राधिकरण भी शामिल है।

8. ध्यानपूर्वक पढ़ना: इसका अर्थ किसी चीज़ पर ध्यानपूर्वक ध्यान देना हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ केवल "पढ़ना" भी हो सकता है।

9. दस्ती: 'दस्ती' एक फ़ारसी शब्द है, जिसका अर्थ है 'हाथ से'। इसलिए, कानूनी संदर्भ में 'दस्ती सेवा' का अर्थ है याचिकाकर्ता/वादी द्वारा प्रतिवादी/प्रतिवादियों को न्यायालय के विशिष्ट आदेश द्वारा समन की सेवा, न कि पंजीकृत डाक या न्यायालय के प्रक्रिया सर्वर के माध्यम से।

8.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न-

(क) सूचना आयोगों की किन्हीं चार शक्तियों और कार्यों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

(ख) केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर करने की समय-सीमा क्या है?

2. रिक्त स्थान भरें-

(क) द्वितीय अपील ..... के समक्ष होगी। (ख) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार कर दिया जाता है तो अपील ..... के समक्ष होगी। .....

3. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(क) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने की समय-सीमा सूचना अधिकारी को अनुरोध प्राप्त होने से 30 दिन का समय दिया जाता है।

(i) सत्य, (ii) असत्य.

(ख) द्वितीय अपील केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है।

(i) सत्य, (ii) असत्य.

8.7 संदर्भ

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

बी) http://cic.gov.in/

8.8 सुझाए गए पठन सामग्री

(ए) सूचना का अधिकार कानून और अभ्यास डॉ. आरके वर्मा और डॉ. (श्रीमती) अनुराधा वर्मा द्वारा, द्वितीय संस्करण 2010, टैक्समैन पब्लिशर्स.

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: नंगे अधिनियम

Machine Translated by Google

(सी) एसपी कनेजा द्वारा लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक व्यावहारिक पुस्तिका , द बुक लाइन द्वारा प्रकाशित (2011)।

8.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

(क) केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों पर चर्चा कीजिए।

(ख) अपील के निपटान के समय केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं?

(ग) केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

8.10 उत्तर

SAQS 1.

(a) 8.3.1 देखें, (b) 90 दिन

2. (क) केंद्रीय/राज्य सूचना आयोग (ख) राज्य सूचना आयोग

3. (a) सत्य, (b) सत्य अंतिम

प्रश्न और उत्तर

(बी) 8.3.1, (बी) 8.3.2, (सी) 8.3.3 देखें

Machine Translated by Google

इकाई 9

जांच, जुर्माना और दंड

संरचना

9.1 परिचय

9.2 उद्देश्य

9.3 विषय: जांच, जुर्माना और दंड 9.3.1 शिकायत या अपील के मामले में सूचना आयोग द्वारा दंड 9.3.2 अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिश 9.3.3. प्रक्रिया पर एक नजर

9.4 सारांश

9.5 शब्दावली

9.6 एसएक्यूएस 9.7 संदर्भ

9.8 सुझाए गए पाठ्य सामग्री 9.9 अंतिम प्रश्न और मॉडल प्रश्न 9.10

उत्तर

Machine Translated by Google

9.1 परिचय

पिछली इकाई में आपने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों के बारे में सीखा और इस इकाई में आप सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दंड, जांच और जुर्माने की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। जांच निष्पक्ष सुनवाई की प्रक्रिया के प्रमुख तत्वों में से एक है। जांच से अभियुक्त के अपराध और निर्दोषता का निर्धारण करने में मदद मिलती है और दंड प्रक्रिया का भी पालन होता है। यह इकाई लगाए जा सकने वाले विभिन्न दंडों पर ध्यान केंद्रित करती है।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे:

(i) शिकायत या सूचना के मामले में सूचना आयोग द्वारा लगाए जा सकने वाले दंडों को जानें
निवेदन

(ii) अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सिफारिशों के बारे में जानें

(iii) छात्रों को सूचना के अधिकार अपीलीय प्राधिकारियों के पदानुक्रम की जानकारी होगी।

9.3 विषय: जांच, जुर्माना और दंड

सूचना आयोग का कर्तव्य है कि वह मामले की जांच करे और धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत गलत काम करने वालों को उचित दंड प्रदान करे। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और इससे किसी भी तरह का विचलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

9.3.1 शिकायत या अपील के मामले में सूचना आयोग द्वारा दंड

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के अनुसार, जहां सूचना आयोग किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह मानता है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के:

(क) सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या (ख) धारा 7(1)
के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की है या (ग) दुर्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार कर
दिया है या (घ) जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक जानकारी दी है या (ङ)
अनुरोध का विषय रही सूचना को नष्ट कर दिया है या,

(च) सूचना देने में किसी भी प्रकार से बाधा पहुंचाई जाती है, तो वह आवेदन प्राप्त होने
या सूचना दिए जाने तक प्रतिदिन दो सौ पचास रुपए का जुर्माना लगाएगा, तथापि ऐसे जुर्माने की कुल राशि पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

जुर्माना लगाने से पहले उचित अवसर: अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी दंड को लगाने से पहले लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। यह साबित करने का भार कि उसने उचित और परिश्रमपूर्वक कार्य किया है, पीआईओ पर है।

तथापि, यदि लोक सूचना अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है अथवा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं भेजा है, तो उपस्थित न होने पर एकपक्षीय जुर्माना लगाया जा सकता है।

Machine Translated by Google

श्री विनोद भारती बनाम शिक्षा निदेशालय70 के मामले में यह माना गया कि जब देरी 100 दिनों से अधिक हो गई हो, तो आयुक्त को अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाना चाहिए।
और पीआईओ के वेतन से इसकी वसूली करने का निर्देश दे सकता है।
डॉ. (श्रीमती) सरला राजपूत बनाम सीआईसी71 के मामले में यह माना गया कि धारा 20(1) के प्रावधानों के तहत जुर्माना तब लगाया जा सकता है जब आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होती हैं और भले ही सूचना आयुक्त द्वारा अपील की अनुमति दे दी गई हो, जुर्माना न तो स्वचालित है और न ही अनिवार्य है।

लज्जाराम पाण्डेय बनाम मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग72 के मामले में यह माना गया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत जुर्माना लगाने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस मामले में अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ. (श्रीमती) सरला राजपूत बनाम सीआईसी73 के मामले में यह माना गया कि याचिकाकर्ता सीआईसी के समक्ष उपस्थित होगा और वह पहले के निर्णयों से प्रभावित हुए बिना इस प्रश्न की पुनः जांच करेगा कि क्या कोई जुर्माना लगाया जाना चाहिए या नहीं।

के मामले में

8.3.2 अपीलीय शक्तियां सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005 की धारा 20(2) के अनुसार, जहां किसी शिकायत या अपील पर निर्णय करते समय सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के और लगातार (क) सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने में विफल रहा है या (ख) धारा 7(1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है या (ग) दुर्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या (घ) जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक जानकारी दी है या (ङ) अनुरोध का
विषय थी सूचना को नष्ट कर दिया है या किसी भी तरह से सूचना प्रदान करने में बाधा उत्पन्न की है,
वह उस पर लागू सेवा नियमों के तहत सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

आर.के. जैन बनाम अध्यक्ष, आयकर निपटान आयोग74 के मामले में यह माना गया कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 18(2) के आधार पर ऐसी शिकायतों के संबंध में जांच शुरू करने की आवश्यक शक्ति है।

रेल मंत्रालय बनाम गिरीश मित्तल75 के मामले में यह माना गया कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी केवल यह कहकर सूचना प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि प्रश्नों को अन्य अधिकारियों को भेज दिया गया है।

जे.के. मित्तल बनाम सी.आई.सी.76 के मामले में यह माना गया कि आयोग, पक्ष द्वारा मांगी गई कुछ सूचना के संबंध में की गई शिकायत पर विचार करते समय कानून के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा।

70सीआईसी/एसजी/ए/2009/002597/5818 केंद्रीय सूचना आयोग दिनांक 28/10/2010

71डब्लू.पी. (सी) 5204/2008: (दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक 02.07.2009)

72आरटीआईआर IV (2010) 102 (एमपी) (29/04/2010)

73डब्लू.पी. (सी) 5204/2008: (दिल्ली उच्च न्यायालय दिनांक 02.07.2009)

74WP (C) 2939/2014 दिनांक 05.12.2014 को निर्णयित (दिल्ली उच्च न्यायालय)

75WP (C) 6088/2014 दिनांक 12.09.2014 को निर्णय लिया गया

Machine Translated by Google

मेघना रूबी कच्छप बनाम झारखंड राज्य77 के मामले में यह माना गया कि अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार, कोई भी जुर्माना लगाने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

9.3.3. प्रक्रिया पर एक नज़र

चरण 1 – पीआईओ/एपीआईओ को आरटीआई आवेदन + शुल्क (पात्रता के अनुसार)

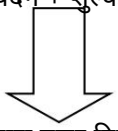

चरण 2 – निर्धारित समय के भीतर लोक अधिकारी द्वारा उत्तर दिया जाना (48 घंटे/30 दिन/35 दिन/45 दिन जैसा भी मामला हो)

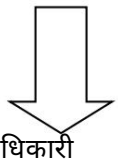

चरण 3 – धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
(ऑर्डर प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन करें)

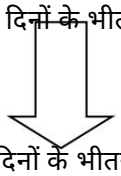

चरण 4 – प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का आदेश 30 दिनों के भीतर

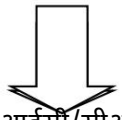

चरण 5 – दूसरी अपील: धारा 19(3) के अंतर्गत एसआईसी/सीआईसी [90 दिनों के भीतर]
चरण 6 – सुनवाई की तिथि: दोनों पक्षों को एसआईसी/सीआईसी

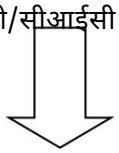

चरण 7 – सुनवाई आयोजित: अंतिम सुनवाई (दोनों पक्षों को अवसर)

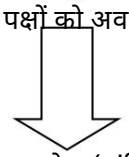

चरण 8 – धारा 19 या 20 के तहत पारित आयोग का आदेश (अंतिम आदेश)

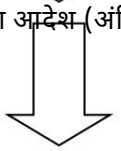

चरण 9 – उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं (केवल रिट आवेदन दायर किया जा सकता है)

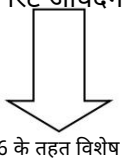

चरण 10 – सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं (केवल अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति)

[76] 204 (2013) डीएलटी 689

772014 (1) एजेआर 292

Machine Translated by Google

8.4 सारांश

इस इकाई में हमने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न दंडों के बारे में चर्चा की है।
ये प्रावधान हमें उन दंडों के बारे में एक अवलोकन और दिशा-निर्देश देते हैं, जो याचिकाकर्ता या पीड़ित पक्ष द्वारा आयोग के समक्ष कोई याचिका दायर करने पर लगाए जा सकते हैं। प्रावधान इस तथ्य पर भी प्रकाश डालते हैं कि जब भी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपीलीय प्राधिकारी कौन होता है और पीड़ित पक्ष अपनी विभिन्न शिकायतों के निवारण के लिए आखिरकार कहां जाता है। ये प्रावधान हमें इस बारे में उचित जानकारी देते हैं कि किसी भी विवाद के मामले में क्या उपाय उपलब्ध हैं।

8.5 शब्दावली

1. केंद्रीय सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(बी) के अनुसार "केंद्रीय सूचना आयोग" का अर्थ अधिनियम की धारा 12(1) के तहत गठित केंद्रीय सूचना आयोग है। यह सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च निकाय है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

2. राज्य सूचना आयोग: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(के) में प्रावधान है कि "राज्य सूचना आयोग" से तात्पर्य धारा के तहत गठित राज्य सूचना आयोग से है।

अधिनियम की धारा 15(1) के अंतर्गत यह सूचना प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

3. सार्वजनिक प्राधिकरण: यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एच) में प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या संस्था या स्वशासन; संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें शामिल हैं

कोई भी-

(i) स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

(ii) गैर-सरकारी संगठन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन से वित्तपोषित है।

उपयुक्त सरकार।

4. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(सी) में प्रावधान है कि "केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी" से तात्पर्य उपधारा (1) के तहत नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से है और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के तहत नामित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है।

5. राज्य लोक सूचना अधिकारी: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एम) में प्रावधान है कि "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से तात्पर्य उपधारा (1) के तहत नामित राज्य लोक सूचना अधिकारी से है और इसमें धारा 5 की उपधारा (2) के तहत नामित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है।

6. लोक सूचना अधिकारी: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा नामित कोई भी अधिकारी।

9.6 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न-

(क) शिकायत या अपील के मामले में दंड की संक्षेप में चर्चा करें।

(ख) अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए क्या सिफारिशें हैं?

Machine Translated by Google

2. रिक्त स्थान भरें-

(क) अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश धारा _____ के तहत की गई है

(बी) धारा 7(1) के बारे में बात करता है _____

3. सत्य और असत्य प्रकार के प्रश्न

(क) किसी भी शिकायत पर जुर्माना 55,000/- रुपये है।

(i) सत्य, (ii) असत्य.

(ख) सूचना न देने पर प्रतिदिन का जुर्माना 250/- रूपये है।

(i) सत्य, (ii) असत्य.

9.7 संदर्भ

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।

बी) http://cic.gov.in/

ग) http://rtionline.gov.in

9.8 सुझाए गए पठन सामग्री

(ए) सूचना का अधिकार कानून और अभ्यास डॉ. आरके वर्मा और डॉ. (श्रीमती) अनुराधा वर्मा द्वारा, द्वितीय संस्करण 2010, टैक्समैन पब्लिशर्स.

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005: नंगे अधिनियम

(सी) एसपी कनेजा द्वारा लिखित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक व्यावहारिक पुस्तिका , द बुक लाइन द्वारा प्रकाशित (2011)।

(घ) के.पी. मलिक द्वारा लिखित सूचना का अधिकार और व्हिसिल ब्लोअर्स को संरक्षण पुस्तक प्रकाशित इलाहाबाद लॉ एजेंसी (2016)

9.9 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

(क) अपील के माध्यम से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया पर चर्चा करें।

(ख) अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न दंड क्या हैं?

9.10 उत्तर

एसएक्यूएस

1. (ए) 9.3.1 देखें, (बी) 9.3.2

2. (ए) धारा 20(2) (बी) शिकायत प्राप्त होने पर पीआईओ के कर्तव्य

3. (क) गलत, (ख) सही अंतिम प्रश्न

और उत्तर

(सी) 9.3.3,(बी)9.3.1 देखें,

Machine Translated by Google

इकाई 10

आरटीआई को बढ़ावा देने के संबंध में प्रावधान

विषय

10.1 परिचय

10.2 उद्देश्य

10.3 विषय: के प्रचार-प्रसार के संबंध में विभिन्न प्रावधान

सूचना का अधिकार

10.3.1 आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अनुरोध का तरीका

10.3.2 छूट

10.3.3 अनुरोधों की अस्वीकृति

10.3.4 निजी निकाय, संस्था या संगठन

10.3.5 आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयास

10.3.6 निगरानी संस्था के रूप में आरटीआई को बढ़ावा देना

10.9 सारांश

10.10 शब्दावली

10.11 एसएक्यूएस

10.12 संदर्भ

10.13 सुझाए गए पठन सामग्री

10.14 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

Machine Translated by Google

10.1 परिचय

सूचना का अधिकार सबसे प्रिय मानवाधिकारों में से एक है, लेकिन भारत सहित दुनिया भर के लोकतंत्रों में यह सबसे अधिक उपेक्षित अधिकारों में से एक है। वर्तमान परिदृश्य में सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार को एक प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून माना जाता है, जिसका उदाहरण निम्नलिखित है

इस अधिकार को अनेक राज्य संविधानों में शामिल किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों और संधियों द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध और मानव अधिकारों पर यूरोपीय आयोग आदि शामिल हैं।

भारत में नागरिकों तक सूचना की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने का प्रयास करता है। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा नागरिकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों, पीआईओ आदि के विवरण पर जानकारी की त्वरित खोज के लिए एक आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करने के लिए की गई पहल है, इसके अलावा भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों के तहत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेब पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी और प्रकटीकरण तक पहुँच प्रदान करता है।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के पीछे मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है क्योंकि लोकतंत्र को जागरूक नागरिकों की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सूचना का अधिकार अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और हमारे लोकतंत्र को लोगों के सर्वोत्तम हित में काम करने के लिए तैयार करना है।

10.3 विषय: के प्रचार-प्रसार के संबंध में विभिन्न प्रावधान

सूचना का अधिकार

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मांगने के अधिकार का दायरा

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत यह प्रावधान है कि अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन किसी भी नागरिक को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 8 और 9 कुछ जानकारी प्रदान करने के संबंध में कुछ निषेध प्रदान करती हैं। अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत निहित प्रतिबंध के अधीन कोई भी व्यक्ति सीपीआईओ को लिखित में आवेदन देकर किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से कोई भी जानकारी मांग सकता है। अधिनियम की धारा 5 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए अपने कार्यालय में एक सीपीआईओ नियुक्त करने का आदेश देती है। अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या उस समय लागू किसी अन्य विपरीत कानून के प्रावधानों पर अधिभावी प्रभाव होगा। इसका मतलब यह है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 और 9 में निहित छूट के अधीन

Machine Translated by Google

शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 या किसी अन्य सामान्य या विशेष अधिनियम में उल्लिखित कोई भी सूचना, आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत आवेदक को सूचना प्रदान करने में आड़े नहीं आएगी।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(एफ) के तहत "सूचना" शब्द की परिभाषा का दायरा

किसी नागरिक के अनुरोध पर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा उसे दी जाने वाली अपेक्षित सूचना धारा 4 में उल्लिखित सूचना तक सीमित नहीं है। यह धारा केवल अभिलेखों को बनाए रखने और उनमें उल्लिखित विवरणों को प्रकाशित करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों पर कुछ दायित्व डालती है।

इसका यह मतलब नहीं है कि नागरिकों को अनुरोध करने पर केवल वही सूचना दी जानी चाहिए जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण को धारा 4(बी) के तहत प्रकाशित करने की आवश्यकता है। धारा 3 में उल्लिखित सूचना धारा 4 के अंतर्गत बिल्कुल भी सीमित नहीं है। धारा 4 के तहत निर्धारित दायित्वों को सार्वजनिक प्राधिकरण की ओर से अधिनियम के तहत परिभाषित उनके पास उपलब्ध सूचना की आपूर्ति करने के अन्य दायित्व के अलावा अनिवार्य रूप से पूरा किया जाना है, जो निश्चित रूप से अधिनियम में निर्धारित अपवादों के अधीन है। धारा 4 में विस्तृत सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी के अनुरोध के बिना स्वयं अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जानी है। इसके अलावा, अधिनियम में कहीं भी इस आशय का कोई संकेत नहीं है कि धारा 2(एफ) में परिभाषित 'सूचना' अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित सूचनाओं तक ही सीमित है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि नागरिकों को अनुरोध करने पर केवल धारा 4 में उल्लिखित सूचना ही प्रदान की जानी चाहिए।

केनरा बैंक बनाम केंद्रीय सूचना आयोग, दिल्ली, 2007 (5) एएलजे (एनओसी) 916 (केरल)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 इसे इसमें परिभाषित 'सार्वजनिक प्राधिकरणों' पर लागू करता है, जो 'सार्वजनिक प्राधिकरण' शब्द को सीमित अर्थ देने की आवश्यकता की ओर इशारा करता है, जो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित 'राज्य' की परिभाषा के चार कोनों के भीतर सीमित करता है। 'सार्वजनिक प्राधिकरण' की परिभाषा का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित 'राज्य' की परिभाषा से कहीं अधिक व्यापक है। इसके अलावा, अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा मुख्य रूप से न्यायालयों के माध्यम से मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित है, जबकि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत स्वीकृत सूचना के अधिकार को प्रमाणित करने के लिए एक प्रभावी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

एमपी वर्गीस बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, एआईआर 2007 केरल 230

अधिनियम के तहत सूचना देने का दायरा इतना व्यापक है कि अधिनियम की धारा 8 में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

10.3.1 आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए सूचना के अनुरोध का तरीका

तरीका

Machine Translated by Google

कोई भी नागरिक जो आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे धारा 6 के तहत संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है, उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे आरटीआई नियम, 2012 में निर्धारित अनुसार आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। आवेदक डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेज सकता है या इसे लोक प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है। आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।

संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन

आवेदक को संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना चाहिए। उसे यह पता लगाने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए कि सूचना किस लोक प्राधिकरण से संबंधित है। यदि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना किसी लोक प्राधिकरण में अलग-अलग पीआईओ से संबंधित है या अलग-अलग लोक प्राधिकरणों से संबंधित है, तो सूचना की आपूर्ति में उस स्थिति की तुलना में बहुत अधिक समय लगने की संभावना है, जब मांगी गई सूचना एक लोक प्राधिकरण में एक ही पीआईओ से संबंधित हो।

आवेदक को आरटीआई आवेदन में अपनी शिकायतों को सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए कि वह कौन सी जानकारी या रिकॉर्ड मांगना चाहता है। इसके अलावा, यदि आवेदन का प्रारूपण इस तरह से किया जाए कि यह मांगी गई जानकारी के संबंध में आवश्यक विशिष्ट दस्तावेजों की ओर इशारा करता है, तो अस्पष्टता की गुंजाइश कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने से इनकार करने की संभावना कम होगी। उदाहरण के लिए, केवल यह पूछने के बजाय कि मेरे क्षेत्र की सफाई क्यों नहीं हो रही है, क्षेत्र की सफाई का कार्यक्रम पूछा जाना चाहिए। इसी तरह, यह पूछने के बजाय कि हमें पानी की आपूर्ति कब मिलेगी, क्षेत्र की जल आपूर्ति योजना पूछी जानी चाहिए।

सूचना मांगने के लिए शुल्क

आवेदन के साथ आवेदक को लोक सूचना अधिकारी को आवेदन शुल्क भी भेजना होगा। भारत सरकार के मामले में निर्धारित आवेदन शुल्क 10 रुपये है, जिसका भुगतान लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से किया जा सकता है।

शुल्क का भुगतान सार्वजनिक प्राधिकरण या सहायक लोक सूचना अधिकारी को उचित रसीद के साथ नकद के माध्यम से भी किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को ऑनलाइन आवेदन के मामले में, शुल्क का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या मास्टर/वीज़ा क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

आवेदक को सूचना प्रदान करने की लागत के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने की भी आवश्यकता हो सकती है, जिसका विवरण आवेदक को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचित किया जाएगा। इस प्रकार मांगी गई फीस का भुगतान आवेदन शुल्क के समान ही किया जा सकता है।

Machine Translated by Google

यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित होने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। निर्धारित आवेदन शुल्क या आवेदक के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित होने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, के साथ आवेदन न किए जाने पर, अधिनियम के तहत वैध आवेदन नहीं माना जाएगा।

आवेदन का प्रारूप

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। आवेदक को उस पते का उल्लेख करना चाहिए जिस पर सूचना भेजी जानी है। सूचना चाहने वाले को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

10.3.2 छूट: - आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रस्तुत करना

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने के विरुद्ध छूट और निषेध धारा 8 और 9 के तहत प्रदान किए गए हैं जो निम्नानुसार हैं-

धारा 8 - सूचना के प्रकटीकरण से छूट- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को निम्नलिखित देने की कोई बाध्यता नहीं होगी,-

(ए) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा;

(बी) ऐसी जानकारी जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा की गई किसी कार्रवाई या किसी ऐसे मामले में जिसके प्रकट होने से न्यायालय की अवमानना हो सकती हो;

(सी) ऐसी सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो सकता है संसद या राज्य विधानमंडल;

(डी) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित सूचना, जिसके प्रकटीकरण से तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को नुकसान पहुंचेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक है;

(इ) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण आवश्यक है;

(च) विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता हो या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीय रूप से दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान हो सकती हो;

(एच) ऐसी सूचना जो जांच, गिरफ्तारी या अपराधियों के अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी;

Machine Translated by Google

(मैं) मंत्रिमंडल के कागजात जिसमें परिषद के विचार-विमर्श के रिकार्ड शामिल हैं
मंत्री, सचिव एवं अन्य अधिकारी;

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर निर्णय लिए गए, को ध्यान में रखा जाएगा।

निर्णय लिए जाने तथा मामला पूरा हो जाने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा।
या खत्म:

बशर्ते कि वे विषय, जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(जे) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध न हो, या जिससे व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण हो, जब तक कि केंद्रीय सरकार ऐसा न करे।

लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या
अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस बात से संतुष्ट है कि व्यापक लोकहित में ऐसी सूचना का प्रकटीकरण उचित है:

परन्तु यह कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं की जा सकती, उसे किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

(2) शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में किसी बात के होते हुए भी, या उपधारा (1) के अनुसार अनुमेय किसी छूट के होते हुए भी, कोई लोक प्राधिकारी सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में लोक हित, संरक्षित हितों को होने वाली हानि से अधिक है।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), (ग) और (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी घटना, प्रसंग या मामले से संबंधित कोई सूचना, जो धारा 6 के अधीन अनुरोध किए जाने की तारीख से बीस वर्ष पूर्व घटित हुई हो या हुई हो, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु जहां उक्त बीस वर्ष की अवधि की गणना की तारीख के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, वहां केन्द्रीय सरकार का निर्णय, इस अधिनियम में उपबंधित सामान्य अपीलों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

10.3.3 अस्वीकृति के आधार: - धारा 9 के तहत कुछ मामलों में सूचना तक पहुंच से अस्वीकृति के आधार -

धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां पहुंच प्रदान करने के ऐसे अनुरोध में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा।

10.3.4 निजी निकाय, संस्था या संगठन

सरकार द्वारा वित्तपोषित निजी निकाय, संस्थान या संगठन आदि को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) (डी) (ii) के तहत "सार्वजनिक प्राधिकरण" की परिभाषा में शामिल किया गया है –

Machine Translated by Google

जब भी किसी निजी निकाय या संस्था या संगठन आदि की गतिविधियों पर सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण और वित्त के संबंध में सांठगांठ के बारे में सवाल उठता है, तो उसे अधिनियम की धारा 2(एच) के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों को अधिनियम में निहित उद्देश्यों और कारणों के संबंध में पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें व्यापक आयाम दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भ्रष्ट व्यक्ति अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने से लाभ न उठा सकें और साथ ही उन्हें जनता से कुछ भी छिपाने में असमर्थ बनाया जा सके।

सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी निजी निकाय का कामकाज सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रति उत्तरदायी होगा। उदाहरण के लिए, कोई भी याचिकाकर्ता जो यूपी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1929 के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त संस्था है और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आच्छादित है।

यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां कोई निजी या गैर-सरकारी संगठन महाविद्यालय राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान प्राप्त करता है या वह उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1971 जैसे अधिनियमों के प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है, तो भी वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(एच) में दी गई परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

संदर्भ हेतु मामले:

1. प्रबंधन समिति, आजाद मेमोरियल पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोलौरा बनाम।
   उत्तर प्रदेश राज्य, 2008 (5) एएलजे 88 (सभी)
2. धारा सिंह गर्ल्स हाई स्कूल, गाजियाबाद बनाम यूपी राज्य, एआईआर 2008 इलाहाबाद 92
3. प्रिंसिपल एमडीएसडी गर्ल्स कॉलेज, अंबाला बनाम राज्य सूचना आयुक्त, हरियाणा, एआईआर 2008 पी एंड एच 101 (डीबी)
4. प्रबंधन समिति, शांति निकेतन इंटर कॉलेज, गाजीपुर बनाम यूपी राज्य, 2008 (3) एडब्ल्यूसी 3027 (सभी)
5. एमपी वर्गीस बनाम महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, एआईआर 2007 केरल 230

10.3.5 आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रयास

आरटीआई अधिनियम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कदम

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुसार, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान करता है, ताकि वे सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित कर सकें, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके।

आरटीआई अधिनियम को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. केंद्र प्रायोजित योजना "सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार" के तहत, केंद्र सरकार हर साल विभिन्न राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) को धन मुहैया कराती है।

Machine Translated by Google

जनसंचार माध्यमों द्वारा अभियान चलाना, आरटीआई पर पुस्तिकाएं, पर्चे, बैनर आदि प्रकाशित करना तथा जनता के बीच इनका वितरण करना आदि विभिन्न जागरूकता सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना।

2. पांचवें वित्त वर्ष के दौरान आरटीआई सप्ताह मनाने के लिए राज्य सूचना आयोगों को धन उपलब्ध कराना।
12 अक्टूबर.

3. नागरिकों को ऑनलाइन आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए 21 अगस्त, 2013 से आरटीआई वेब पोर्टल www.rtionline.gov.in शुरू किया गया, जिसमें आरटीआई शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी शामिल है। आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल ने नागरिकों को हिंदी भाषा में भी आवेदन और प्रथम अपील दाखिल करने की सुविधा प्रदान की है।

4. सरकारी वेबसाइट सूचना के अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी देती है, जैसे सूचना के लिए अनुरोध कैसे करें, सूचना के लिए किससे संपर्क करें, नियम आदि।

10.3.6 निगरानी संस्था के रूप में आरटीआई को बढ़ावा देना
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और लोकतंत्र के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आरटीआई को एक हथियार के रूप में बढ़ावा देने के लिए आरटीआई का अधिनियमन एक मील का पत्थर है, जिसमें कानून की सच्ची भावना को सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों पर कई निगरानी संस्थाएँ शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अधिनियम सूचना प्रदान करने के लिए उचित तंत्र स्थापित करने और उसे लागू करने में सक्षम है।

हर सरकारी संगठन को एक कर्मचारी को जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के तौर पर नियुक्त करना होता है। जब किसी विभाग को आरटीआई का अनुरोध मिलता है, तो पीआईओ की जिम्मेदारी होती है कि वह आवेदक को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराए। ऐसा न करने पर पीआईओ पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। पीआईओ आवेदक को जितना लंबा इंतजार करवाएगा, उस पर उतना ही अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पीआईओ को जुर्माने के तौर पर हजारों रुपए देने को कहा गया है, जो आरटीआई अधिनियम के प्रचार और भावना को दर्शाता है।

10.9 सारांश

इस इकाई में उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से हमने देखा कि कोई भी नागरिक जो आरटीआई अधिनियम के तहत कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे धारा 6 के तहत संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी में या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है, उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे आरटीआई नियम, 2012 में निर्धारित अनुसार आवेदन जमा करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान करना चाहिए। आवेदक डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेज सकता है या इसे लोक प्राधिकरण के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकता है। आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भी भेजा जा सकता है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत प्रावधान है कि अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी नागरिक को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 8 और 9 में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में कुछ निषेध दिए गए हैं। अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत निहित प्रतिबंध के अधीन कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आवेदन देकर किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से कोई भी जानकारी मांग सकता है।

Machine Translated by Google

सीपीआईओ को। अधिनियम की धारा 5 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को सूचना प्रदान करने के लिए अपने कार्यालय में एक सीपीआईओ नियुक्त करने का आदेश देती है। अधिनियम की धारा 22 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या वर्तमान में लागू किसी अन्य विपरीत कानून के प्रावधानों पर अधिक प्रभाव होगा। इसका मतलब यह है कि आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 और 9 में निहित छूट के अधीन, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 या किसी अन्य सामान्य या विशेष अधिनियम में निहित कोई भी विपरीत प्रावधान आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत आवेदक को सूचना प्रदान करने के रास्ते में नहीं आएगा।

10.10 शब्दावली

1. आरटीआई की धारा 2(एफ) में सूचना शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

• किसी भी रूप में कोई भी सामग्री

• रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र आदेश,
लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने

• मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए डेटा, और

• किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना जिसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है
किसी भी कानून के तहत

2. पहुंच का तरीका: धारा 2(जे) के तहत जानकारी तक निम्नलिखित द्वारा पहुंच बनाई जा सकती है:

• कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण
• दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, अंश या प्रमाणित प्रतियां लेना;
• सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना; • डिस्केट, फ्लॉपी, टेप,
वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना

3. सार्वजनिक प्राधिकरण: धारा 2(एच) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

• निम्नलिखित के तहत स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन संस्था:
• (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन।
• (ख) संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा
• (सी) उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा स्थापित, जिसमें कोई भी शामिल है • स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप
से वित्तपोषित निकाय
• एनजीओ पर्याप्त रूप से वित्तपोषित - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त द्वारा प्रदान की गई धनराशि द्वारा
सरकार
4. लोक सूचना अधिकारी- धारा 5(1)(4)(5) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी
इसका मतलब है एक अधिकारी:
• इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिनों के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाना;
• जैसा भी मामला हो;

Machine Translated by Google

• सभी प्रशासनिक इकाइयों में; • इस
अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करना। • डीम्ड पीआईओ की अवधारणा

10.11एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न:-

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उद्देश्य क्या है? ख) पीआईओ की नियुक्ति
कैसे की जाती है?

2. रिक्त स्थान भरें:

क) केवल ..... को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार है
आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली कोई भी सूचना।
ख) धारा .....सूचना को परिभाषित करती है।

3. सत्य और असत्य:

क) अधिनियम की धारा 5 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक सीपीआईओ नियुक्त करने का अधिकार देती है।
(i) सत्य, (ii) असत्य b) धारा
2(h) सार्वजनिक प्राधिकरण को परिभाषित करती है। (i) सत्य, (ii) असत्य

10.12 संदर्भ

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005. b) सूचना का
अधिकार नियम, 2012 c) http://rti.gov.in/rtiact.asp
d) dipp.nic.in/rti/rti-mandatory-
information

10.13 सुझाए गए पठन सामग्री

डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित।

10.14 टर्मिनल प्रश्न और मॉडल प्रश्न

क) सूचना का अधिकार अधिनियम को बढ़ावा देने का तरीका बताएं। ख) सूचना प्राप्त करने
की प्रक्रिया क्या है? ग) धारा 8 और 9 सूचना का अधिकार अधिनियम के
प्रचार को कैसे प्रभावित नहीं करती हैं?

जवाब

Machine Translated by Google

एसएक्यूएस

1. (ए) 10.2 देखें (बी) आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 देखें।
2. (क) नागरिक (ख) 2 (च)
3. (क) सत्य (ख) सत्य

टर्मिनल प्रश्नों के उत्तर

(क) 10.3 देखें (ख) धारा 6 देखें (ग) 10.4 और 10.5 देखें

.....

Machine Translated by Google

यूनिट-11

मानवाधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी

जानकारी

11.1 परिचय

11.2 उद्देश्य 11.3 विषय 11.3.1 निगरानी

11.3.2 अधिनियम के कार्यान्वयन

के लिए संरचना 11.3.3 सूचना

आपूर्ति समय सीमा 11.4 सारांश

11.5 शब्दावली

11.6 एसएक्यू 11.7

संदर्भ

11.8 सुझाए गए पठन 11.9 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न 11.10 उत्तर

Machine Translated by Google

11.1 परिचय

संविधान द्वारा सूचना के अधिकार की गारंटी दी गई है। हालाँकि, नागरिकों के लिए सूचना को अधिकार के रूप में सुरक्षित करने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से, भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया। यह कानून बहुत व्यापक है और शासन के लगभग सभी मामलों को कवर करता है। इस कानून की पहुँच बहुत व्यापक है, यह सभी स्तरों पर सरकार पर लागू होता है - संघ, राज्य और स्थानीय साथ ही पर्याप्त सरकारी धन प्राप्त करने वालों पर भी।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उचित कार्यान्वयन संबंधित प्राधिकारियों के प्रभावी कामकाज पर आधारित है।

जहाँ तक अधिनियम की प्रयोज्यता का सवाल है, यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और सूचना का अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसलिए यहाँ हम इसकी प्रयोज्यता के आधार पर इन संबंधित पहलुओं में आरटीआई के कार्यान्वयन की निगरानी के बारे में चर्चा करेंगे।

11.2 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी निगरानी तंत्र के बारे में समझ जायेंगे

11.3 विषय

11.3.1 निगरानी

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीआई कानून सरकार द्वारा समर्थित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम के कार्यान्वयन को निरंतर निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाए। इससे कार्यान्वयन प्रयासों का मूल्यांकन और समीक्षा की जा सकेगी, ताकि सर्वोत्तम अभ्यास को आसुत और कॉपी किया जा सके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय अधिनियम एक निगरानी व्यवस्था लागू करता है जिसके लिए निम्न की आवश्यकता होती है:

1. वार्षिक रिपोर्ट का उत्पादन
2. आंकड़ों का निरंतर संग्रह

1. वार्षिक रिपोर्ट का उत्पादन

अधिनियम की निगरानी केंद्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है जिसके लिए उसी उद्देश्य के लिए वार्षिक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। धारा 25 के तहत आयोग आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने व्यवहार को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और भावना के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश भी करता है। धारा 25 नीचे दी गई है:

Machine Translated by Google

निगरानी और रिपोर्टिंग

धारा 25 (1) केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र उस वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उपलब्ध कराएगा, जैसा भी मामला हो, जो इस धारा के तहत रिपोर्ट तैयार करने और इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को प्रस्तुत करने और अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए अपेक्षित है।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में, जिससे वह संबंधित है, यह बताया जाएगा कि,—

क. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को किए गए अनुरोधों की संख्या;

ख. उन निर्णयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के प्रावधान जिनके तहत ये निर्णय किए गए थे और ऐसी संख्या जिसमें ऐसे प्रावधानों का आह्वान किया गया था;

ग. केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, जैसा भी मामला हो, समीक्षा के लिए भेजी गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों का परिणाम;

घ. प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण।
यह कार्य;

ड. इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्रित शुल्क की राशि;

च. कोई भी तथ्य जो सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा आत्मा को प्रशासित और कार्यान्वित करने के प्रयास को इंगित करता है
इस अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनमें विशेष सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में सिफारिशें शामिल हैं, इस अधिनियम या अन्य कानून या सामान्य कानून या सूचना तक पहुंच के अधिकार के संचालन के लिए प्रासंगिक किसी अन्य मामले में विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए सिफारिशें।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति, यथास्थिति, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां दो सदन हैं वहां राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवा सकेगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को, जैसा भी मामला हो, यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के तहत अपने कृत्यों के प्रयोग के संबंध में किसी लोक प्राधिकरण का व्यवहार इस अधिनियम के प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है, तो वह प्राधिकरण को उन कदमों को निर्दिष्ट करते हुए सिफारिश कर सकता है जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने चाहिए।

Machine Translated by Google

2. आंकड़ों का निरंतर संग्रह

जबकि केन्द्रीय अधिनियम सूचना आयोगों को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाता है, साथ ही यह भी कहता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का यह कर्तव्य है कि वह रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं सूचना आयोग को उपलब्ध कराए।

व्यावहारिक दृष्टि से, इसका अर्थ यह है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को आवेदनों और अपीलों के प्रसंस्करण के बारे में सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने के लिए निगरानी प्रणालियां स्थापित करनी होंगी।

आदर्श रूप से, कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी एक निगरानी प्रणाली विकसित करेगी। यह कागज़ आधारित हो सकता है, जिसके तहत सभी पीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण कागज़ फ़ाइलें और नोट्स बनाए रखते हैं कि वे मामलों को कैसे संभालते हैं। यह कंप्यूटर आधारित भी हो सकता है, जिसके तहत सूचना को डेटाबेस में इनपुट किया जाता है जिसका उपयोग निगरानी रिपोर्ट और आँकड़े प्रदान करने के लिए आसानी से किया जा सकता है।

ब्रिटेन में आवेदनों और अपीलों पर नज़र रखने के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना डेटाबेस का उपयोग किया जाता है।
वैकल्पिक रूप से, यह मानते हुए कि सरकार के निचले स्तर पर कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, भारत में कंप्यूटर और कागज आधारित निगरानी का कोई भी तरीका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है।

सभी सार्वजनिक निकायों के लिए आंकड़ों का निरंतर संग्रह और मिलान न्यूनतम आवश्यकता होनी चाहिए। अधिनियम में वार्षिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्राप्त आवेदनों और अपीलों का कुछ रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और यह भी कि उनसे कैसे निपटा जाता है। इसके अतिरिक्त, इस जानकारी का उपयोग करके, सार्वजनिक प्राधिकरणों, नोडल एजेंसियों और सूचना आयोगों के प्रमुख नियमित रूप से यह आकलन कर सकते हैं कि क्या प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा करने में, वे किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान भी कर सकते हैं, जिसे शायद अतिरिक्त प्रशिक्षण या सिस्टम समर्थन की आवश्यकता हो - उदाहरण के लिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि वे नियमित रूप से आवेदनों या अपीलों के निपटान के लिए समय सीमा से चूक रहे हैं।

भारत और विदेश के अनुभव से लाभ उठाते हुए, कम से कम प्रत्येक सार्वजनिक निकाय को प्रत्येक एपीआईओ, पीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी से आवेदनों का कोई न कोई रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बातें दर्ज हों:

- कुल प्राप्त, निपटाए गए और लंबित आवेदन एवं अपीलें;
- प्राप्त प्रत्येक आवेदन एवं अपील के लिए:

    1. आवेदक का नाम;
    2. आवेदन प्राप्त होने की तिथि;
    3. मांगी गई जानकारी का सारांश;
    4. ली जाने वाली फीस, यदि कोई हो;
    5. अनुरोध को संसाधित करने में लगा समय;
    6. यदि कोई सूचना जारी की गई तो क्या सूचना जारी की गई;
    7. यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, तो छूट खंड पर भरोसा किया गया;

Machine Translated by Google

8. यदि आवेदन अस्वीकार कर दिया गया तो क्या अस्वीकृति के विरुद्ध अपील की गई और यदि हां, तो क्या
अपील का परिणाम क्या था?

कम से कम, एपीआईओ, पीआईओ और अपीलीय अधिकारियों से हर महीने जानकारी एकत्र की जानी चाहिए और उसे एकत्रित करके अधिनियम के समग्र कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी विभाग को भेजा जाना चाहिए। अब निरस्त हो चुके राज्य आरटीआई कानून के तहत महाराष्ट्र में यही हुआ। आदर्श रूप से, एकत्र की गई जानकारी को हर महीने एक सरकारी वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि जनता को इस बारे में निरंतर जानकारी मिल सके कि अधिनियम को कितने प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

11.3.2 अधिनियम के कार्यान्वयन की संरचना

प्रभावी क्रियान्वयन किसी भी अच्छी पहुँच व्यवस्था का सार है। क्रियान्वयन की तैयारी में, सरकारों को पहुँच कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आधारभूत कार्य और बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिए कदम उठाने होंगे। इन प्रारंभिक कदमों में सिस्टम और अन्य संसाधन स्थापित करना शामिल है।

आरटीआई के उचित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित की गई है:

लोक सुचना अधिकारी

आरटीआई अधिनियम की धारा 5 के तहत लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये हैं:

1. इस अधिनियम के अधिनियमित होने के 100 दिनों के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा नामित किया जाना;
2. जहां तक मामला हो;
3. सभी प्रशासनिक इकाइयों में;
4. जानकारी उपलब्ध कराना

धारा 5(2) के तहत लोक सूचना अधिकारियों की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इन्हें सहायक लोक सूचना अधिकारी कहा जाता है। ये हैं:

1. 100 दिनों के भीतर नामित किया जाना
2. उप-मंडल / उप-जिला स्तर पर
3. एपीआईओ की जिम्मेदारियां:
4. सूचना अनुरोध और अपील प्राप्त करने के लिए,
5. इसे पीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी या सीआईसी/एसआईसी को अग्रेषित करना, जैसा भी मामला हो। 6. जहां सूचना या अपील के लिए आवेदन एपीआईओ को दिया जाता है, वहां पांच दिनों की अवधि दी जाती है।
प्रतिक्रिया की अवधि की गणना में जोड़ा जाएगा।

Machine Translated by Google

11.3.3 सूचना आपूर्ति समय सीमा

1	सामान्य तरीके से जानकारी प्रदान करें	तीस दिन
2	यदि आवेदन एपीआईओ के माध्यम से प्राप्त हुआ है तो जानकारी प्रदान करें	बताई गई समयावधि में 05 दिन जोड़े जाएंगे
3	यदि जानकारी जीवन या परिवार से संबंधित हो तो कृपया जानकारी प्रदान करें। व्यक्ति की स्वतंत्रता	48 घंटे
4	आवेदन को अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित करना आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3)	05 दिन
5	यदि आवेदन या अनुरोध किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से स्थानांतरण के बाद प्राप्त होता है तो जानकारी प्रदान करें (क) सामान्य क्रम में (ख) यदि सूचना निम्नलिखित से संबंधित है किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता	(क) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर (ख) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर
6.	जहां आवेदन में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया हो वहां जानकारी प्रदान करें	अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचना, आवेदन और लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे शुल्क की प्राप्ति के बीच की अवधि को उत्तर की अवधि की गणना के लिए छोड़ दिया जाएगा।
7.	में निर्दिष्ट संगठनों द्वारा जानकारी प्रदान करें दूसरी अनुसूची (क) यदि सूचना मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित है (अनुमोदन के बाद) केंद्रीय सूचना आयोग) (ख) यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित हो	(ए) आवेदन प्राप्ति से 45 दिन (बी) आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर

Machine Translated by Google

11.5 सारांश

इस इकाई में उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से हमने देखा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उचित कार्यान्वयन संबंधित प्राधिकारियों के प्रभावी कामकाज पर आधारित है।

जहाँ तक अधिनियम की प्रयोज्यता का सवाल है, यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और सूचना का अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इसलिए यहाँ हम इसकी प्रयोज्यता के आधार पर इन संबंधित पहलुओं में आरटीआई के कार्यान्वयन की निगरानी के बारे में चर्चा करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरटीआई कानून सरकार द्वारा समर्थित अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि अधिनियम के कार्यान्वयन को एक सतत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली द्वारा समर्थित किया जाए। इससे कार्यान्वयन प्रयासों का मूल्यांकन और समीक्षा की जा सकेगी, ताकि सर्वोत्तम अभ्यास को आसुत और कॉपी किया जा सके और सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके और उनमें सुधार किया जा सके।

केंद्रीय अधिनियम निगरानी जांच लागू करता है जिसके लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और सांख्यिकी का निरंतर संग्रह करना आवश्यक है। अधिनियम की निगरानी केंद्रीय अधिनियम द्वारा शासित होती है जिसके लिए उसी उद्देश्य के लिए वार्षिक रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। धारा 25 के तहत आयोग आरटीआई अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों और भावना के अनुरूप अपने अभ्यास को लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को एक सिफारिश भी करता है। जबकि केंद्रीय अधिनियम सूचना आयोगों को वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाता है, यह भी कहता है कि प्रत्येक मंत्रालय या विभाग का कर्तव्य है कि वह सूचना आयोग को वह जानकारी प्रदान करे जो उन्हें रिपोर्ट तैयार करने के लिए चाहिए।

11.6 शब्दावली

1. वार्षिक रिपोर्ट: आरटीआई आयोग धारा 25 के तहत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है।
आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन।

2. एपीआईओ: धारा 5(2) के तहत एक व्यक्ति:

- 100 दिनों के भीतर नामित किया जाना
- उप-मंडल / उप-जिला स्तर पर

11.7 एसएक्यूएस

1. लघु उत्तरीय प्रश्न

क) सूचना मांगने वाले आवेदन के निपटान की समय सीमा क्या है?

ख) एपीआईओ के कार्य क्या हैं?

2. रिक्त स्थान भरें:

क) धारा 25 के अंतर्गत आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन पर ..... तैयार करता है।

ख) एपीआईओ को उप-मंडल या उप-जिला स्तर पर .....दिनों के लिए नामित किया जाता है।

3.सत्य और असत्य:

1. आरटीआई अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू है।

a. (a) सत्य, (b) असत्य

Machine Translated by Google

2. किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाती है।

a. (a) सत्य, (b) असत्य

11.8 संदर्भ

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005. b) rti.gov.in/
c) http://
pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=155409 d) http://
www.ijtr.nic.in/webjournal/12.htm

11.9 सुझाए गए पठन सामग्री

डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित।

11.10 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न: क) सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

क्या है? ख) पूछी गई विभिन्न श्रेणियों की सूचना के लिए समय अवधि की सीमा पर चर्चा करें?

11.11 उत्तर:

एसएक्यू
1.(ए) 30 दिन (बी) अनुभाग 5 देखें 2.(ए) अनुभाग
25 देखें (बी) अनुभाग 5 देखें 3.(ए) गलत (बी) गलत टर्मिनल
प्रश्नों के उत्तर (ए)11.2
(बी)11.4

Machine Translated by Google

इकाई – 12

विविध प्रावधान

12.1 परिचय

12.2 उद्देश्य

12.3 विषय

12.3.1 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

12.3.2 अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव होगा

12.3.3 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध

12.3.4 कुछ संगठनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट दी गई 12.3.5 निगरानी और रिपोर्टिंग

12.3..5.1 कार्यक्रम तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार 12.3..5.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति 12.3..5.3 नियम बनाना 12.3..5.4 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

12.4 सारांश 12.5 शब्दावली

12.6 SAQS 12.7 संदर्भ

12.8 सुझाए गए पठन सामग्री

12. 9 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न 12.10 उत्तर

Machine Translated by Google

12.1 परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय VI के अंतर्गत निहित विविध प्रावधान विभिन्न विविध प्रावधान निर्धारित करते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज और उन्मुक्ति के लिए विभिन्न मानदंड शामिल हैं। इसके अलावा यह उन संगठनों के बारे में भी स्पष्ट तस्वीर पेश करता है जो आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार के कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है।

12.2 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद विद्यार्थी आसानी से सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए तंत्र को सक्रिय बनाने के पीछे के वास्तविक उद्देश्य की जांच कर सकेंगे, जो सुनिश्चित करने की पहली आवश्यकता है:

1. नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना।
2. सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुरक्षित करना।

12.3 विषय

12.3.1 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अनुसार, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अधिनियम में सद्भावना शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इस धारा का दायरा बहुत व्यापक है और यह इस अधिनियम के अर्थ में 'प्रत्येक व्यक्ति' को संरक्षण प्रदान करता है लेकिन वह कार्य सद्भावनापूर्वक होना चाहिए। यहां सद्भावना को जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 3(22) के अनुसार पढ़ा जाना चाहिए जो सद्भावना शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है 'कोई कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया माना जाएगा जहां यह वास्तव में ईमानदारी से किया गया हो चाहे यह लापरवाही से किया गया हो या नहीं'। और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 52 भी 'सद्भावना' को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है 'कोई भी कार्य सद्भावनापूर्वक किया या माना नहीं जाता है जो उचित देखभाल और ध्यान के बिना किया या माना जाता है

12.3.2 अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव होगा

इस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या इस अधिनियम से भिन्न किसी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यह प्रभावी होगा।

इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 सहित अन्य वर्तमान अधिनियमों पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रावधान, इसमें निहित किसी भी असंगत बात के बावजूद प्रभावी रहेंगे।

Machine Translated by Google

आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923, तथा वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून या इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी किसी साधन में। इन अधिनियमों को निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें इस सीमा तक हटा दिया गया है कि ये अधिनियम इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ टकराव में आते हैं। दूसरे शब्दों में, ये अधिनियम क़ानून की किताबों में लागू रहेंगे, लेकिन उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जिस सीमा तक वे आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

12.3.3 न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध

इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा तथा ऐसे किसी आदेश को इस अधिनियम के अधीन अपील के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एक स्व-निहित संहिता है। यह एक विशेष अधिनियम है। यह कानून के अन्य प्रावधानों पर हावी हो सकता है। धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य है:

1. सार्वजनिक प्राधिकरण के क्षेत्र से नागरिकों को मुकदमेबाजी की लागत के बिना या प्रसंस्करण की मामूली लागत के साथ सूचना का अधिकार प्रदान करना।

2. क़ानून किसी विशेष विषय से संबंधित है और उसके लिए वैधानिक तंत्र प्रदान किया गया है इस प्रयोजन के लिए विषय में विशेषज्ञता होना आवश्यक है।

3. देरी से बचें और अधिनियम के तहत उपलब्ध राहत बेहतर और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो। सिविल अदालतों की जटिल प्रक्रिया का सहारा लिए बिना, विधिवत तरीके से निपटाया जाएगा।

4. किसी विशेष क़ानून के तहत कानूनी प्रक्रिया का प्रवाह अनावश्यक रूप से बाधित नहीं होता है सिविल न्यायालय का आदेश.

इसका मतलब है कि सभी सिविल न्यायालयों को इस अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी मुकदमे, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार करने से बाहर रखा गया है और इस अधिनियम के तहत अपील के माध्यम से ही ऐसे किसी भी आदेश पर सवाल उठाया जाएगा। इस धारा को पढ़ने मात्र से ही पता चलता है कि सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगा दी गई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भी शामिल है।

हालांकि, एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एआईआर 1997 एससी 1125 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार, समान तर्क कायम नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र विधायिका द्वारा बनाए गए किसी क़ानून या कानून द्वारा नहीं छीना जा सकता है। भले ही, केशवानंदभारती और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य एआईआर 1973 एससी 1461 में प्रतिपादित कानून के अनुसार न्यायिक समीक्षा की ये शक्तियां संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विधानमंडल के किसी भी अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से न्यायिक समीक्षा की शक्तियां नहीं छीनी जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के तहत लिए गए किसी भी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में भी चुनौती दी जा सकती है।

Machine Translated by Google

12.3.4 कुछ संगठनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट दी गई

इस अधिनियम की धारा 24 का दायरा: इस धारा के तहत निर्धारित नियम कुछ संगठनों पर लागू होते हैं। यह धारा उन अधिकारियों को नियुक्त करती है, जिनकी सूची दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है, कि वे जनता को जानकारी न दें। उपरोक्त छूट राज्य की सुरक्षा के हित में और राज्य की सुरक्षा के उचित कामकाज के लिए दी गई है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण सह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बनाम मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा, एआईआर 2011 पी एंड एच 173 के अनुसार, यह धारा केवल उन संगठनों को छूट देती है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित भारत की खुफिया और सुरक्षा से सीधे संबंधित हैं, छूट खंड के तहत कवर नहीं होते हैं। एस विजयलक्ष्मी बनाम भारत संघ, एआईआर 2011 मैड। 275 के अनुसार इस धारा के तहत सीबीआई को भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी देने से छूट नहीं है।

द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित संगठन आरटीआई के दायरे से छूट प्राप्त हैं:
अधिनियम इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	संगठन	क्र.सं.	संगठन
1.	आसूचना ब्यूरो	12.	अनुसंधान और विश्लेषण विंग कैबिनेट सचिवालय
2.	राजस्व खुफिया निदेशालय	13.	केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो
3.	प्रवर्तन निदेशालय	14.	नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
4.	विमानन अनुसंधान केंद्र	15.	स्पेशल फ्रंटियर फोर्स
5.	सीमा सुरक्षा बल	16.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
6.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	17.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

Machine Translated by Google

7. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड		18. असम राइफल्स	
8. शशस्त्र सीम बल		19. आयकर महानिदेशालय (जांच)	
9. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन		20. वित्तीय खुफिया इकाई-भारत	
10. विशेष सुरक्षा समूह		21. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	
11. सीमा सड़क विकास बोर्ड		22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय	

12.3.5 निगरानी और रिपोर्टिंग

यह धारा 25 निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों को इस अधिनियम के उचित कामकाज के लिए निगरानी और कोई भी सिफारिश प्रस्तावित करने की शक्तियाँ दी गई हैं। यह संबंधित प्राधिकरण को इस अधिनियम के वास्तविक कामकाज में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सक्षम बनाता है।

12.3.5.1 कार्यक्रम तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 26 में प्रावधान है कि समुचित सरकार को जनता को, विशेषकर वंचित समुदायों को, इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और शिविर आयोजित करने होंगे। सरकार ने अपने सभी साधनों से लोगों को शिक्षित किया है और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से केंद्रीय और राज्य लोक सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया है।

समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति-

आरटीआई अधिनियम की धारा 27 के अनुसार,

Machine Translated by Google

(/) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-
(क) उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम की लागत या मुद्रण लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देय;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और (5) के अधीन देय शुल्क;
(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते ;
(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

12.3.5.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति

आरटीआई अधिनियम की धारा 28 के अनुसार,
(/) सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:-
(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम की लागत या मुद्रण लागत मूल्य;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन देय शुल्क;
(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन देय शुल्क; और
(iv) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।

12.3.5.3 नियमों का निर्माण

आरटीआई अधिनियम की धारा 29 के अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिए गए नियम बनाने की शक्ति एक प्रत्यायोजित शक्ति है। यह तय है कि जब किसी प्राधिकरण को कोई शक्ति सौंपी जाती है, तो प्रत्यायोजित प्राधिकरण के पास प्रत्यायोजित व्यक्ति द्वारा शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए। तदनुसार, सभी अधिनियमों में एक प्रावधान करना आम बात है जिसके तहत जब कोई प्रतिनिधि नियम बनाकर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो उन्हें बनाए जाने के तुरंत बाद विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

आरटीआई अधिनियम की धारा 29 के अनुसार(/) इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम
अधिनियम बनने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में, दो या अधिक सत्रों में पूरी हो सकेगी।

Machine Translated by Google

यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने पर सहमत हो जाएं, या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभावन से पहले किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उस नियम के तहत किया गया।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, अधिसूचित होने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

12.3.5.4 कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां

आरटीआई अधिनियम की धारा 30 के अनुसार-

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, बनाये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

12.4 सारांश

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 21 के अनुसार, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। अधिनियम में सद्भावना शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है।

इस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में या इस अधिनियम से भिन्न किसी कानून के आधार पर प्रभाव रखने वाले किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यह प्रभावी होगा।

इस अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत निर्धारित नियम कुछ संगठनों पर लागू होते हैं। यह धारा उन अधिकारियों को आदेश देती है जिनकी सूची दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट की गई है कि वे जनता को जानकारी न बताएं। धारा 25 निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 26 में प्रावधान है कि समुचित सरकार को जनता को विशेष रूप से वंचित समुदायों को इस अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने के तरीके के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम और शिविर आयोजित करने होंगे। आरटीआई अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार को दिए गए नियम बनाने की शक्ति एक प्रत्यायोजित शक्ति है। यह तय है कि जहां किसी प्राधिकरण को कोई शक्ति सौंपी जाती है, वहां प्रत्यायोजित प्राधिकरण के पास प्रत्यायोजित व्यक्ति द्वारा शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होनी चाहिए।

12.5शब्दावली

Machine Translated by Google

1. छूट प्राप्त संगठन: द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आने वाले संगठन जिन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे से छूट प्राप्त है।

2. उपयुक्त सरकार: उपयुक्त सरकार का तात्पर्य आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2(ए) के तहत परिभाषित सरकार है।

12.6 एसएक्यू 1.

लघु उत्तरीय प्रश्न: (क) आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत
न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध क्या है? (ख) सक्षम प्राधिकारी से आप क्या समझते हैं?

2. रिक्त स्थान भरें: (क) सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 की धारा 21 सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयों के बारे में बताती है। (ख) उपयुक्त सरकार को जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न .....
और .....कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

3.सत्य और असत्य
(क) सिविल न्यायालयों को इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही करने से बाहर रखा गया है। (i) सत्य (ii) असत्य (ख) सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005 का, शासकीय
गोपनीयता अधिनियम, 1923 सहित, वर्तमान में लागू अन्य अधिनियमों पर कोई प्रभाव नहीं है।

(i) सत्य (ii) असत्य

12.7 संदर्भ

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005. b) rti.gov.in/
c)
shodhganga.inflibnet.ac.in

12.8 सुझाए गए पठन सामग्री

1. डॉ. नीलम कांत, 2014, ओरिएंट पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित।

12. 9 टर्मिनल और मॉडल प्रश्न

(क) नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? (ख) आरटीआई
अधिनियम, 2005 को लागू करते समय आने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसके पास है?

12.10 उत्तर

1. (ए) धारा 23 देखें (बी) धारा 28 देखें

Machine Translated by Google

2. (क) संरक्षण (ख) धारा 26 देखें

3. (क) सत्य (ख) असत्य

टर्मिनल प्रश्नों के उत्तर

(क) धारा 28 देखें (ख) धारा 30 देखें